

सर्वशिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना

(2002-2007)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

(2003-2004)

जनपद - बरेली

अनुक्रमणिका

क० सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जिले की पृष्ठभूमि	1-5
2	शैक्षिक परिदृश्य	6-16
3	नियोजन प्रक्रिया	17-25
4	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	26-32
5	समस्याएं एवं रणनीतियां	33-38
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार-1,(नवान विद्यालय)	39-41
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार-11(ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)	42-62
8	ठहराव में वृद्धि	63-80,81,82
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	83-133
10	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	134-149
11	परियोजना लागत	150-155
12	वित्तीय वर्ष 2003-04 का बजट	156-157

बरेली का संक्षिप्त परिचय

भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य रुहेलखण्ड सम्भाग में स्थित बरेली नगर अपने प्राचीन गौरव को सजाये हुए है। जनपद की उत्तरी सीमा पीलीभीत, पूर्वीसीमा आज़मगढ़पुर, दक्षिणी सीमा वदायूं तथा पश्चिमी सीमा रामपुर जनपद से जुड़ी हुई है, यह महानगर मंडल का प्रशासनिक केन्द्र है जिसके कारण कमिश्नरी के समस्त कार्यालय यहाँ स्थापित हैं। यहाँ की पुरातात्विक विशेषतायें, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताएँ एवं राजनीतिक उपलब्धियाँ भारत की अमूल्य विधियाँ हैं।

महाभारत काल में बरेली का इतिहास अद्वितीय रहा है, इसकी तहसील आंबला में सुशोभित रामनगर क्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ पर पांडवों द्वारा अज्ञातवास का समय व्यतीत किया गया था।

बौद्धकाल में राजा अशुत के शासनकाल में पांचाल प्रदेश आहोषेत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्वत 1004 में इस पर राजपूतों ने कब्जा किया तत्पश्चात सम्वत 1537 में यहाँ जगत सिंह नाम के राजा उदित हुये जिनके पुत्र वासुदेव और वरलदेव के संयुक्त नाम से यह बांस बरेली के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे वर्तमान में बरेली के नाम से जाना जाता है।

सम्वत 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को परास्त कर अपना अधिपत्य कायम कर शेरगढ नाम का नगर बसाया था, जो वर्तमान में तहसील बहेडी के अन्तर्गत शेरगढ नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में विकास खण्ड मुख्यालय है।

इस महानगर के मुहल्ला मलूकपुर को मुगल शासक औरंगजेब के गवर्नर मकरन्दराय, मुहल्ला आलमगीरीगंज को औरंगजेब ने औरंगजेब आलमगीर के नाम से तथा रुहेला सरदारहाफिज रहमत खों ने मुहल्ला जगतपुर को बसाया था।

यह महानगर हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं अखण्डता के लिये स्मरणीय है, नगर का प्रसिद्ध मन्दिर 'श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर' श्री फजलउररहमान उर्फ 'चुन्ना भिय' द्वारा निर्मित कराया गया था, जो आज भी 'चुन्नाभियाँ मन्दिर' के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं 'इन्हीं' के द्वारा नगर का प्रसिद्ध 'धोपेश्वरनाथ मन्दिर' का भी निर्माण कराया गया था, जिसे जनभाषा में 'धोपामन्दिर' कहा जाता है।

वर्तमान में महानगर को पर्यटन स्थल फनसिटी, मकूर वन वेतना केन्द्र, विभिन्न पार्क तथा धार्मिक स्थल 'वालाजी दरवार', अलखनाथ, वनखण्डीनाथ, टीवरनाथ तथा तपेश्वरनाथ' द्वारा गौरान्वित किया जा रहा है। इतना ही नहीं महानगर के मध्य भाग में 'दरगाह आला हजरत' के कारण इस महानगर को विश्व में 'बरेली शरीफ' के नाम से भी जाना जाता है।

महानगर में स्थित आई०वी०आर०आई०, सी०ए०आर०आई० एशिया का प्रथम संस्थान है। जनपद के चिकित्सीय 'केन्द्र, किशोर सदन मानसिक चिकित्सालय, सैनिक हवाई अड्डा बरेली की अमूल्य वराहर है।

जनपद बरेली विश्व मानचित्र में 28 अंश 1" से 28 अंश 54" उत्तरांश तथा 78 अंश 58" से 79 अंश 47" देशान्तर के मध्य स्थित हैं बरेली का कुल क्षेत्रफल चार हजार एक सौ बीस वर्ग किमी० हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद का मण्डल में तीसरा स्थान है। हमारे जनपद की उत्तर दक्षिण लम्बाई लगभग 150 किमी० तथा पूर्व पश्चिम लम्बाई 110 किमी० है। रामगंगा नदी कुछ दूरी तक बरेली तथा यदायू जनपद के बीच प्राकृतिक सीमाएँ बनाती है।

जलवायु एवं मिट्टी

जनपद की जलवायु शीतोष्ण है। जनपद में पर्वत एवं तराई क्षेत्र समीप होने के कारण जलवायु पर इस का प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में जवाएँ शुष्क एवं वर्षा काल में नमी लिये रहती हैं। शरद ऋतु दिसम्बर से फरवरी तक तथा ग्रीष्म ऋतु मध्य जून तक रहती है इसका पश्चात दक्षिण पश्चिम मानसून आने पर वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाती है जो सितम्बर तक रहती है अक्टूबर तथा नवम्बर में वर्ष का सबसे सुहावना मौसम होता है। जनपद की कुल भूमि का 68% भाग दोमट, 20% भाग मटियार, 4.9% भूड क्षेत्र तथा 6.3% भाग एल्यूवियल प्रकृति का है।

नदियाँ एवं नहरें

जनपद बरेली में बड़ी व छोटी कुल मिलाकर प्रमुख रूप से तेरह नदियाँ बहती हैं, जिनमें रामगंगा, किच्छा, देवरानियाँ, बहगुल व नकटियाँ विभिन्न विकास खण्डों में प्रवाहित होकर धरा को हरा-भरा करती हैं। जनपद बरेली में प्रमुख रूप से शारदा व रुहेलखण्ड नहरें हैं जो कि सिंचाई की प्रमुख साधन हैं।

वर्षा

जनपद में वर्षा प्रमुख रूप से जून से सितम्बर तक होती है। यह वर्षा ज्यादातर मानसूनी हवाओं से होती है। वर्षा का औसत 87 से 112 सेमी० है।

वनस्पति

जनपद में वन क्षेत्र समृद्ध है, जनपद में प्रायः शीशम, नीम, सैमल व स जाभुन आदि के वन पाये जाते हैं।

कृषि

हमारे जनपद में रबी, खरीफ और जायद की तीन फसलें होती हैं।
रबी की फसल— रबी की फसल अक्टूबर— नवम्बर में बोई जाती है और मार्च—अप्रैल में काटी जाती है इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी और लाहं हैं।
खरीफ की फसल— यह फसल जून—जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर—नवम्बर में काटी जाती है इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूँग, तिल, व मूँगफली हैं।
जायद की फसल— यह ग्रीष्म कालीन फसल है। इसकी मुख्य फसलें बाजरा, व सब्जियाँ।

भौगोलिक स्थिति

जनपद की लगभग 70% जनता कृषि कार्य में लगी है तथा कुल भूभाग के लगभग 80.5% भाग में कृषि की जाती है।

भाषा

जनपद में मुख्यतः हिन्दी भाषी लोग रहते हैं दूसरी प्रमुख भाषा उर्दू है। विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों की कुल संख्या वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रकार है—

भाषा	जनसंख्या	प्रतिशत
हिन्दी	2334930	82.37
उर्दू	466800	16.47
पंजाबी	22132	0.78
बंगाली	6092	0.22
अन्य धर्म	4283	0.15

स्रोत वर्ष 1991 की जनगणना की रिपोर्ट

प्रशासन

बरेली मण्डल के अन्तर्गत जिला बरेली आता है। प्रशासन एवं विकास कार्य के सफल नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद को 6 तहसीलो, 15 विकासखण्डों तथा 144 न्याय पंचायतों में विभाजित किया गया है। जनपद एक महानगर पालिका, 3 नगरपालिका परिषद तथा एक कैंट क्षेत्र है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद के ग्रामों की तहसील वार स्थिति निम्न प्रकार है—

सारणी 1.1

तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल ग्राम
1. बहेड़ी	1. बहेड़ी	216
	2. दमखोदा	108
	3. शेरगढ	60
2. मीरगंज	3. शेरगढ	61
	4. मीरगंज	90
	5. फतेहगंज	90
	6. भोजीपुरा	5
	7. क्यारा	6
3. बरेली	5. फतेहगंज	19
	6. भोजीपुरा	98
	7. क्यारा	93
	8. बिथरी	137
4. नवावगंज	9. नवावगंज	171
	10. भदपुरा	161
5. आवलां	11. रामनगर	86
	12. मझगवां	124
	13. आलमपुर	155
6. फरीदपुर	14. फरीदपुर	174
	15. भुता	208

स्रोत सांख्यिकी पत्रिका 1999

जनपद/मण्डल का प्रशासनिक ढांचा निम्नवत है

मण्डल					
जनपद					
तहसील					
बहेड़ी	मीरगंज	बरेली	नवावगंज	आवलां	फरीदपुर
1. बहेड़ी	1. शेरगढ	1. फतेहगंज	1. नवावगंज	1. रामनगर	1. फरीदपुर
2. दमखोदा	2. मीरगंज	2. भोजीपुरा	2. भदपुरा	2. मझगवां	2. भुता
3. शेरगढ	3. फतेहगंज	3. क्यारा		3. आलमपुर	
	4. भोजीपुरा	4. बिथरी			
	5. क्यारा				

अधिकार क्षेत्र

आयुक्त---जिलाधिकारी-----परगनाधिकारी-----खण्ड विकास अधिकारी

मण्डल स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त द्वारा किया जाता है. इनका सहयोग अपर आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है जिला स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपर जिला अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार व अन्य अधिकारियों के सहयोग से किया जाता है। जनपद के विकास कार्यों के लिए मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना अधिकारी/जिला विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी होते हैं।

सारणी-1.2

जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ

प्रशासनिक क्षेत्र	संख्या
नहरमाल	06
विकास खण्ड	15
न्याय पंचायत	144
ग्राम सभायें	1008
राजस्य ग्राम/वस्तियों	2063
नगरीय क्षेत्र	
नगर निगम	01
नगर महानगरपालिका	
नगर पालिका	04
नगर पालिका परिषद	45
वार्ड/छावनी परिषद	01

स्रोत मांखिकी पत्रिका 1999

अध्याय 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद बरेली शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पिछडा रहा है यह वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद की साक्षरता दर से परिलक्षित होता होता है। वर्ष 1991 में राष्ट्रीय साक्षरता 52.11 तथा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 41.71 के सापेक्ष बरेली साक्षरता 32.78 थी। जनपद में पुरुष साक्षरता दर 43.33 तथा महिला साक्षरता दर 19.85 थी। पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता का अन्तर 23.48 था जिससे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शैक्षणिक जागरूकता की कमी प्रतीत होती है।

सारिणी 2.1

	महिला साक्षरता	पुरुष साक्षरता	कुल साक्षरता
बरेली	19.85	43.33	32.78
उ०प्र०	26.02	55.35	41.71
भारत	39.42	63.85	52.11

विकास खण्डवार साक्षरता (1991)

सारिणी 2.2

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1	मझगवां	31.28	8.43	19.85
2	रामनगर	32.14	8.52	20.33
3	आलगपुर	38.60	12.31	25.45
4	फरीदपुर	35.39	8.62	22.05
5	भुंता	37.84	9.07	23.45
6	नबावगंज	39.43	9.13	24.28
7	भदपुरा	45.66	10.72	28.19
8	दमखीदा	38.06	9.73	23.90
9	बहेडी	37.19	11.22	24.20
10	शेरगढ	26.61	7.52	17.05
11	फतेहगंज (प०)	34.43	8.91	21.60
12	वयारा	37.23	10.46	23.80
13	बिथरी	40.78	11.57	26.17
14	भोजीपुरा	37.65	9.47	23.50
15	मीरगंज	35.15	8.65	21.90

स्तोत्र सारिणीकी पत्रिका 1999

नोट- जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की विकासखण्ड वार/नगर क्षेत्रवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नहीं है अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

जिले में सबसे कम साक्षरता दर वाले विकासखण्ड शेखगढ है। जिसमें साक्षरता दर 17.05 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला विकासखण्ड भदपुरा है जहां साक्षरता दर 28.19 प्रतिशत है। जिले में महिला साक्षरता दर 19.85% है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला विकासखण्ड शेखगढ है जिसकी महिला साक्षरता 7.52% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला विकासखण्ड आलमपुर है जहां 12.31% साक्षरता है।

बरेली जिले में कुल 2312 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक 1590 जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय है।

क) प्राथमिक स्तर नामांकन

परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2002-03 में नामांकन की स्थिति निम्न सारिणी 2.3 दर्शायी गयी है।

सारिणी 2.3

परिषदीय विद्यालयों का जी0ई0आर0 नामांकन निम्नांकित है वर्ष 2002-03

6 से 11 आयु वर्ग के कुल बच्चों			कुल छात्र नामांकन			जी0ई0 आर0	अनुसूचित जाति का छात्र नामांकन		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग
393435	255746	549181	185353	168630	353983	66.1	40504	33141	73645

स्त्रोत विभागीय आंकड़े

सारिणी 2.4

जनपद का जी0ई0आर0 नामांकन निम्नवत है वर्ष 2002-03

6 से 11 आयु वर्ग के कुल बच्चों			कुल छात्र नामांकन			जी0ई0 आर0	अनुसूचित जाति का छात्र नामांकन		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग
393435	255746	549181	233165	192815	425980	77.56	43406	35514	78920

स्त्रोत विभागीय आंकड़े

सारणी 2.5

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाएं

		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैरमान्यता प्राप्त		
		ग्राम	नगरी	योग	ग्राम	नगरी	योग	ग्राम	नगरी	योग	ग्राम	नगरी	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1543	158	1701	260	352	612	1802	510	2312	145	185	169
2	माध्यमिक विद्यालय से समबद्ध प्रा. अनुभाग	01	01	02	08	27	35	09	28	37	.	.	.
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	295	27	322	113	237	350	408	264	672	73	19	92
4	केन्द्रीय विद्यालय	.	04	04	04	04	.	.	.
5	नवोदय विद्यालय	01	.	01	.	.	.	01	.	01	.	.	.
6	हाईस्कूल	11	.	11	15	50	65	26	50	76	.	.	.
7	इण्टरमीडियट	06	05	11	20	43	63	26	48	74	.	.	.
8	डिग्री कालेज	02	.	02	02	06	08	04	06	10	.	.	.
9	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	.	.	.	01	04	05	01	04	05	.	.	.
10	विश्वविद्यालय	01	01	.	01	01	.	.	.
11	तकनीकी संस्थान (आईटीआई पालीटिक्निक)	02	03	05	.	.	.	02	03	05	.	.	.
12	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	17	17	.	17	17	.	.	.
13	ऑनबनबाडी केन्द्रों की संख्या	113	.	113	.	87	87	113	87	200	.	.	.
14	मकतब/मदरसे	.	.	.	15	12	27	15	12	27	.	.	.
15	संस्कृत पाठशाला	.	.	.	01	.	01	01	.	01	.	.	.
16	बिकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	02	02	.	02	02	.	.	.
17	बाल श्रमिक विद्यालय

सोर्स विभागीय आंकड़े

शिक्षकों की उपलब्धता

सारिणी 2.6

क्र० सं०		कुल सजित पद			कार्यरत			रिक्त			स्वीकृत शिक्षागित
		प्र.अ.	स.अ.	योग	प्र.अ.	स.अ.	योग	प्र.अ.	स.अ.	योग	
1	प्रा०वि०	1524	3667	5191	1007	3281	4288	517	386	903	347
2	उ०प्रा०वि०	213	803	1016	72	731	803	141	72	213	

स्वतंत्र विभागीय आंकड़ें

विकास खण्ड वार एवं नगरक्षेत्र वार अध्यापकों का विवरण

सारिणी 2.7

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	कार्यरत अध्यापक संख्या				योग
		प्रधानाध्यापक		सहायक अध्यापक		
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	गझगवां	78	03	130	22	233
2	रामनगर	42	03	76	12	133
3	आलमपुर जा०	51	07	142	80	280
4	फरीदपुर	60	04	137	61	262
5	भुता	97	0	117	23	237
6	नबावगंज	89	05	150	95	339
7	भदपुरा	84	0	117	01	202
8	दमखोदा	53	02	79	70	204
9	बहेडी	47	0	133	27	207
10	शेरगढ	60	01	141	27	229
11	फतेहगंज प०	57	09	63	72	201
12	क्यारा	43	09	71	95	218
13	विथरी	67	09	226	82	384
14	भोजीपुरा	78	08	105	154	345
15	मीरगंज	34	01	119	71	225
	योग	940	61	1806	892	3699
	नगर क्षेत्र का नाम					
	बरेली	47	32	213	25	551
	बहेडी	05	01	12	09	27
	आंवला	0	01	09	05	15
	फरीदपुर	03	02	12	15	32
	योग	55	36	246	288	625
	महायोग	995	97	2052	1180	4324

स्वतंत्र विभागीय आंकड़ें

शिक्षामित्रों का विवरण

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	मझगवां	2000-01 322	21
2	रामनगर	2001-02 25	48
3	आलमपुर	2003-04 600	17
4	फरीदपुर		9
5	भुता		28
6	नबावगंज		9
7	भदपुरा		28
8	दमखोदा		47
9	बहेडी		37
10	शेरगढ		45
11	फतेहगंज		27
12	क्यारा		6
13	बिथरी		2
14	भोजीपुरा		2
15	मीरगंज		21
	योग	947	347

छात्र-शिक्षक अनुपात

जनपद वरेली में छात्र-शिक्षक अनुपात शासन की गंशा के अनुसार 1:40 के आधार पर संतोषजनक नहीं है वर्तमान में शिक्षक 4324 कार्यरत हैं छात्र सं० 353983 है इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात 1:82 है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र-शिक्षक अनुपात के सुधार हेतु शिक्षा मित का चयन किया गया है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारिणी 2.8

	1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी० से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
० ऐसे ग्रामों/वस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 300 से अधिक है।	1510	480	0
ऐसे ग्रामों/वस्तियों की संख्या जिनकी आवादी 300 से कम है।	10	7	270

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारिणी 2.9

	3 किमी से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 किमी से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्रा०वि० अनुपात 1 : 2 करने हेतु आवश्यक उ प्रा०वि० की संख्या
• ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	1120	0	0
• ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	900	43	0

सोर्स विभागीय आंकड़े

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 1 : 2 के अनुपात में निम्न प्रकार से निकाली गयी है-

	ग्रामीण	नगरक्षेत्र	योग
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	1543	158	1701
1 : 2 के अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	820	79	899
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्रा०वि०	295	27	322
आवश्यकता	525	52	577

उपरोक्त अनुसार 1 : 2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल आवश्यकता 577 होगी परन्तु राज्य सरकार के मानक एवं नगरी क्षेत्र में स्थल की अनुपलब्धता के कारण सर्वशिक्षा अभियान में 38 ही उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्राविधान किया गया है

बाल गणना के आधार पर छात्र नामांकन

सारणी 2.10

प्राथमिक स्तर

6.11 आयु वर्ग के बच्चों की सं			नामांकन					
			परिपदीय			मान्यता प्राप्त		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
393435	255746	549181	185353	168630	353983	47812	24185	71997

नामांकन								
गैर मान्यता प्राप्त अनुमोदित			योग			नामांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
31628	22314	53942	264793	215129	479922	55	45	100

उच्च प्राथमिक स्तर

राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के साथ सम्बद्ध 6-8 को भी सम्मिलित करें)

11.14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन					
			परिपदीय			मान्यता प्राप्त		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
122100	106417	228517	23913	12528	36441	16629	6275	22904

नामांकन								
गैर मान्यता प्राप्त अनुमोदित			योग			नामांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
26503	19696	46199	67045	38499	105544	63	37	100

स्वतंत्र विभागीय आंकड़े

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं(परिषदीय विद्यालय की स्थिति)

प्राथमिक स्तर	सारणी 2.10			कुल कक्ष
	ग्रामीण वि०क्र०	नगर क्षेत्रवाग	योग	
1. प्राथमिक विद्यालय भवन	1543	158	1701	
2. एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	14	25	39	$39 * 1 = 39$
दो कक्षीय वि०की सं०	989	41	1030	$1030 * 2 = 20$
तीन कक्षीय वि०की सं०	497	45	542	$542 * 3 = 1626$
चार कक्षीय वि०की सं०	52	23	75	$75 * 4 = 300$
पांच कक्षीय वि०की सं०	04	7	11	$11 * 5 = 55$
5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	03	01	04	$4 * 6 = 24$
योग				4104

3. हैण्डपम्प हैण्डपम्पयुक्त 1683 हैण्डपम्प विहीन 18 आवश्यकता 18

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालयों की सं०	भवनयुक्त		
एक कक्षीय विद्यालय	06	$6 * 1 = 6$		
दो कक्षीय विद्यालय	36	$32 * 2 = 72$		
तीन कक्षीय विद्यालय	85	$85 * 3 = 255$		
चार कक्षीय विद्यालय	179	$179 * 4 = 716$		
पांच कक्षीय विद्यालय	16	$16 * 5 = 80$		
5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय				
10. शौचालय	शौचालय युक्त 292	शौचालय विहीन 30		
11. हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त 304	हैण्डपम्प विहीन 18		

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

सारणी 2.11

सोम-विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष	नवीन विद्यालय निर्माण		पञ्जल सुविधा		शौचालय		अतिरिक्त कक्षा	
	प्रा०वि०	उ प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ प्रा०वि०
2002-03		19						
2003-04		19						
2004-05			18	18		20	500	250
2005-06						10	419	231
2006-07								
योग		38	18	18		30	919	481

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक आंकड़ों व महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स

गह जनपद डी०पी०ई०पी० 11 से आकारांकित कम्यूटराइज्ड ईएमओआइ०एस० इकाई सक्रिय रूप में 1997-98 से कार्य कर रही है। वर्ष 1997-98 से नीचा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित कर वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से तैयार की जा रही है। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण व डी०पी०ई०पी० कार्यक्रमों से सम्बंधित निर्णयों में किया गया।

ईएमओआइ०एस० से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में रिजल्ट निम्नवत है-

प्राथमिक विद्यालयों में जागांकन

सारिणी 2.12

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	138045	102001	112116	126325	113785	117370
2	87898	102121	89466	102912	99945	98259
3	53580	69034	83691	82224	83370	88588
4	34455	40616	54464	67521	61635	68944
5	26441	28312	35132	46113	53164	52819
योग	340419	342084	375199	425393	411900	425980

सोर्स-विभागीय आंकड़े

जी०ई०आर०

सारिणी 2.13

	1997-98	1998-99	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03
कुल	74.91	78.84	90.99	93.41	77.7	77.5
बालिका	60.56	62.43	79.47	86.59	68.1	65.9

सोर्स-विभागीय आंकड़े

एन०ई०आर०

सारिणी 2.14

	1997-98	1998-99	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03
कुल	61.92	65.09	80.00	80.58	63.5	70.2
बालिका	49.37	54.88	69.64	74.19	59.4	57.2

सोर्स-विभागीय आंकड़े

जनपद के जागांकन में औसतन 4.18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी०ई०आर० एवं एन०ई०आर० में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी०ई०आर०/एन०ई०आर० बालकों के जी०ई०आर०/एन०ई०आर० के लगभग समतुल्य हो गया है। गह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल जागांकन के सापेक्ष कक्षा-5 के जागांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है, जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा-5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की मांग बढ़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक
जन्मपद वरेली

1997-2003 तक परिपदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर जागांकन

वर्ष	जागांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997-98	22377	8184	30561	73.2	26.8	100
1998-99	25027	9684	34710	72.1	27.9	100
1999-2000	25812	11004	36816	70.1	29.9	100
2000-01	30287	12980	43267	70	30	100
2001-02	22614	9776	32390	69.8	30.2	100
2002-03	23913	12528	36441	65.6	34.4	100

स्त्रोत विभागीय आँकड़े

परिपदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर जागांकन एवं वृद्धि जन्मपद वरेली

वर्ष	वक्षा 6	वक्षा 7	वक्षा 8	योग	वर्त वर्ष के सापेक्ष % वृद्धि
1998-99	12685	11150	10875	34710	
1999-2000	13986	12300	10529	36816	5.7
2000-2001	16062	14475	12730	43267	14.9
2001-02	13585	10437	8368	32390	-25.1
2002-03	16210	11394	8837	36441	12.5

स्त्रोत विभागीय आँकड़े

वर्ष	वक्षा 5	वक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-99	27312	12685	46.4
1999-2000	32132	13986	43.5
2000-2001	33453	16062	48.0
2001-02	42281	13585	40.6
2002-03	41288	16210	38.3

स्त्रोत विभागीय आँकड़े

नियोजन प्रक्रिया

1. नियोजन

समाजशास्त्रीय अभियानों का पूरे देश में समयावद्ध कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरक्षरों के अक्षरों को समुदाय की सदस्यता से प्राप्त करना है। यह एक दीर्घकालीन अभियान है जो 2001 के भारत सरकार द्वारा 2010 तक 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निरक्षरता से मुक्त करने का लक्ष्य रखता है। ऐसे बच्चे जो किशोरी आयुवर्ग में ही निरक्षर रह जाते हैं, निरक्षरता से मुक्त करने के माध्यम से शिक्षा से दूर इन बच्चों को लाना है। इस प्रकार के दीर्घकालीन अभियान को "नियोजन" का अपना एक विशेष महत्व होता है।

नियोजन प्रक्रिया में सभी स्तरों में सम्बन्धित सभी शैक्षणिक आंकड़ों को एकत्र करना तथा इनका सफाई करना आवश्यक होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि देश के सभी विद्यालयों के अक्षरों की संख्या प्राप्त/न प्राप्त/अनौपचारिक केन्द्र सम्बन्ध में संकलित रहते हैं। इसी संकलित में इन आधारभूत आंकड़ों को एकत्रित करना बिना समुदाय की सहभागिता के असम्भव सा प्रतीत होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत "नियोजन प्रक्रिया" पर विशेष महत्व दिया गया है ताकि समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जाग्रत बच्चे इनमें शिक्षा के माध्यम से सहयोगिता के समक्ष में प्रवेश अवसर प्राप्त की जा सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से योग्य शिक्षा सम्बन्धित सभी प्रकारों में एक सूझता लाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा जिनमें सामुदायिक सदस्यता केन्द्रों को उद्देश्य से शिक्षा सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण प्रयास हेतु कार्यत्नक जिसे प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्था व अहिंसक संगठनों को जोड़ा जायेगा।

2. नियोजन की संरचना

इस कार्यक्रम का संरचना के लिए राज्य परियोजना कार्यालय एवं खण्ड द्वारा एक क्षेत्र समीक्षा का गठन किया गया जो राजकीय देख-रेख में जनपद स्तर पर इस अभियान की संरचना को जानने है, इस क्षेत्र समीक्षा का सदस्य निम्नलिखित है—

1. प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशासन संरचना
2. निरक्षर प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशासन संरचना
3. जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी
4. मुख्यालय शिक्षा समन्वयक
5. समुदाय विकास एवं प्रशासनिक
6. समुदाय शैक्षिक शिक्षा समन्वयक

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के कुशल निदेशन में यह समिति नियोजन प्रक्रिया में कार्यरत रही। इस समिति को प्रशिक्षण, अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिये राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद में समय-समय पर प्रशिक्षण एवं मार्ग निर्देशन प्रदान किया गया है।

प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन

क्र०	दिनांक	स्थल
1.	26.9.2001	राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीगेट)
2.	27.9.2001	"
3.	5.10.2001	"
4.	6.10.2001	"
5.	18.10.2001	"
6.	3-4.9.2003	"

7. सूक्ष्म नियोजन

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिना प्रत्येक गांव, वस्ती, कस्बा, ग एर, टोला, घूमन्तु आबादी इत्यादि के 6 से 14 वय वर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकड़ा आंकलन बिना किये सफल कार्य योजना नहीं बनाई जा सकती है। इसके लिये सूक्ष्म नियोजन, जो कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें सूक्ष्म नियोजन कार्यक्रम की पहल करने के लिये ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, गांव के उत्साही व्यक्तियों, शिक्षाविदों के कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक ग्राम/वस्ती का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में साक्षर/निरक्षर पुरुषों एवं महिलाओं को चिह्नित किया गया तथा 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय जाने व विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिह्नित किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम वासियों का प्रशिक्षण एवं उनके सहयोग से एकत्र किये गये सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण से प्रत्येक ग्राम की अलग-अलग/समाख्याएँ/विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई/सूक्ष्म नियोजन के लिये प्रत्येक गांव से जिलानिश्चित सूचनाएँ एकत्र की गयीं-

1. ग्राम में 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या।
2. परिषदीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या एवं उनमें पढने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने के कारण।
4. ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो वहाँ पर विद्यालय प्रस्तावित करना अथवा वैकल्पिक शिक्षा/बवाचार शिक्षा प्रस्तावित करना।
5. विद्यालय का भौतिक एवं शैक्षणिक वातावरण पर्याप्त है या अपर्याप्त है ग्रामवासियों के सहयोग से अपेक्षित सुधार लाना।
6. विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती, छात्र अध्यापक अनुपात, सरदर/अध्यापकों की उपस्थिति।
7. शिक्षण कार्य की स्थिति एवं शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।
8. सूक्ष्म नियोजना, द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात विद्यमान कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये-

- I. परिवार सर्वेक्षण
- II. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
- III. सूचनाओं का विश्लेषण
13. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्र, विश्लेषण एवं ग्राम शिक्षा निर्माण की तैयारी

शैक्षिक मानचित्रण ग्राम वासियों के सहयोग से किया जाता है इसके लिये ग्राम के किसी उपयुक्त स्थान पर ग्राम वासियों को इकट्ठा कर उनसे गांव में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली जाती है तथा उसे कागज पर इंगित किया जाता है शैक्षिक मानचित्रण में गांव के प्रत्येक घर को दर्शाते हैं तथा घरों के मुखिया की एक अलग सूची बनायी जाती है। प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, उनकी आयु क्या है, क्या वे स्कूल जाते हैं या नहीं! जानकारी प्राप्त की जाती है तथा शैक्षिक मानचित्र पर ऐसे घरों पर पथक से निशान लगा दिये जाते हैं जिससे मानचित्र से ही स्कूल न जाने वाले बच्चों व परिवारों की स्थिति स्पष्ट हो सके। मानचित्र निर्माण के बाद दो सूचियां पथक से बनायी जाती हैं जिसमें एक सूची में गांव में उपलब्ध समस्त सुविधाओं का उल्लेख किया जाता है तथा दूसरी सूची में गांव की आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाता है, इस मानचित्र को सम्बंधित प्राथमिक विद्यालय की दीवार पर भी बनवाते हैं तथा सूक्ष्म नियोजन के बाद 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों की विद्यालय जाने व न जाने की स्थिति तालिका दर्शायी जाती है।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक गांव की निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित की गयीं-

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री-पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार समुदाय के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को समिलित करते हुए परिवार/बस्तियों के वितरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। सूक्ष्म नियोजन सर्वप्रथम जुलाई-अगस्त 1998 से जनपद के 5 विकास खण्डों में कराया गया अध्यावधि सभी विकास खण्डों में सूक्ष्म नियोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है इन आंकड़ों को जनपद स्तर पर संकलित किया गया है तथा अद्यतन आंकड़ों के लिये सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी इस प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत उपलब्ध आंकड़ों को आधारभूत मानते हुए सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भिक वर्षों में इनका उपयोग नियोजन प्रक्रिया में किया जा रहा है।

परिवार सर्वेक्षण - सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माह गर्ह-जून 03 में परिवार सर्वेक्षण का कार्य कराया गया, जिससे प्राप्त आंकड़ों का आधार मानते हुए नियोजन कार्य किया गया है परिवार सर्वेक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कराया गया था, मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जनपद स्तर पर समस्त ब्लॉक समन्वयकों/सह समन्वयकों को डायट में प्रशिक्षित कराया गया उसके उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर परिवार सर्वेक्षण कार्य शिक्षकों द्वारा किया गया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राम वार व नगर क्षेत्र से बार बार सूचना संकलित की गयी।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान में उपयोगी बनाने के लिये ई0एम0आई0एस0 डाटा के रूप में जो कि विकास खण्ड संकलित किया जाता है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों को तीन श्रेणियों में 0 से 6, 6 से 11 एवं 6 से 14 वय वर्ग में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6 से 8 वर्ष तथा 9 से 14 वर्ष समूह में संकलित की गयी है। बाल श्रमिक, माता-पिता के साथ व्यवसाय में लगे तथा सड़क पर घूमने वाले बच्चों की सूचना भी संकलित की गयी है सर्वेक्षण में उन ग्रामों की सूची तैयार की गयी है जो मानक के अनुसार तथा वहां पर नवीन विद्यालय खोले जाना हैं ऐसे ग्राम, गणसे वस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है जहां पर वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है तथा प्राप्त आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण के आधार पर नगर क्षेत्र की कार्य योजना तैयार की जायेगी। आधारभूत आंकड़ों के आधार पर समस्त सरकारी विभागों/गैर सरकारी संगठन/स्वयं सेवी संस्था/ग्राम शिक्षा समिति माननीय जनप्रतिनिधियों एवं समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अध्यावधि तक सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना वर्ष 2001.2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा तथा इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग अगामी वार्षिक कार्य योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान का दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा प्रथम वर्ष कार्यक्रम तैयार करने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये गये-

1. नियोजन टीम का गठन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यी टीम का गठन किया गया।
2. कोर टीम का प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद में दो दिवसीय प्रशिक्षण दो चरणों में प्राप्त किया गया।
3. जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिसमें माननीय ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जिसमें जनपद में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा निदान हेतु प्रयास किये गये।
4. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी जिसमें विभिन्न विभाग एवं एजेन्सियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिससे बिना समन्वय स्थापित किये या उनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को चलाने में कठिनाई का सामना करना पड सकता है। यह विभाग जिनसे प्राथमिक शिक्षा के विभाग एवं उन्नयन के लिए सहयोग प्राप्त करना निम्नलिखित है-

जिला समन्वयक बालिका शिक्षा), एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है बाल विकास परियोजना से समन्वय स्थापित कर निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

1. समाज कल्याण/विकलांग कल्याण/पिछडा कल्याण इन विभागों के सहयोग एवं समन्वय से अनुसूचित जाति, पिछडी जाति एवं विकलांग बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित एवं रुचि पैदा करने के लिए प्राथमिक स्तर पर रूपया 300 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रूपया 480 छात्रवृत्ति दी जाती है।
2. स्वास्थ्य विभाग- इस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का निः शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है तथा उनके उपचार हेतु समुचित देखभाल की जाती है। चिन्हित विकलांग बच्चों को विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।
3. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-- इस विभाग के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय से 80: से मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 3 किग्रा0 प्रति छात्र-छात्राओं की दर से पोषाहार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।
4. उ0प्र0 जल निगम/एग्रो विभाग-- इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेय जल की सुविधा हेतु हैण्डपम्प की स्थापना की जाती है।
5. जिला पंचायत/ग्राम पंचायत-- असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना जिला पंचायत की समिति द्वारा स्थल चयन निर्णय लिया जाता है तथा ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित कर विद्यालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी जाती है तथा इनके सहयोग से निर्माण कार्य कराया जाता है।

कार्य योजना तैयार करने के लिये जिले में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत प्रभारियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों को अवगत कराया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। यह योजना "फोकस ग्रुप डिक्सन" के जरिए समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन के आधार निर्मित की जायेगी, इसके क्रियान्वयन में भी ग्राम पंचायतों को नियोजन/प्रबन्धन सम्बंधी तथा अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बंधी अधिकारी भी प्राप्त होंगे।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक की शैक्षिक आवश्यकताओं को ग्रासरूट से प्राप्त करने एवं नियोजन प्रक्रिया में सभी का सहभाग सुनिश्चित करने के लिए जनपद में विभिन्न स्थानों पर बैठके/एफ०जी०डी० आदि का आयोजन किया गया जिसका व्यौरा निम्नवत है:-

कार्यवाही का विवरण

क्रम	जनपदस्तर/ ब्लाकस्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं सं०	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	न्याय पंचायत स्तर	4.7.01	कनगन(दमखोदा)	ग्राम प्रधान 1 सदस्य 3 शिक्षक 5 पी०आर०सी० 1 ए०पी०आर०सी० 1 एनपीआरसी० 3	1. शिक्षकों की कमी 2. भवन की कमी व मरम्मत 3. जजर भवन का पुर्ननिर्माण 4. नवीन विद्यालयों की आवश्यकता 5. पेयजल शौचालय आदि की आवश्यकता 6. चाहर दिवारी का निर्माण
2	ग्राम स्तर	5.7.01	सिधौली(मीरगज)	ग्राम प्रधान सदस्य शिक्षा समिति एन०पी०आर०सी० शिक्षक कुल 25	1. शिक्षकों की कमी 2. विद्यालय मरम्मत 3. शौचालय तथा चाहर दिवारी का निर्माण
3	नगर इकाई	9.7.01	आंचला नगर	चेयरमैन एस०डी०एम० जि०वे०शि०आधि श्रम राज्य नंत्री सु०प्र० सदस्य कुल 82	1. स्कूल चलों अभियान के अन्तर्गत विचार-विमर्श 2. विद्यालय मरम्मत 3. शिक्षकों की कमी 4. शौचालय व पेयजल, चाहर दिवारी का निर्माण
4	ब्लाक स्तर	19.7.01	भनौरा	क्षेत्रीय विधायक। जि०वे०शि०आधि 1 ब्लाक प्रमुख 1 पी०डी०ओ० 1 एवी०एस०ए० 1 एस०डी०आर०सी० 1 ब्लाक सम० 1 सह सम० 1 एनपीआरसी० 9 ग्राम प्रधान 69 क्षेत्र पं० सद० 21 अध्यापक 312 अभिभावक 179 ग्रामवासी 126	1. शैक्षिक उन्नयन हेतु विचार विमर्श 2. विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन का प्रयास 3. विद्यालयों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति। 4. शैक्षिक गुणवत्ता के प्रयास

5	नगर इकाई	21.9.01	एम०बी० इण्टर कालेज, चण्डी	शिक्षक संघ के सदस्य [10]वी०आर०सी० सम्मानित प्रधा- चार्य कुल 55	1 शिक्षकों की कमी 2 भवन की मरम्मत 3 भवन का पुर्ननिर्माण 4 नवान विद्यालयों की आवश्यकता
6	ब्लाक स्तर पर	27.9.01	शेरगढ	बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० ग्राम प्रधानगण आभिभावक कुल 25	गुणवत्ता शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना।
7	नगर इकाई	27.9.01	फरीदपुर	कुल 62	आभिभावकों द्वारा उर्दू पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में
8	ब्लाक स्तर	28.9.01	अलीगंज(मझगवा)	ए०बी०एस०ए० बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० प्रधान ग्राम पंचा० प्रधान अध्यापक कुल 28	1 अध्यापकों व छात्रों की शत- प्रतिशत उपस्थिति 2 शिक्षा का सार्वजनिकरण 3 रुचिकर शिक्षा एवं शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रति जागरूक करना।
9	ब्लाक स्तर	28.9.01	बिथरी चैनपुर	ए०बी०एस०ए० बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० ग्राम प्रधान प्रधान अध्यापक कुल 59	असेवित बस्तियों में विद्यालय खोलने एवं छात्रों के पठन-पाठन के स्तर का सुधारने पर विचार-विनिर्णय।
10	ब्लाक स्तर	28.9.01	नवावगंज	बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक ग्राम प्रधान बी०आर०सी० कुल 160	1. प्रार्थना: शिक्षा का सार्वजनिक करण 2. छात्रों का शतप्रतिशत नामांकन व उपस्थिति सुनिश्चित करना। 3. अध्यापकों का विद्यालय में समय पालन शतप्रतिशत उपस्थिति 4. शिक्षण सामग्रियों का अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा तैयार करना। 5. शिक्षण कार्य रुचिकर हो छात्रों का सहभागिता पर बल।
11	ब्लाक स्तर	28.9.01	पयोलाडिया(मन्डपुर)	बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक ग्राम प्रधान कुल 61	सबसे नामांकन डाप आउट, असेवित ग्रामों में शिक्षण व्यवस्था छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थिति एवं विद्यालयों की समस्याओं के विराकरण के सम्बन्ध में।

12	ग्राम स्तर पर	28.9.01	सीकरी(बहेडी)	ग्राम प्रधान सदस्य जि०प० सदस्य बी०आर०सी० ए०वी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० कुल 29	शिक्षकों की कमी भवन की मरम्मत एवं जर्जर भवन पुर्ननिर्माण नवीन विद्यालयों की आवश्यकता पेयजल शौचालय की आवश्यकता भवनों में चाहर दिवारी का निर्माण
13	न्याय पंचायत स्तर	28.9.01	चिटौली(फतेहगज)	ए०वी०एस०ए० बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० ग्राम प्रधान प्रधान अध्यापक	असेवित बस्तियों में विद्यालय खोलने छात्रों के पठन-पाठन के स्तर में सुधार पर विचार विमर्श।
14	न्याय पंचायत स्तर	28.9.01	करेली(बघारा)	35	शत प्रतिशत नामांकन तथा शाला-त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालय लाने पर विचार, इसके लिए अभिभावकों से सम्पर्क होना आवश्यक है।
15	ब्लाक स्तर	28.9.01	भोजीपुरा	बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक बी०डी०सी० सद	1. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनी-करण होना चाहिए। 2. छात्रों का शतप्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति होनी चाहिए 3. रुचिकर शिक्षण सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। 4. बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाये।
16	ग्राम स्तर पर	28.9.01	फैजगंज(भुला)	ग्राम प्रधान क्षे०प०सदस्य वरिष्ठ शिक्षक बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी०	1. शिक्षकों की कमी को पूरा करना। 2. भवनों की मरम्मत, जर्जर भवनों पुर्न निर्माण। 3. नवीन विद्यालयों की आवश्यकता 4. पेयजल, शौचालय, चाहरदिवारी निर्माण विचार।
17	ग्राम स्तर पर	28.9.01	वाहनपुर (फरीदपुर)	40	1. उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति 2. उर्दू की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण 3. शिक्षकों की कमी को पूरा करना 4. विद्यालय चाहर दिवारी का नि० साथ ही बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

18	ब्लाक स्तर पर	28.9.01	रामनगर	सनस्त प्र०अ० वी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० एस०डी०आई०	1 छात्र अध्यापक अनुपात पर बल 2 समस्त मजरो/बस्तियां में वि० उपलब्ध होना। 3. 5000 से अधिक आबादी वाले विद्यालय ग्रामों में एक से अधिक विद्यालयों की आवश्यकता पर बल
19	जिला स्तर पर	29.9.01	जिला पंचायत सभागार बरेली	अध्यक्ष जिला प० जिला प० सदस्य डि०वे०शि०अति० सहा०लेखाधिकारी डी०पी०ई०पी०	सर्वशिक्षा अभियान से सम्बंधित प्रमुख बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त कार्ययोजना, लक्ष्य व निदेशों की प्रतियां समस्त उपस्थित प्रति० का उपलब्ध करायीं गयीं।
20	जिला स्तर	30.9.01	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अ० बरेली	डाक्टर प्रचार्य उपप्रचार्य जिला समन्वयक उप वे०शि०अ० समस्त ए०बी०एस ए० एस०डी०आई० सहायक लेखाधि कारी	योजना के क्रियान्वयन हेतु विचार विमर्श, सूचनाओं का एकत्रीकरण व संकलन किया गया। आवश्यकताओं समस्याओं हेतु रणनीति पर विचार किया गया।
21	जिला स्तर	16.10.01	विकास भवन सभागार	डी०एन० सी०डी०ओ० डी०डी०ओ० परियोजना निदेशक सी०एन०ओ० डी०पी०आर०ओ० सहा० अन०अयु० सी०डी०पी०ओ० डी०एल०ए० स्वा० वित्त एव लेखाधिकारी डी०पी०ई०पी० सरकारकारी सभ का सदस्य	सम्पूर्ण बिन्दुओं पर गहन विचार एवं निष्पत्ति में आने वाली समस्या समस्याओं को इस योजना में समय समय पर सम्मिलित किया जायेगा एवं बालिका शिक्षा एवं शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया तथा रानी विभाग से सम्बन्ध एवं सहयोग पर विचार किया गया

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य

1. 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों को 2001 तक उपयोगी एवं प्रासंगिक उपयोगी शिक्षा प्रदान कराना।
2. सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग समन्धी विषमता को दूर करना।
3. वैकल्पिक शिक्षा के महत्व का दृष्टिगत करते हुए 30सी0सी0 वय वर्ग का विस्तार 0 से 14 करना आई0सी0डी0एस0 के प्रयास को समर्थन देना जहाँ आई0सी0डी0एस0 क्षेत्र नहीं है वहाँ विशेष पूर्व विद्यालय सेवा उपलब्ध कराना।

वित्तीय मानक

सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र पुनर्निर्धारित योजना के रूप में लाया जायेगा जिसके अन्तर्गत नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) की अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकार के अंशदान 85.15, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में 75.25 तथा ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में 50.50 का होगा।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैंक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत मन्तारजन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- बालक- बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्रारम्भिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौतिक ठहरावउन्नत अकेत राष्ट्रीय लक्ष्यों को अनपढ़ के लिए भी मान लिया गया है। उस बृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनाई गयी विधा :-

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपद वार आँकड़े प्राप्त हो गये हैं जनपद बरेली का ग्रोथ रेट 2.42 प्रतिशत वार्षिक आया है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2007 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार संख्या के प्रतिशत का आधार मानते हुए वर्ष 2002 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 प्रतिशत तथा 11-14 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 6.2 प्रतिशत आ अनुपात किया गया है वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/नगरीय/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध होने पर इन आँकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीचा नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेन्ट रेशियो में इसे 2002 से 2007 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया है वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है प्राथमिक स्तर 6-11 के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 के लिए वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य रखा गया है चूँकि कुल नामांकन में शुद्ध ओवरऐज तथा अण्डरऐज बच्चे भी होंगे तथा जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 तथा 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2002 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 एवं 11-14 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन ि

नमनवत है :

जनपद -- बरेली

सारणी सं 0 4.1 प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6-11 वर्ष वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	286502	249704	536206	281220	230030	511750	95.4
2002-03	393435	255746	549181	286099	261935	562471	97.5
2003-04	300536	261935	562471	300536	284370	610647	100
2004-05	307809	268274	576083	326277	299496	643127	106
2005-06	315258	274767	590025	343631	323628	694948	109
2006-07	322887	281416	604303	371320	337224	724144	115

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11-14 वर्ष वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	119215	103903	223118	86825	65584	152409	68.3
2002-03	122100	106417	228517	93406	81409	174815	76.5
2003-04	125054	108992	234046	103169	189918	193087	82.5
2004-05	128081	111630	239711	114632	99909	214541	89.5
2005-06	131180	114331	245511	125276	109185	234463	95.5
2006-07	134355	117098	251453	134355	117098	251453	100

जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत रखा गया है तदनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्राप किये गये जो निम्नवत हैं।

वर्ष	घारण			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2001-02	43	26.5	57	73.5
2002-03	36	21	64	79
2003-04	29	15	71	85
2004-05	22	11	78	89
2005-06	15	7	85	93
2006-07	5	5	95	95

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक

तीन वर्ष पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु अलग अलग "कोहार्ट स्टडी" कराई जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद वरेली में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गिर्ड टर्म स्टडी कराई गयी थी जिसमें न्यूनतम अधिगम स्तर (एमएलएलएल) कक्षा 2 में 34.4% जबकि कक्षा 5 में 40.10% थी। कक्षा 2 में लगभग 64% बालक एवं बालिकाएँ इस न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में असफल रहे एवं कक्षा 5 में 48% बालक एवं 68% बालिकाएँ इसे प्राप्त करने में असफल रहे, कक्षा 5 में इस स्तर को प्राप्त करने में अनुसूचित जाति के बालक बालिका पीछे रहे। कक्षा 5 में 67% अनुसूचित जाति के बच्चे इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहे। कक्षा 5 की सम्प्राप्ति स्तर को दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सकता है कि बालिकाओं में यह प्राप्ति स्तर काफी कम रहा जिससे लिंग भेद स्पष्ट होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विशेष बहू देते हुए लिंग संवेदनशीलता को

समाप्त करने के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे लिंग सम्वेदीकरण प्रशिक्षण कराया गया तथा विद्यालयों में महिला अध्यापक की नियुक्ति तथा माता शिक्षक संघ का गठन कराया गया पुनः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2000 कराया गया "मिड टर्म एसेसमेंट स्टडी" करायी गयी जिसमें कक्षा 2 के बच्चों की भाषा की औसत न्यूनतम अधिगत स्तर 46.9% जो कि वर्ष 1997 में करायी गयी बेस लाइन स्टडी से 14.5% अधिक है कक्षा 2 में गणित की औसत न्यूनतम अधिगत स्तर 58.77% है जबकि वर्ष 1997 में बेस लाइन स्टडी के आधार पर यह 26.85% थी। जिसमें कि 21.92% की बढ़ोत्तरी हुई है कक्षा 5 में भाषा में औसत न्यूनतम अधिगत स्तर 39.63% था जो कि वर्तमान 49.31% है जिसमें 9.68% की बढ़ोत्तरी है। उल्लेखनीय बात यह है कि बालिकाओं का एम०एम०एल० 38.6% तथा बालकों का 41.5% था जो बढ़कर बालकों में 50.15% तथा बालिकाओं में 48.24% हो गया है। बालिकाओं में 9.64% की वृद्धि है जबकि बालकों का 8.64% की वृद्धि है जिससे यह प्रतीत होता है कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा यह कार्यक्रम लिंगभेद को समाप्त करने में सफल हो रहा है। कक्षा 5 में गणित विषय में वर्ष 1997 में औसत न्यूनतम अधिगत 29.92 तथा वर्ष 2000 में यह 35.35 है बालिकाओं में 5.68।

तुलनात्मक सम्प्राप्ति स्तर(कक्षा-2) भाषा
सारिणी 4.2

सर्वेक्षण	बच्चे		औसत
	बालिका	बालक	
मिड टर्म एसेसमेंट सर्वे 2000	49.94	43.45	46.90
बेस लाइन एसेसमेंट सर्वे 1997	33.80	30.60	32.40
वृद्धि	16.14	12.85	14.50

तुलनात्मक सम्प्राप्ति स्तर(कक्षा-5) भाषा
सारिणी 4.3

सर्वेक्षण	बच्चे		औसत
	बालक	बालिका	
मिड टर्म एसेसमेंट सर्वे 2000	50.15	48.24	49.31
बेस लाइन एसेसमेंट सर्वे 1997	41.51	38.60	39.63
वृद्धि	8.64	9.64	9.68

तुलनात्मक सम्प्राप्ति स्तर(कक्षा 5) गणित
सारिणी 4.4

सर्वेक्षण	बच्चे		औसत
	बालक	बालिका	
मिड्ले टर्म एरोरमेन्ट सर्वे 2000	35.40	35.28	35.35
वेस लाइन एरोरमेन्ट सर्वे 1997	30.05	29.60	29.93
वर्द्धि	5.35	5.68	5.42

तुलनात्मक सम्प्राप्ति स्तर (कक्षा 2) गणित
सारणी 4.5

सर्वेक्षण	बच्चे		औसत
	बालिका	बालिका	
मिड्ले टर्म एरोरमेन्ट सर्वे 2000	49.94	43.45	46.90
वेस लाइन एरोरमेन्ट सर्वे 1997	33.80	30.60	32.40
वर्द्धि	16.14	12.85	14.50

तुलनात्मक सम्प्राप्ति स्तर(शहरी व ग्रामीण) कक्षा 2 भाषा
सारिणी 4.6

सर्वेक्षण	बच्चे		अन्तर
	बालिका	बालिका	
मिड्ले टर्म एरोरमेन्ट सर्वे 2000	59.70	56	3.70
वेस लाइन एरोरमेन्ट सर्वे 1997	39.65	29.15	10.50
वर्द्धि	20.05	26.85	6.80

स्रोत एस०सी०आर०टी०

कक्षा 2 के छात्रों की भाषा में सम्प्राप्ति स्तर में शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। बेस लाइन एसेसमेंट सर्वे में शहरी क्षेत्र में भाषा में सम्प्राप्ति स्तर जहां 39.65% था वहीं मिड टर्म एसेसमेंट सर्वे में यह 59.70% पाया गया इस प्रकार शहरी क्षेत्र में सम्प्राप्ति स्तर में 20.05% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में बेस लाइन एसेसमेंट सर्वे की तुलना में मिड टर्म एसेसमेंट सर्वे में 26.85% की वृद्धि अंकित की गयी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 2 के बच्चों की भाषा में सम्प्राप्ति स्तर में बेस लाइन एसेसमेंट में जहाँ 10.50% का अन्तर था मिड टर्म एसेसमेंट सर्वे 2000 में यह घटकर 3.70% ही रहा गया।

अध्याय -5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कई समस्याएं हैं जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

इन समस्याओं के कारण प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं उसमें गुणात्मक सुधार जो अपेक्षित है उसे प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है यह निम्नवत कमियों से परिलक्षित हो रहा है—

1. अपेक्षित नामांकन न होना
2. विद्यालयों में ठहराव की कमी।
3. अपेक्षित न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति की समस्याएं।
4. छात्र अध्यापक अनुपात आवश्यकता के अनुरूप न होना।
5. भौतिक संसाधनों की कमी।

विभिन्न स्तरों पर कराये गये प्रोकस ग्रुप डिस्कशन से उभर कर आयी समस्याओं के निदान के लिये उपलब्ध संसाधनों के लिए उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

इन समस्याओं पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी समस्याओं का निदान किया जा रहा है तथा शेष समस्याओं के निदान एवं स्टेबिलिटी के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक बृहद रणनीति की आवश्यकता है इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, नये भवनों का निर्माण जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालयों के सुदृढीकरण तथा विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया जायेगा।

समस्याएं	रणनीति
<p>1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन—आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं क्योंकि उनकी सोच के अनुसार बच्चों को किसी आर्थिक धार्य में लगाने से उनकी आय बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियों के कारण विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं।</p>	<p>i. वातावरण सज्जन के माध्यम से ऐसे अभिभावकों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे, इन कार्य के लिए समाज के समस्त क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों की सहायता ली जायेगी तथा समस्त सरकारी एवं गैरसरकारी विभागों में समन्वय एवं सहयोग से जनचेतना जागरत की जायेगी इसमें महिला मंगल दल महिला समाख्या, नेहरू युवा केन्द्र, बाल विकास परियोजना, प्रेस, सूचना विभाग, ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।</p>

<p>2. शिक्षा की उपाय देयिता संद्विग्ध- जनमानस में यह भावना प्रायः विद्यमान रहती है कि शिक्षा के बाद व्यक्ति आसानी से किसी सेवा या व्यवसाय में लगकर अपना जीविकोपार्जन कर सकता है।</p>	<p>2. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे छात्रों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास होगा। नियमित पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जायेगा ताकि शिक्षा की उपायदेयिता बनी रहे इसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बालक बालिका में सिलाई कढ़ाई, फल सर्वेक्षण, बुनाई, फाइन आर्ट, ब्यूटी पार्लर के कोर्स तथा स्थानीय उद्योग को नई तकनीकी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। इसकी व्यवस्था विद्यालय के रख रखाव अनुदान से कराया जायेगा।</p>
<p>3. शिक्षा की पहुँच न होना जनपद में अभी भी कई ऐसे असेवित क्षेत्र हैं जहाँ पर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तथा कई मजरे टोले बस्तियाँ ऐसी हैं जो भौगोलिक कारण (नदी, नाल, जंगल आदि) शिक्षा से वंचित हैं।</p>	<p>3. शिक्षा की पहुँच के विस्तार के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयास किये गये हैं एवं अपेक्षित सफलता भी प्राप्त हुई है। इस सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1.5 किमी तथा 300 की आबादी वाले ग्राम/बस्तियों में प्रा०वि० तथा उ०मा० तथा 800 आबादी वाले ग्रामों में उच्च प्रा०वि० की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे मजरे टोले जहाँ पर 6 से 8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध जहाँ 9 किमी० की दूरी पर कोई विद्यालय नहीं है वहाँ पर ई०जी०एस० केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग बच्चों के लिये ए०आई०ई० की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में दोपहली बौजगा एवं चिराये के भवनों चलने वाले विद्यालय जहाँ छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थापित किया जायेगा, भौगोलिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये मानक अनुसार ई०जी०एस० केन्द्र (जहाँ पर कक्षा 1 व 2 संचालित होगी) एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों को खोला जायेगा एवं इनमें अध्ययनरत बच्चों को एवं केन्द्रों को विकसित एवं मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा।</p>
<p>4. विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी</p>	<p>4. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है।</p>

	<p>इस योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के भौतिक संसाधनों/वातावरण पर विशेष बल दिया गया है जिसमें भवन निर्माण, पुर्ननिर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, चारदिवारी, रंगाई-पुताई आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी माइक्रोप्लानिंग से उपलब्ध अंकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य, पेयजल व्यवस्था, काष्ठारोपण की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये विद्यालय अवस्थापना हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे।</p>
<p>5. छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी/अनुपलब्धता</p>	<p>5. मानकनुसार 40 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती की जानी है परन्तु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र नामांकन में वृद्धि एवं ठहराव के कारण यह अनुपात 1:40 न रहकर बढ़ गया है जिसे छात्र अनुपात असंतुलित हो गया है इस कमी को पूर्ण कराने के लिये अध्यापकों एवं शिक्षामित्रों की व्यवस्था की जायेगी, पूर्व मा०वि० में विषय अध्यापकों की कमी पूरा करने के लिये विषय अध्यापक को नियुक्ति की जायेगी जहाँ प्रा०वि० पूर्व मा०वि० के साथ संवाहित है वहाँ पर पूर्व मा० वि० के प्र०अ० दोनों विद्यालयों को संवाहित करेंगे तथा कक्षा 1 से 8 तक का समय विभाजन चक्र होगा। शिक्षकों की कमी को बहुशिक्षण प्रणाली लाई जायेगी।</p>
<p>6. शिक्षा में गुणवत्ता की कमी शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिये रा०प०का० द्वारा तैयार की गयी शिक्षक संदर्शिका एवं विषयवस्तु का ज्ञान कराने के लिये पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी।</p>	<p>6. गुणवत्ता सुधार हेतु प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष डाइट द्वारा विषय आधारित ओरियन्टेशन प्रशिक्षण कराया जायेगा, शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत सहायक शिक्षक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा जिससे बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास होगा। सहायक शिक्षक निर्माण हेतु डाइट स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया</p>

<p>7. अध्यापक के विद्यालय ठहराव में कमी/शिक्षा के प्रति अरुचि</p>	<p>जायेगा तथा इस कार्य हेतु प्रति अध्यापक का अनुदान के रूप में रूपया 500 दिया जायेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से यह कोशिश की जायेगी कि शिक्षक छात्र-छात्रों के प्रति अपनी ऐसी छवि बनाये जिससे शिक्षा सकारात्मक गुणवत्तापरक एवं प्रभावकारी हो</p> <p>7. अध्यापकों की कमी होने के कारण एवं राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यों में लगे होने के कारण विद्यालयों में ठहराव कम रहता है इसके लिये विद्यालयों से सूचना संकलन हेतु विभागीय सूचना विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी, ताकि अध्यापकों को सूचना दार बार बनाना एवं पहुँचाने समय व्यर्थ न हो। राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में अध्यापक लगे रहते हैं यथासम्भव अवकाश के दिनों में किया जाय तथा अध्यापकों को पठन पाठन के लिए पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा तथा उनके विद्यालय का एम०एल०एल० स्तर को मानक मानकर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा, अध्यापकों में शिक्षक कार्य के प्रति अरुचि दूर करने के लिये अध्यापकों विषय वस्तु आदि आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा व स्वअध्ययाय की ओर उन्मुक्त होंगे।</p>
<p>8. बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव</p>	<p>8. बच्चों में यह भावना पैदा की जायेगी कि शिक्षा बोज़ नहीं है जबकि जीवनयापन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को विद्यालय बोज़ न लगे उसके लिये रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का विकास एवं समावेश किया जायेगा, जिन शिक्षा कियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना समय विज्ञान आदि को प्रयोगी एवं सार्थक बनाकर बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, सांस्कृतिक एवं किया कलाओं का प्रसायोजन क्षेत्र भ्रमण आदि का समावेश किया जायेगा। बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए भौतिक एवं शैक्षणिक</p>

<p>9. बच्चों में उहराव को कभी</p> <p>10. शारीरिक चुनौती/बालश्रमिक/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था</p>	<p>वातावरण आकर्षक बनाया जायेगा, इस हेतु बच्चे समूह में बैठकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूहचर्चा हेतु बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों की सहायता से, तैयार की जायेगी जिससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। भौतिक वातावरण आकर्षक बनाने के लिये प्रत्येक वर्ष रंगाई पुताई करायी जायेगी एवं सदवाक्य लिखे जायेंगे, विद्यालय में खेलकूद का सामान उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>9. निर्धनता के कारण बच्चों के पास आवश्यक शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तक/कापी इत्यादि नहीं होने के कारण बच्चे विद्यालय से भले जाते हैं इस अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक समस्त छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त कल्याण/पिछडा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण से समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय कर प्रतिमाह 3 किलो मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। बच्चों के लिये निर्धारित गणवेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी जिससे विद्यालय परिवेश अनुकूलन सम्भव हो सकेगा तथा विद्यालय से बाहर बच्चों की विशेष पहचान बनेगी।</p> <p>10. शारीरिक चुनौती/बाल श्रमिक/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वे कराकर स्वास्थ्य विभाग/श्रम विभाग से समन्वय स्थापित कर इन्हें विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा तथा विकलांग बच्चों को समन्वित शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग कल्याण विभाग/गैर सरकारी संगठन से उपकरण उपलब्ध कराया ताकि शिक्षा से सही ढंग से जुड़ सकें।</p>
--	---

<p>11. निरीक्षण/पर्यवेक्षण/सतत मूल्यांकन की आवश्यकता</p>	<p>11. शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत प्रभारी के द्वारा विद्यालयों का समय-समय पर प्रभावी निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण विद्यालयों की प्रत्येक माह ग्रेडिंग की जायेगी जिन्हें ए, बी, सी, डी श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा तथा प्रभावी पर्यवेक्षण से ग्रेडिंग में प्रत्येक माह सुधार आयें। कोटिपरक शिक्षा के लिये सतत मूल्यांकन मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक, परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात कमजोर छात्रों से सम्पर्क स्थापित कर, निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा मेधावी छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा।</p>
<p>12. समुदाय/समाज की सक्रिय सहभागिता का अभाव</p>	<p>12. समुदाय एवं समाज की सक्रिय सहभागिता के लिये सूक्ष्म नियोजन के आधार पर नियोजन प्रक्रिया विकेंद्री की जायेगी तथा ग्रामवासियों को नियोजन एवं क्रियान्वयन के हर स्तर पर सहयोग एवं उन्हें जोड़ा जायेगा ताकि उनके अन्दर भावना विकसित हो वह विद्यालय हमारा है विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और इसी से आने वाले समय में गांव की प्रगति हो सकेगी। इसके लिये ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा तथा उसकी नियमित बैठक करायी जायेगी जिसमें शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि एवं अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे। सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के लिये पी०टी०ए०/एम०टी०ए० का गठन किया जायेगा जिसमें महिलाओं, अपवाचित/उपेक्षित वर्ग के अभिभावक की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। एम०टी०ए०/पी०टी०ए० के माध्यम से अध्यापक का सम्पर्क निरन्तर समाज से बना रहेगा, का ज्ञान होता रहेगा।</p>

अध्याय-6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार

1. नवीन प्रा0 विद्यालय भवनों की आवश्यकता— जनपद वरेली में सर्वेक्षण के अनुसार 120 असेवित वस्तियां चिन्हित की गयी थी जहाँ पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रा0वि0 भवनों का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा वर्तमान में विद्यालय संचालित है।

2. उच्च प्रा0वि0 की आवश्यकता-

सर्वेक्षण के अनुसार 107 ग्राम/वस्तियाँ ऐसी चिन्हित की गयी है जिनमें मानकानुसार उच्च प्रा0वि0 नहीं है।

उच्च प्रा0वि0 खोलने का वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उप्रा0वि0	0	19	19	-	-	-

इस अभियान के अन्तर्गत 38 नवीन उपप्रा0 वि0 प्रस्तावित है जिनकी स्थापना के बाद असेवित बस्तियाँ नहीं रह जायेंगी ।

शिक्षक की व्यवस्था -

प्रत्येक उ०प्रा० वि० में एक प्र०अ० एवं ०४ स०अ० सहित कुल ०५ अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी ०४ अध्यापकों में से एक विज्ञान एवं एक गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु ०१ महिला शिक्षिका की व्यवस्था की जायेगी ।

विद्यालय साज सज्जा -

प्रस्तावित निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने के बाद विद्यालयों को आकर्षक एवं सुसज्जित किया जायेगा जिसके लिये नवीन उ०प्रा० वि० का फर्नीचर /उपकरण के लिये ५०,०००/- प्रति विद्यालय उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें काष्टोपकरण, शिक्षण सामग्री/पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जायेगी । इन सभी की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी । विद्यालय विकास अनुदान प्रत्येक नवीन प्रा० एवं उ०प्रा० वि० को २०००/- रुपये की दर से वार्षिक व लाइब्रेरी के लिये १५०००/- उपलब्ध कराया जायेगा । अनुपूरक शिक्षण सामग्री ५०००/- की दर से उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रत्येक विद्यालय को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा ।

नवीन उ.प्र. विद्यालय साज सज्जा -

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रम किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेंट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, स्क्रिपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की)

निर्माण कार्यदायी संस्था -

सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति को सौंपी गयी है ।

नवीन उच्च प्रा० विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था-

जनपद में आवश्यकतानुसार उ०प्रा० वि० की स्थापना वर्तमान प्रा० विद्यालयों के परिसर में ही की जायेगी जिसे वहां उपलब्ध सभी भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके । जहां सुविधाजनक होगा वहां प्रा०वि० को उच्चिकृत किया जा सकता है ।

नवीन 30प्रा0 विद्यालय साज-सज्जा: -

ग्राम शिक्षा समिति के मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कय किया जायेगा- गेज, कुर्सी वाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इवयुजोन्ट(ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, वांसुरी आदि) कीडा सामग्री(फुटबाल, वालीबाल), स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

सर्वेक्षण एवं तकनीकी प्रशिक्षण -

जनपद में नवीन प्रा0/उच्च प्रा0 विद्यालयों की स्थापना आवश्यकतानुसार असेवित बस्ती में की जायेगी तथा उत्पन्न समस्याओं, आवश्यकता एवं भौतिक सुविधाओं के आकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष बताया जायेगा ताकि आगामी वर्ष की कार्य योजना में सम्मिलित किया जा सके थे।

निर्माण कार्य वा तकनीकी पर्यवेक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये मानक अनुरूप निर्माण, गुणवत्ता एवं कार्य की तकनीकी देखभाल हेतु स्थानीय स्तर पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं लघु सिचाई विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं को मानदेय के आधार पर "निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण" कराने की व्यवस्था की गयी थी जिससे प्राप्त अच्छे परिणामों को ध्यान में रखते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति सर्व शिक्षा अभियान में भी उक्त विभागों के अभियन्ताओं से सहयोग प्राप्त किया जायेगा ताकि गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य सम्पन्न हो सके।

शिक्षा की पहुँच का विस्तार II

शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा:- प्राथमिक शिक्षा के सारभौमीकरण के लक्ष्य के दृष्टि से प्रतिशत प्राप्त करने के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ वर्ष 1979- 80 से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इसके अन्तर्गत 6-11 वय वर्ग के उन बालक बालिकाओं को जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे, को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध कराना था। जनपद बरेली में यह योजना 09 विकास खण्डों में लागू थीं इन प्रत्येक विकास खण्ड में 100केन्द्र संचालित थे। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये थे इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मुख्य धारा से जोड़ना था। वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षा योजना अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। जिसके कारण इसे मार्च 2001 में समाप्त कर दिया गया।

शिक्षा गारन्टी योजना- 6-8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बालक बालिकाओं को इस योजना के अन्तर्गत संचालित विद्या केन्द्रों में कक्षा 1 व 2 में नामांकित किया जायेगा। ये विद्या केन्द्र योजना के उत्पत्ति उन ग्रामों/वसतियों/मजरा में खोले जायेंगे जहाँ 1 किमी० की परिधि में कोई औपचारिक विद्यालय नहीं है तथा 6- 8 वय वर्ग के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों। इन विद्या केन्द्रों में कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई होगी तथा इनका संचालन आचार्य जी द्वारा होगा। यथा सम्भव इन केन्द्रों को औपचारिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा अन्यथा इन केन्द्रों के बच्चों को निकट के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा।

विकास सर्वेक्षण के अनुसार 6-11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्न है।

क्र० सं०	विकास क्षेत्र का नाम	बालक	बालिका	योग
1.	मझगवां	780	905	1685
2.	रामनगर	1033	1845	2878
3.	आलमपुर	663	1043	1706
4.	फरीदपुर	820	913	1733
5.	भुता	1315	1438	2753
6.	नवाबगंज	1719	1944	3663
7.	भदपुरा	411	561	972
8.	दमखोदा	811	892	1703
9.	बहेड़ी	868	1001	1869
10.	शेरगढ़	2955	3061	6016
11.	मीरगंज	749	889	1638
12.	फतेहगंज (प०)	875	938	1810
13.	क्यारा	670	669	1339
14.	विथरी	1137	1302	2439
15.	भोजीपुरा	727	718	1445
	योग	15533	18116	33649

नगर क्षेत्र

क्र०स०	विकास क्षेत्र का नाम	बालक	बालिका	योग
	बरेली	835	1223	2058
	आँवला	140	232	372
	फरीदपुर	115	185	300
	बहेड़ी	90	125	215
कुल योग		16713	19881	36594

सर्वेक्षण के अनुसार 11-14 वय वर्ग विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्र०स०	विकास क्षेत्र का नाम	बालक	बालिका	योग
1.	मझगंवां	367	979	1346
2.	रामनगर	456	755	1211
3.	आलमपुर	668	885	1553
4.	फरीदपुर	425	672	1097
5.	भुता	742	522	1264
6.	नवाबगंज	690	1924	2614
7.	भदपुर	382	603	985
8.	दमखोदा	745	790	1535
9.	बहेड़ी	1008	1214	2222
10.	शेरगढ़	1545	1935	3480
11.	मीरगंज	580	389	969
12.	फतेहगंज (प०)	746	670	1416
13.	क्यारा	221	620	841
14.	बिथरी	632	945	1577
15.	भोजीपुरा	705	524	1229
	योग:-	9912	13427	23339
	नगर क्षेत्र			
	बरेली	536	935	1471
	आँवला	205	413	618
	फरीदपुर	40	216	256
	बहेड़ी	119	210	329
	महायोग	10812	15201	26013

परिवार सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5-6 वर्ष		7-10 वर्ष		11-14 वर्ष	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1 अपने घर में लगे रहना	0	0	4315	4352	1267	4963
2 मजदूरी में लगे रहना	0	0	2031	1712	3807	1643
3 भाई बहनों की देखभाल	0	0	2129	5207	857	4811
4 विद्यालय का दूर होना	0	0	2613	3185	1131	1305
5 अन्य	0	0	5625	5425	3750	2479
योग	0	0	16713	19881	10812	15201

6-8 तक वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 180 विद्या केन्द्र प्रस्तावित है।

औपचारिक विद्यालयों से 1 किमी की दूरी तथा असेवित बस्तियों में न्यूनतम 30 बच्चे उपलब्ध होने के मानक के आधार पर सम्पूर्ण अभियान अवधि में 180 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने हेतु चिन्हित किया गया है जिन्हें से प्रथम चरण में 90 तथा द्वितीय चरण में 90 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इन प्रस्तावित केन्द्रों की सूची निम्नवत है:-प्रथम चरण में खोले जाने ए0आई0ई0 केन्द्रों की संख्या

ब्लाक दमखोदा	ए0आई0ई0 केन्द्रों के स्थलों का नाम
	1. वंजरिया 2. ऐठपुरा 3. संखूपुरा 4. चका 5. ठिरिया बाँके उदरा
विथरी	1. आसपुर खूवचन्द्र 2. नौगवा जागीर 3. हरहरपुर 4. आलमपुर 5. चौसन्डा 6. लिलोड़ी 7. टाह ताजपुर
फरीदपुर	1. कुइया खेड़ा 2. अरतू नगला 3. खरा गौटिया 4. खजुरिया 5. राम नगर 6. धिमरपुरा 7. कपूरपुर 8. मकरन्दापुर 9. विक्रमपुर 10. मटैनिया

आलमपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. गिलनक गंशासाम 2. हाजीपुर 3. राम नगर 4. संग्रामपुर 5. गनेशपुर 6. किसान गोटिया 7. आनन्दपुर 8. गंगापुर 9. सुल्तानपुर 10. अवरा 11. पथरी 12. मदपुरी 13. पड़आ 14. देवपुरा 15. भूड़ा
ब्लाक- नवाबगंज	<ol style="list-style-type: none"> 1. वसेगा 2. चुनुआ 3. फरीदापुर नवादा 4. मटकोला 5. गूलर डाडी 6. बरौरा 7. वथुआ नवादा
ब्लाक- बहेड़ी	<ol style="list-style-type: none"> 1. मधुकर पुर 2. पढेरा 3. महोलिया
ब्लाक- भुता	<ol style="list-style-type: none"> 1. कोवा खेड़ा 2. बजरिया इलाका जेड़

	3.	डडिया हेतराम
	4.	बमिया शकरपुर
	5.	अठाइनपुर
	6.	चकरपुर
	7.	मितौरा
	8.	गुलनडिया मकरन्दपुर
	9.	रियोना धेमरा
	10.	गनेश खेड़ा
	11.	वाहनपुर
	12.	पहलऊ
	13.	रूपापुर
ब्लाक फतेहगंज ब्दपश्चिमीक	1.	विथूपुरा
	2.	खजुरिया
	3.	दुर्गापुर
	4.	खुरमपुर
ब्लाक भदपुरा	1.	जगीडाड़ी
	2.	फरीदापुर
	3.	पहरापुर
	4.	गौटिया
	5.	डडुआ
	6.	कितकापुर
	7.	देश नगर
	8.	सतवन पट्टी
शेरगढ़	1.	पिपरा
	3.	तुलसीपुर
	4.	सुमाली
	5.	गिरधरपुर

	6.	लखा
	7.	हल्दी गौटिया
	8.	हटागंज
	9.	मिलक
मझगवा	1.	कमालपुर
	2.	गिरधरपुर
	3.	गिरन्दपुर
क्यारा	1.	रोठा मिलक
	2.	रमचन्दपुर
	3.	तिलपुरा
	4.	भाट
भोजीपुरा	1.	चटिया जगन्नाथ
	2.	खन्जनपुर

द्वितीय चरण में खोले जाने वाले ए0आई0ई0 केन्द्रों की सूची

ब्लाक का नाम	ए0आई0ई0 केन्द्रों के स्थलों का नाम
1. दमखोदा	1. ठिरिया जसोदा 2. गुलडिया अता हुसैन
2. बिथरी	1. नवदिया इलाका सिहाई 2. मल्लपुर डूडा 3. मनपुरिया जानकी प्रसाद 4. गुलडिया रजकवा किसान 5. महेशपुर शाह इमामुद्दीन 6. दीदार पट्टी
3. फरीदपुर	1. सथरापुर 2. दुथोका

	<ol style="list-style-type: none"> 3. कमनपुर 4. गंगापुर 5. मिटरा मिटरिया 6. अहरपुर गौटिया 7. गौस गंज तराई 8. गौटिया मजरा लधौली कला 9. सिमरा इलाका बाक्तियारामपुर 10. भोजपुर ओसड़ 11. वरैदा गौटिया 12. सिमरा हरचन्द सिंह 13. नवदिया इलाका सहोड़ा 14. रधौली खुर्द 15. दीपपुर
4. आलमपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. खमरिया झडी 2. नगरिया देहा जब्ती 3. अड्डपुरा 4. अरु नगला 5. वावू नगला 6. गौटिया अख्तर नगर 7. भुड़िया 8. भोलापुर 9. हासमपुर 10. खेड़ा 11. शाकरपुर 12. ब्रहमपुर 13. गौटिया सिध्दू

	14. ख्योराजपुर 15. सेंधी 16. तौलकपुर 17. मझा
5. नवाबगंज	1. डडिया मोहसिन 2. सैदपुर 3. कचनरा 4. मूसापुर 5. चन्दपुरमाफी 6. टाडा ख परोथी के पास 7. सतुइया
6. बन्नेड़ी	1. परोही 2. सिमरा
7. भुता	1. डमौरा तालुका गंगापुर 2. महेशपुर 3. चदोका छेदा 4. वरखेड़ा 5. चडिया फैजू 6. खजनपुर 7. सलेमपुर 8. डडिया बुधौली 9. मुड़िया द्व लाइपुर 10. करेना दौलतपुर 11. जवाहर गंज 12. गुलाइया जगत 13. गुलाइया हजारी लाल
8. मीरगंज	1. मकड़ी खो

	2.	करामत गंज
9.	फतेहगंज द्वप0ऋ	1. दिनरा 2. धौर सतुइया 3. भूड़ भड़ौली 4. रसुलिया 5. खरगपुर 6. पटवइया
10.	भदपुरा	1. गौटिया गोपालपुर 2. वकुचिया किशनपुर 3. नौगवा वीरान 4. फतेहगंज 5. चहिया रहमत अली 6. देश नगर
11.	शंरगढ़	1. मुड़िया ऊदा 2. ठिरिया नवाजिसपुर 3. प्रहलादपुर 4. सुन्दर गौटिया 5. कवरा किशनपुर 6. अभूपुरा 7. कमालपुर 9. उल्हैतापुर
12.	मझगवाँ	1. जगमनपुर 2. चाँदपुर नौगवा ब्रहमनान
13.	क्यारा	1. वरकलीगंज 2. इचौरिया 3. ताल गौटिया

E.G.S. 31 नववाची शिक्षण वृष्ट 52 मिनट दिना जाता है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा:- वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा ड्रॉप आउट होने के फलस्वरूप एवं अधिक आयु हो जाने के कारण शैप/मासिक दवाब के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर बालिकाएं कामकाजी तथा बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों त्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतवों/ मदरसों में बालक बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में ए0आई0ई0 की व्यवस्था की जायेगी।

शुष्की- झोपड़ी मलिन परिस्थितियों बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थल आदि में 6-11 तथा 9- 14 आयु वर्ग के ड्रॉप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत 6- 11 वय वर्ग से बच्चों के लिए ज्ञान केन्द्र तथा 9- 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ज्ञान शाला संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों पर बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जायेगा तथा इन बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की किसी भी कक्षा में उपयुक्त प्रवेश दिया जा सकेगा।

शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक (E.G.S.) वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप:- इस सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसी अशुभित बस्तियाँ जहाँ पर औपचारिक केन्द्र नहीं हैं तथा ड्रॉप आउट छात्र/ छात्रा अधिक हैं वहाँ पर ई0जी0एस0 वैकल्पिक एवं नवाचार खोला जाना प्रस्तावित है।

इन केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं होगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रति दिन 4 घण्टे संचालित किये जायेंगे।

ई०जी०एस०/ए०आई०ई० खोलने का वर्षवार विवरण निम्नवत है-

क्र०	वर्ष	रवीकृत		संचालित		ब्रिजकोर्स
		विद्या केन्द्र	शिक्षाघर	विद्याकेन्द्र	शिक्षाघर	एन०पी०आर०सी०
1	2000-01	-	100	-	100	-
2	2001-02	113	87	93	76	-
3	2002-03	113	87	106	79	-
4	2003-04	113	87	113	87	144

क्र०	वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या								
		ई०जी०एस०			ए०आई०ई० प्राथमिक स्तर			ए०आई०ई० उच्च प्राथमिक स्तर		
		पूर्व में स्वी	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वी	नये केन्द्र	योग	पूर्व में स्वी	नये केन्द्र	योग
1	2003-04	113	-	113	87	-	87	-	-	-
2	2004-05	113	-	113	87	90	177	-	50	50
3	2005-6	113	-	113	177	90	267	50	50	100
4	2006-07	113	-	113	267	90	357	100	50	150

नोट- सर्व शिक्षा अभियान में शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तीसरे वर्ष में ६० केन्द्र और प्रस्तावित किये गये हैं।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आउट आफ स्कूल बच्चों को पंजीकृत किये जाने हेतु विद्या केन्द्र, वै०शि० केन्द्र के शिक्षाघर तथा ब्रिज कोर्स शिविरों के माध्यम से वर्ष 2003-04 में लगभग 15000 बच्चे आच्छादित करने का नियोजन कर लिया गया है स्कूल चला अभियान के अन्तर्गत नामांकन सुनिश्चित कर लिये जाने के बाद जो बच्चे स्कूल में पंजीकृत नहीं हो सके उन्हें उपरोक्त नाडलों के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा रहा है यह लक्ष्य आने के वर्षों में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जायेगा। इस प्रकार 113 ई०जी०एस० केन्द्रों में प्रति केन्द्र 30 बच्चों की दर से 3390 बच्चे, 87 केन्द्रों में मुख्य रूप से मजदूरी करने वाले बच्चों को प्रति केन्द्र अधिकतम 50 बच्चों की दर से 4350 बच्चे तथा 144 ब्रिज कोर्स द्वारा 50 बच्चों की दर से 7200 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। शेष बच्चों को प्राथमिक ए०आई०ई० में नामांकन करने का प्रस्ताव है।

अनुदेशक का चयन

जहाँ पर अनुदेशक का चयन किया जाना है अभ्यर्थी उसी गाँव/ मजरे का निवासी होना चाहिए। यदि उस ग्राम/ मजरे में अहं अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो नजदीक के गाँव या मजरे अथवा न्याय पंचायत का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस हेतु महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।

अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा अनुदेशक पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरीयता (श्रेष्ठता) के आधार पर किया जायेगा। तदोपरान्त अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र ग्राम प्रधान (अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति) द्वारा निर्गत किया जायेगा। यदि किसी अनुदेशक का कार्य सन्तोषजनक नहीं है तो उस स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित करके अनुदेशक को हटा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया यह निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में जिन स्थानों पर वै०शि० केन्द्रों को खोला जाना है उन स्थानों के वै०शि० केन्द्रों के अनुदेशकों का चयन जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी/ विशेषज्ञ वेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/ मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/ मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अहं व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों का यह दायित्व होगा कि वे इस बात का प्रचार प्रसार करें कि स्थानीय जन समुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उनके चयन के सम्बन्ध में जागरूकी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर खोले जाने वाले केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर नियमों को शिथिल करते हुए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के बीच एक अनुबंध प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण:- अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु सन्दर्भ व्यक्तियों का चयन डायट के प्रवक्ताओं, स०वे०शि० अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक समन्वयक तथा योग्य अध्यापकों में से किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक के मानदेय का वितरण:- बै० शि० केन्द्रों के प्रारम्भिक चयन होने पर जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि ₹० 1000.00 प्रति अनुदेशक की दर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी जिसे ग्राम प्रधान (अध्यक्ष) एवं सचिव (प्र० अ०) ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को घेक के माध्यम से महीने के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। अनुदेशकों के मानदेय की यह धनराशि १६ माह की अग्रिम ग्राम शिक्षा निधि खातों में स्थानान्तरित की जायेगी। केन्द्रों के सफलतापूर्वक संचालन की स्थिति स० वे० शि० अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की आस्था के आधार पर अगले छः माह की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

जिन केन्द्रों का संचालन नगर क्षेत्र में हो रहा है उन केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समुचित रूप से अनुदेशक द्वारा सन्तोषजनक कार्य करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

पर्यवेक्षण

शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार योजना के अन्तर्गत खोले गये केन्द्रों को अकादमिक सहयोग तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य सम्बन्धित विकास क्षेत्र के सी०वी०ई० अधिकारी /एस०डी०आई० द्वारा किया जायेगा। विकास क्षेत्र के वी०आर०सी० समन्वयक तथा न्यायपंचायत प्रभारी भी अकादमिक सहयोग एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। नगर क्षेत्र में उक्त कार्य नगर शिक्षा अधिकारी सहायक नगर शिक्षा अधिकारी तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। वी०आर०सी० समन्वयक तथा न्याय पंचायत प्रभारी की वार्षिक बैठकें आयोजित की जायेंगी। जिसमें सी० वैसिक शिक्षा अधिकारी/ उपवैसिक शिक्षा अधिकारी/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी प्रति भाग कर इन बैठकों का अनुभ्रवण करेंगे एवं उनकी समस्याओं का समाधान कर समुचित मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे केन्द्रों के निकटतम प्रा०वि० के प्रधानाध्यापक /उच्च प्रा०वि० के प्रधानाध्यापक भी पर्यवेक्षण का कार्य करके ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को प्रदान करेगी। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा किया जाना जिससे वे व्यापक पर्यवेक्षण सम्पादित हो सकें।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :- सर्वशिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत संचालित शिक्षा केन्द्रों को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था कार्यालय जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता जनसमिति ग्राम शिक्षा निधि गठने में पीछे स्थानान्तरित कर दी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र के अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जायेगी। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों का निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी/ ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा इस धनराशि का समायाजन शिक्षण सामग्री 6845 प्राथमिक

1200 उच्च प्राथमिक मद से किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का ही प्रयोग इन वे0 शि0 केन्द्रों में किया जायेगा ।

छात्र छात्राओं का मूल्यांकन — शिक्षा केन्द्रों में नामांकित एवं अध्ययनरत बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन अनुदेशक ही करेंगे इसके लिए अनुदेशक द्वार दैनिक डायरी तैयार की जायेगी । अनुदेशक बच्चों का तिमाही छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर करेंगे । अनुदेशक द्वारा बच्चों के लिए मासिक टेस्ट की भी व्यवस्था की जायेगी । अनुदेशक यह भी प्रयास करेंगे कि वे0शि0 केन्द्रों में पढने वाला प्रत्येक बच्चा अतिशीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा में जिसके लिए वह योग्य है प्रवेश पा सके ।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके शैक्षिक एवं व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा । केन्द्रों में पढने वाले बच्चों जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कराई जायेगी ।

ग्रीष्म कालीन शिविर /ब्रिज कोर्स शिविर— इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जाना है सामान्यतया 9--14 वय वर्ग के बच्चों को इन शिविरों में लाया जायेगा । इन शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक आवश्यकतानुसार होगी । इन शिविरों में न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे । बच्चों के खाने पीने एवं शिक्षण की व्यवस्था निःशुल्क होगी ।

ब्रिज कोर्स /शिविर के लिए एक केयर टेकर दो पैरा टीचर एक रसोइया तथा एक कीर्दार की आवश्यकता होगी । ये शिविर ब्लॉक/जिला मुख्यालय पर लगाये जायेंगे ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जाने वाले ब्रिज कोर्स तथा सप्तर कैम्पों का वर्षवार विवरण निम्नवत है—

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ब्रिज कोर्स	—	1	2	2	2	2
सप्तर कोर्स	—	0	0	10	10	0

नवाचार शिक्षा केन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ब्रिज कोर्स/शिविरों के प्रस्तावों की प्रस्तुति एवम् उनका अनुमोदन :- सूक्ष्म नियोजन से सम्बन्धित सूचनाओं /आंकड़ों का विश्लेषण एवम् समीक्षा करने के पश्चात ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष खण्ड विकास अधिकारी सदस्य सचिव स0बे0श10 अधिकारी /प्रांते उप विद्यालय निरीक्षक विकास खण्ड का ग्राम प्रधान एवं वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होंगे के द्वारा तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी उसके पश्चात संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी ।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन :- जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा । जो कालान्तर में सर्वशिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा तथा इनमें निम्न सदस्य होंगे ।

- अध्यक्ष – जिलाधिकारी
- सदस्य सचिव – विशेषज्ञ /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
- सदस्य– जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी
- सदस्य– प्राचार्य डायट
- सदस्य – जिला पंचायत राज अधिकारी
- सदस्य– गेत्ता एव लखाधिकार (ब0श10प0)
- सदस्य– स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रातेनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी

1. ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रातेशत कम हो ।

2. अनुसूचित जाति / जन जाति बाहुल्य क्षेत्र
3. ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट बच्चों की संख्या अधिक हो ।
4. ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट विल्डनेस, बालश्रमिक एवम् खतरनाक गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो
5. ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय / शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालय नहीं हैं ।

यह केन्द्र ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत मवन चौपाल अथवा विवाद रहित अन्य किसी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है ।

ब्रिज कोर्स / शिविरो के वित्तीय मानक - उपरोक्त का संचालन ग्रामीण क्षेत्र / नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा । जिसमें बच्चों के रहने तथा खाने पीने एवं शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी इसकी लागत प्राइमरी / अपर प्राइमरी केन्द्रों की लागत से कुछ अधिक रखी जा सकती है परन्तु किसी भी दशा में 3000/- प्रति छात्र/छात्रा से अधिक कदापि नहीं हो सकती है । यदि आवासीय व्यवस्था निःशुल्क मिल जाय तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी या किराये की व्यवस्था की जाये । इसके अतिरिक्त ब्रिज कोर्स के संचालन के लिए एक केयर टेकर (care Taker) दो अनुदेशक एक रसोइया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्प कालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जाय केयर टेकर / अनुदेशक के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र / छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति ही रखी जायेगी । केवल आवासीय व्यवस्था खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज-सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी । अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था ग्राम पंचायत / ग्राम शिक्षा समिति / जन समुदाय से कुछ अर्थ अवश्य प्राप्त किये जाये ।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (ई0जी0सी0/ए0एन0ई0ई0) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं ।

1. 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना
2. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण तैयार करना।
3. अनुदेशकों का वयन करना।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रों का साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों के प्रशिक्षण के उपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन उनको प्रतिदिन निरीक्षित करना।
8. केन्द्रों में पढने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदंड का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग करना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार कराना।
3. वल्लस्तर रिसोर्स पर्सन (सी0आर0पी0) की सहायता से केन्द्रों शिविरों का भ्रमण करना तथा पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण को व्यवस्था कराना।
4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ दालाओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य :-

1. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में नाइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपव्यक्त वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

2. केंद्र/ट्रिजकोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावों का स्टेट सोसायटी का प्रस्तुत करना।
3. कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कन्वर्जेन्स कर कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. कार्यक्रम का नियमित अनुमूला करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना।
6. स्टेट सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों का संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध करना।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा :- जनपद बरेली में ऐसे विकलांग बच्चे जिनका नामांकन औपचारिक विद्यालयों में नहीं हुआ है उनका विकास क्षेत्रवार चिन्हंकन कर वरीयता के आधार पर ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 केंद्रों को स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों को वे0शे0 केंद्रों में लाने के लिए 18 वर्ष की आयु की सीमा का निर्धारण किया गया है। जिस ग्राम/मजरे/बस्ती में विकलांग बच्चे हैं उनके लिए छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए वे0शे0 केंद्र में न्यूनतम बालिका संख्या के आधार पर ग्राम/मजरे/बस्ती में वे0शे0 केंद्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। चेतना जागरण एवं बालिका शिक्षा में रुचि को बढ़ाने के लिए सानुदायिक सहभागिता, कला उत्सव, महिला मंगल दल, गाँव मेला किशोरी संघ आदि का सहयोग लिया जायेगा।

अल्पसंख्यकों के लिए वै0शि0 केन्द्र :- 6-14 वय वर्ग के अल्प संख्याक समुदाय के जो बच्चे मकतब में गजहवी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए वै0शि0 केन्द्र खोला जायेगा। ऐसे बच्चों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक एवं नवाचार योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में अनुभवी स्वयं सेवक संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में सहयोग लिया जायेगा। विकास खण्ड स्तरीय/नगर स्तरीय क्षेत्रों में इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिला स्तरीय समिति जनपद के अच्छे एवं कर्मठ स्वैच्छिक संगठनों को उनके अनुरोध पर केन्द्रों का आवंटन कर सकती है परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों में ओवर लैपिंग न हो पाये।

नवाचार माड्यूल 11-14 वर्ग हेतु

ऐसे बच्चे जिनकी आयु 11-14 वर्ष के बीच हो चुकी है, ओर औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से वंचित हो गये हैं उनके लिए नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कतिपय (Innovative Models) इनोवेटिव माडल्स तैयार किये जायेंगे। इस कार्य हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडल विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू0 50,000/- का इनोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। प्रथम दो वर्षों इस आयु वर्ग हेतु कम से 2-3 माडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी। वर्तमान में परियोजना परिषद/SCERT में उपलब्ध माड्यूल्स प्रयोग किये जायेंगे।

परिवार सवेक्षण आकड़ों का वार्षिक अधावधिकरण :- सूक्ष्म नियोजन के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के द्वारा 6-11 तथा 11-14 वर्ष के बच्चों के विषय में जानकारी प्राप्त कर विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाता है। कम आयु एवं अधिक आयु के बच्चों को चिन्हित करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण

सर्वेक्षण का पुनरावलोकन किया जाएगा/प्रतिवर्ष हाउस होल्ड आकड़ों को प्राप्त किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू0 50,000/- की व्यवस्था रखी गयी है।

11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या को सूक्ष्म नियोजन के आधार पर प्राप्त किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं विद्यालयों में ठहराव की समस्या के कारण अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ठहराव की कमी के कारण ड्राप आउट की समस्या निरन्तर बनी रहती है। बालिकाओं में ठहराव की कमी व ड्राप आउट की समस्या बालकों की अपेक्षा अधिक है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वर्ष 2007 तक विद्यालयों में ड्राप आउट शून्य हो जाय। ठहराव की वृद्धि करने के लिए इस अभियान के अन्तर्गत मुख्य प्रयास निम्न लिखित है।

1. भौतिक वातावरण एवं शैक्षिक वातावरण का निर्माण - सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नवीन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराना जर्जर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पेयजल, शौचालय, छाहरदीवारी इत्यादि का निर्माण कराना सम्मिलित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत 406 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है तथा 99 नवीन प्राथमिक भवन एवं 54 जर्जर भवनों का निर्माण डीपी0ई0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2002,2003 में कराया गया। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनके निर्माण का कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है इसी प्रकार 107 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष में 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण 11वें वित्त आयोग में प्रस्तावित है अतः शेष 38 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है।

प्रस्तावित निर्माण कार्य / आवश्यकता

क्र०सं०	निर्माण कार्य	प्रा० विद्यालय	उच्च प्रा० वि०
1.	नवीन विद्यालय	-	38
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	919	481
3.	शौचालय	600	30
4.	हैण्डपम्प	18	18

नवीन/उर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में 38 नवीन उच्च प्रा० वि० भवनों का निर्माण कराया जायेगा यह निर्माण कार्य वर्ष 2002- 2003 एवं 2003- 2004 में पूर्ण कराया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष:- जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 919 एवं उच्च प्रा० वि० में 481 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जायेगा। इस निर्माण कार्य के उपरान्त सभी प्रा० वि० तीन काक्षीय एवं उच्च प्रा० विद्यालय 5 काक्षीय हो जायेंगे। अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जायेगा। वर्ष 2003-04, 2004-2005, 2005-2006 में करा लिया जायेगा।

शौचालय: - जनपद के 30 उच्च प्रा0 विद्यालयों में शौचालयों की आवश्यकता है

जिनका निर्माण कार्य वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में करा लिया जायेगा। प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2004-05 में 300, वर्ष 2005-06 में 200 एवं वर्ष 2006-07 में 100 शौचालयों की आवश्यकता की प्रस्ताव है।

पेयजल व्यवस्था: - जनपद में 18 प्राथमिक एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन सभी विद्यालयों में 2004-05 तक पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी

वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता :-

वर्ष	परिषदीय कुल नागांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग	40 : 1 की दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	अधिक	कम
2001-02	345726	4324	322	4646	8643	3997		
2002-03	353983	6323	2320	8643	8852	209		
2003-04	362661	6428	947	7475	9066	1591		
2004-05	371438	6535	947	7482	9285	2595	902	139
2005-06	380426	7507	1848	9355	9510	115	65	50
2006-07	389633	7612	1848	9510	9740	230	120	110

उक्त वर्षों के अवशेष के कारण वर्ष 2004-05 में 1693 शिक्षा मित्र की मांग की गई है।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गावदार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा। वर्ष 2005-2006 में 05 प्राथमिक एवं 05 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं।

वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रधान अध्यापक तथा शिक्षक मित्र	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
2001-02	3997	-	1999	1998	1999	1998
2002-03	209	-	105	104	2104	2102
2003-04	214	-	107	107	2211	2209
2004-05	220	-	110	110	2321	2319
2005-06	224	-	112	112	2433	2431
2006-07	230	-	115	115	2548	2546
योग	5572		2786	2786	14603	14598

शिक्षा मित्रों की आवश्यकता :- वर्ष 2001-02 से वर्ष 2006-7 तक के अनुमानित नामांकन के आधार पर 40 : 1 छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर निकाली गयी शिक्षकों की आवश्यकता को शिक्षक एवं शिक्षा मित्र को समानुपात में रखने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार शिक्षा मित्रों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में

शिक्षकों की आवश्यकता-

वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1 : 5 की दर से शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
2001-02	266	-	1330	818	512
2002-03	284	19	1515	1420	
2003-04	303	19	1610	1515	
2004-05	322	-	1610	1610	-
2005-06	322	-	1610	1610	-
2006-07	373	-	1610	1610	-

विद्यालय विकास अनुदान :- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय विकास अनुदान की प्रभावकारिता को देखते हुए जनपद में संचालित परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय विकास अनुदान का प्रविधान २००० की दर से प्रति विद्यालय किया गया है। जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है-

विवरण	2004-05			2005-06			2006-07		
	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग
प्राथमिक	1701	-	1701	1701	-	1701	1701	-	1701
उच्च प्रा	331	16	347	331	16	347	331	16	347

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण :- जनपद में संचालित परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनु० जाति एवं जनजाति के बालकों एवं समस्त वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

विवरण	2004-05			2005-06			2006-07		
	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग
प्राथमिक	216073	-	216073	221258	-	221258	226569	-	226569
उच्च प्रा	21162	1137	22299	21670	1163	22833	22190	1192	23382

शिक्षक अनुदान :- कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय, राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं शिक्षामित्रों को प्रति वर्ष शिक्षण सामग्री तैयार करने हेतु शिक्षक अनुदान दिया जायेगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

शिक्षको की उपलब्धता

विवरण	2004-05			2005-06			2006-07		
	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग	परि/शा०	सहा०प्राप्त	योग
प्राथमिक	7039	-	7039	8056	-	8056	8276	-	8276
उच्च प्रा	1095	80	1175	1095	80	1175	1095	80	1175

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किये जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 5-5 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि कुल 20 उच्च प्रा0वि0 में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रविधान किया गया है।

वर्षवार	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कम्प्यूटर हेतु उ0 प्रा0वि0 की सं0	-	0	5	5	5	5

विद्यालय सुविधा:- प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के रख रखाव हेतु रु0 5 हजार रुपये का अनुदान किया जायेगा। प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान के लिए 2000 (दो हजार) की दर से दिया जायेगा। 16 सहायता प्राप्त एवं 9 शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान प्रति वर्ष दिया जायेगा।

बालिका शिक्षा:-

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा एक प्रमुख समस्या है। अनेकों प्रयासों के बावजूद अभी भी बालकों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन व शालात्याग की दर अधिक है। 1991 की जनगणना रिपोर्ट से भी यही बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक राज्य में पुरुष साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर कम है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही स्थिति निकलकर आती है। देश प्रदेश की तुलना में जनपद बरेली की साक्षरता दर निम्न प्रकार है:-

तुलनात्मक साक्षरता दर

क्रम सं०		भारत	उत्तर प्रदेश	बरेली
1.	कुल साक्षरता	52.2	41.6	32.78
2.	पुरुष साक्षरता	64.1	55.7	43.33
3.	महिला साक्षरता	39.3	25.3	19.85

स्रोत- जनगणना 1991

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किये गये जो कि संक्षेप में नीचे दिये गये हैं।

- (1) मेलो कला जत्थों के माध्यम से वातावरण सृजन व जागरूकता करने का प्रयास।
- (2) शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
- (3) माँ बेटी मेलों का आयोजन।
- (4) प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक महिला अध्यापिका की नियुक्ति का प्रयास।
- (5) प्रत्येक विद्यालय में PTA/MTA का गठन कर उनकी नियमित बैठकें कराना।
- (6) विद्यालय विहीन ग्रामों में भी महिला प्रेरक दल का गठन कर बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास।
- (7) प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए प्रथक से शौचालय की व्यवस्था।
- (8) अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लिंग संवेदनशीलता पर विशेष बल।
- (9) जनपद ब्लाक व ग्राम स्तर पर महिला रैलियों का आयोजन।
- (10) ऐसे शैक्षिक बातों का प्रसारण जो विशेष रूप से जन समुदाय को बालिका शिक्षा के हेतु प्रेरित करे उनका प्रसारण।
- (11) ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण।
- (12) सभी वर्ग की बालिकाओं हेतु नि:शुल्क पुस्तक की व्यवस्था।
- (13) बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु माह अक्टूबर से लेकर माह फरवरी तक विद्यालय वार ठहराव परिक्रमा निकलवाई गई।
- (14) बालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ताराकन अभियान चलाया गया।

जनपद में बालिका शिक्षा हेतु किये गये अनेकों प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 2000-01 में बालिकाओं के नामांकन में 43प्रतिशत की वृद्धि हुई। (स्रोत EMIS डाटा Table-1) जबकि इन्हीं वर्षों के मध्य बालकों के नामांकन में लगभग 14प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि बालकों के वृद्धि की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है।

इसके बावजूद जनपद में कुछ क्षेत्रों में कारचोबी जरी के कार्यों में लगे हो के कारण अल्पसंख्यक व निर्धन वर्गों की बालिकायें औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :-

प्राथमिक शिक्षा जिसमें विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य बिना जन सहभागिता के संभव नहीं है। जन सहभागिता व जनजागृति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

1. मीना फिल्म प्रदर्शन :- यूनीसेफ द्वारा निर्मित इस कार्टून फिल्म का गांव-गांव में प्रदर्शन किया जायेगा यह फिल्म विशेष रूप से महिलाओं को दिखाई जायेगी क्योंकि ताकि उनमें शिक्षा के प्रति जागृति आ सके।
2. मां बेटा मेला :- ऐसा ग्राम सभाओं में जहां स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है ग्राम स्तर पर मां बेटा मेलों का आयोजन किया जायेगा। इनका उद्देश्य बालिका व उसकी मां को एक साथ ला कर स्कूली शिक्षा के लाभ तथा स्कूल की विभिन्न गतिविधियां दिखाई जायेगी जिसमें उनमें प्रेरणा उत्पन्न हो सके।
3. महिला रैली :- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ग्राम स्तर पर महिला रैलियों का आयोजन किया जायेगा रैलियों के आयोजन में शैक्षिक संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जायेगा।
4. कला जत्था प्रदर्शन :- जनपद से ग्राम स्तर तक कला जत्थों के माध्यम से लोगों को प्राथमिक शिक्षा के महत्व की जानकारी दी जायेगी तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संकुचित सोच में बदलाव कर प्रेरित किया जायेगा। कला जत्थे, नुक्कड़ नाटक, लोकनाट्य व लघु नाटिकाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य करेंगे।
5. विशेष नामांकन अभियान :- ऐसे क्षेत्रों में जहां नामांकन की दर कम हो विशेष नामांकन अभियान चलाया जायेगा इस अभियान में एम0टी0ए0 / पी0टी0ए0 / डब्लू0एम0जी0 के सदस्यों के साथ घर घर सम्पर्क किया जायेगा। इस कार्यक्रम अन्य गतिविधियों जैसे मीना कम्पैन, ग्राम शिक्षा समिति मेला व कला जत्था प्रदर्शनी से भी जोड़ा जायेगा।

6. ग्राम शिक्षा समिति / माता शिक्षक संघ / महिला प्रेरक समूहों की बैठक :-

बालिका शिक्षा के सामुदायिक गतिशीलता हेतु ग्राम शिक्षा समिति / माता शिक्षक संघ / महिला प्रेरक समूहों की प्रतिमाह बैठक आयोजित की जायेगी । बैठकों में बालिका शिक्षा हेतु विचार विमर्श करने के उपरान्त रणनीति तय की जायेगी ।

7. ठहराव परिक्रमा :- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक विद्यालय सप्ताह में एक बार ठहराव परिक्रमा का आयोजन करेगा । इस परिक्रमा में बैनर आदि के साथ बालिकायें आगे आगे चलेगी । इस दौरान न स्कूल आने वाले व न जाने वाले बालिकाओं के घरों का चिन्हाकन भी किया जायेगा ।

तारांकन :- इस अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु तारांकन अभियान चलाया जायेगा । इसके अन्तर्गत अध्यापक द्वारा विद्यालय उपस्थिति पंजिका में प्रत्येक बालिका को उरफकी उपस्थिति के आधार पर माह के अन्त में उसके नाम के आगे एक निम्नत्व दिया जायेगा ।

15 दिन से अधिक स्कूल आने वाली बालिका को हरे रंग का निशान दिया जायेगा ।

08 दिन से 15 दिन स्कूल आने वाली बालिका को पीले रंग का निशान दिया जायेगा ।

07 दिन से कम उपस्थित रहने वाली बालिका को लाल रंग का निशान दिया जायेगा ।

4. ग्राम शिक्षा समिति मेला :- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति मेलों का आयोजन किया जायेगा । इस मेले का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को एक साथ एकत्र करना तथा उन्हें परस्पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना जिससे वे आपस में एक दूसरे द्वारा किये अच्छे कार्यों से अवगत होकर स्वयं भी वैसा करने के लिए प्रेरित हो सके ।

5. बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा ।

1. जिला स्तर पर संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षण :- जिला स्तर पर जिला सन्दर्भ समूहों का गठन किया जायेगा जिसमें 20 से 25 सदस्य होंगे तथा त्रैमासिक बैठक आयोजित की जायेगी तथा लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

2. प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षकों/ब्लाक समन्वयकों /व्याय पंचायत प्रभारियों को क्षमता संवर्धन हेतु 3 दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा ।
3. महिला प्रेरक दल /अभिभावक शिक्षक संघ के ग्राम सभा स्तर पर 2 दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा ।
4. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को ग्राम सभा स्तर पर 2 दिवसीय लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

ठहराव में वृद्धि हेतु रणनीतियाँ

1. निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :- जनपद के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित समस्त वर्गों की बालिकाओं एवं अनु० जाति/जनजाति के बालकों को प्रति वर्ष निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेगी ।

2. सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :-

परिवार सर्वेक्षण :- जनपद बरेली में परिवार सर्वेक्षण डाटा के आधार पर अभी भी 6-11 वय वर्ग के 36594 तथा 11-14 वय वर्ग के 26013 बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं इन बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाया जायेगा । अभियान में स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जायेगा । सामाजिक जागृति हेतु प्रभात फेरिया जुलूस निकाले जायेंगे तथा पोस्टर नारे लेखन जन सम्पर्क तथा महिला मण्डलों की बैठकें आयोजित की जायेंगी ।

प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ माता शिक्षक संघ तथा व्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन कर प्रशिक्षित किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों को लगातार सक्रिय बनाने रखने के उद्देश्य से एक-एक वर्ष के अन्तराल पर 2007 तक 3 चक्रों का प्रशिक्षण दी जायेगी । न्याय पंचायत स्तर पर वर्ष 2005 तक ग्राम शिक्षा समिति मेले लगवाने का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया जायेगा ।

5. असेवित बस्तियों हेतु शिक्षा की व्यवस्था :- जनापद में वर्तमान में गांव है जहां एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है इसी प्रकार गांव ऐसे है जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है इन सभी गांव में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक खोलने का प्रस्ताव किया गया इसके अतिरिक्त ऐसे गांव जहां विद्यालय की उपलब्धता के बावजूद घरेलू कार्य व अन्य लघु उद्योगों में लगे होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं विद्या केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ।

5. बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, ।

6. बालिकाओं का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक महिला अध्यापिका की नियुक्ति प्रस्तावित है महिला अध्यापिका उपलब्ध न होने की दशा में विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में महिला की नियुक्ति की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है । पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा । शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा ।

7. विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों एवं समस्याओं हेतु विशेष रणनीतियां :-

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु न्याय पंचायत (माडल वलस्टर) का चयन निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया जायेगा ।

- i. कम महिला साक्षरता दर
- ii. बालिकाओं का न्यून नामांकन एवं ठहराव
- iii. अनुसूचित जाति अथवा अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र
- iv. सकुल में 10-12 से अधिक गांव न हो ।
- v. सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियां
- vi. महिला संगठनों तथा अन्य उत्साही स्वयं सेवी संगठनों का कार्यरत होना

माडल क्लस्टर में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां :-

- i. कोर टीम का गठन किया जायेगा तथा प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- ii. नामांकन अभियान
पपपण मीना कैम्पेन
- iv. मां-बेटी मेला
- v. महिला प्रेरक दल / माताशिक्षक संघ/ अभिभावक शिक्षक संघ का गठन तथा प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- vi. ठहराव परिक्रमा
- vii. तारांकन
- viii. ग्रीष्म कालीन शिविर
- ix. कला जत्था
- x. प्राथमिक/उच्चप्राथमिक शिक्षकों/वी0आर0सी0समन्वयकों/एन0पी0आ 0सी0समन्वयकों का लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण ।
- xi. ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण
- xii. वैकल्पिक /विद्या केन्द्र खोलना
 - विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण
 - विकलांगता संवेदनशीलता हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण ।
 - भवन/हैंडपम्प /शौचालय का निर्माण कराना ।
 - निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रशिक्षण				5	12	
खर्च						

ग्रीष्म कालीन शिविर :-

लक्ष्य समूह

9-14 वय वर्ग की बालिकाएं जो कक्षा 2,3 अथवा 4 के बाद विद्यालय छोड़ चुकी हैं तथा किसी अन्य शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही है ।

उद्देश्य :-

1. 9-14 आयु वर्ग की शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः मुख्य धारा से जोड़ना 2. माता-पिता तथा समुदाय को इन बालिकाओं को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना

पूर्व तैयारी :- ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों तथा अन्य श्रोतों, सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसे क्षेत्र /गांव / विद्यालयों की पहचान करना जहां पर प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3,4, 5 में बालिकाओं के नामांकन कम तथा शाला त्याग अधिक है । प्रत्येक विकास खण्ड से न्यूनतम 10 विद्यालयों/गांवों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ।

शिविर में अधिकतम 40 तथा न्यूनतम 30 बालिकायें होंगी । ग्रीष्म कालीन शिविर 10 दिवसीय स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जायेगा । शिविर में पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में 'मुस्कान' पैकेज का प्रयोग किया जायेगा शिविर के आयोजनाथ दो अध्यापक होंगे जिसमें एक महिला अध्यापिका होगी । दोनों अध्यापिकाओं को रू0 600/- प्रति अध्यापक मानदेय दिया जायेगा परन्तु उक्त शिविर में भाग लेने वाली बालिकाओं को आगामी सत्र में उसी विद्यालय की कक्षा 2,3,4,5 में उनकी योग्यतानुसार प्रवेश दिलाये जाने के उपरान्त ही देय होगा ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना :- बालिकाये प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त घरों में बैठ जाती है क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालय अधिक दूरी पर होते हैं इसलिए माजक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं हेतु कार्यानुभव शिक्षा व्यवस्था की जायेगी। 3 चरणों में कार्यानुभव शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया है।

महिला शिक्षकों की नियुक्ति :- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति की जायेगी क्योंकि बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिए आवश्यक है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :- ऐसे बालक/बालिकाएं जो किसी कारणों से विद्यालयों में नहीं जा पाते प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 शि० केन्द्रों में नामांकित कराया जायेगा।

बालशाला :- छोटे बच्चों तथा उनके 11 वर्षीय भाई बहनों के लिए बालशाला की व्यवस्था की जायेगी। जो बालिकाएं अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख के कारण विद्यालय में नहीं पहुंच पाती उन्हें इस व्यवस्था के तहत प्राथमिक शिक्षा दिलायी जायेगी

समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 5-10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सामीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाए। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी (mild and moderate) के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

एकीकृत शिक्षा का आशय अक्षमताग्रस्त बच्चों को ऐसी वातावरण प्रदान करना है जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में कम से कम बाधाएं रह जायें, वे कक्षा के शेष बच्चों की भांति सीख समझकर आगे बढ़ें और उनका समुचित विकास हो इससे सामान्य बच्चों और अक्षमताग्रस्त बच्चों के बीच सभी स्तर पर

विद्यालय वातावरण से सम्बन्धित कारण -

- शिक्षक का बच्चे से कम लगाव होना
- सीखने की गति धीमी होने पर बच्चे के प्रति गलत धारणा
- कक्षा में अनुकूल समाजिक वातावरण न होना
- सामान्य बच्चों का अक्षम बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना

सर्वे :-

जनपद बरेली में विशेष आवश्यकता वाले कुल विन्धित बच्चे 7054 हैं जिसमें बालक 4461 तथा बालिकायें 2593 हैं । सर्वे में अस्थि अक्षम बच्चों की संख्या अन्य प्रकार के अक्षम बच्चों की संख्या से अधिक है । सर्वे से ज्ञात हुआ है कि बालिकाओं की तुलना में बालकों में अक्षमता ज्यादा पायी गयी है ।

संवेदीकरण :-

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहानुभूति नहीं बल्कि परानुभूति की आवश्यकता होती है । अक्षम बच्चों में यदि एक अक्षमता है तो अनेक क्षमतायें भी होती हैं । अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न का संवेदीकरण आवश्यक है ।

- अध्यापकों का संवेदीकरण
- समुदाय का संवेदीकरण
- परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग दर्शन

अध्यापकों का प्रशिक्षण :-

समेकित शिक्षा के लिए अध्यापकों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण होगा । इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जायेगा इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल ऐजुकेशन, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्कस्ट्रूका विकास मार्ग, दिल्ली एवं उ0प्र0 विकलांग केन्द्र रूटल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज इलाहाबाद में आयोजित किया जायेगा । प्रशिक्षण के उपरान्त अध्यापक बच्चों की विशेष आवश्यकताओं, विशेषतः उन कार्यों को करने के क्षेत्र में जिन्हें समुदाय के अन्य सामान्य बच्चे कर लेते हैं की पहचान करके तथा मूल्यांकन

करने के समर्थ हो सकेंगे । प्रशिक्षण में यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि बच्चे किन कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं । किस प्रकार बच्चों के कार्य करने की क्षमता के स्तर को सुधारा जा सकता है ।

उपष्कर एवं उपकरण :-

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपष्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एवं आर्थोपेडिकट एफ ड इन टी डाक्टर एवं एक आई स्पेशलिस्ट होगा । इनके द्वारा बच्चों का मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा फिर आवश्यकतानुसार उपष्कर एवं उपकरण की आपूर्ति करावनी होगी । उपष्कर एवं उपकरण की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जायेगी इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा ।

- यू0पी0 विकलांग केन्द्र, 13 लूकरगंज, इलाहाबाद
- राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड देहरादून
- अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड देहरादून
- एलिवको जी0टी0रोड कानपुर
- मंगलम, ए0 445 इंदिरा नगर लखनऊ
- भारत सरकार के समाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा सीपित कम्पोजिट फिटनेट सेक्टर
- समाज कल्याण विभाग
- विकलांग कल्याण विभाग

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी :- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जायेगी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्न पात्रतायें रखती हो -

- संस्था /सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो

- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता
- विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव
- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

संसाधन केन्द्र :-

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर -80- साधन केन्द्र की स्थापना की जायेगी । संसाधन केन्द्र पर एक रिसोर्स अध्यापक नियुक्त होगा । रिसोर्स अध्यापक विकास खण्ड के अध्यापकों की समय-समय पर बैठक कर उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने तथा उपकरण एवं उपकरण के रखरखाव की जानकारी देंगे ।

स्वास्थ्य परीक्षण :- जनपद में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण होगा । स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय में रजिस्टर बचाया जायेगा । रजिस्टर में स्वास्थ्य एवं संदर्भ कार्ड के कालम बनाकर (यथा लाल हरा पीला) उसके प्रविष्ट कर अभिलेख रखे जायेंगे ।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी

संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शारीरिक रूप से चुनौती पूर्ण बच्चों की विशेष ध्यान दिया गया है। शारीरिक रूप से चुनौती पूर्ण बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये जायेंगे । इस कार्यक्रमों में स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों को प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसति करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में शिक्षकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है । स्वयं सेवी

संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है इसमें अन्तर्गत जनपद में अनुभवी स्मृति प्राप्ति स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त कर इन प्रस्तावों का डेस्क टाप अप्रैजल/फील्ड अप्रैजल किया जायेगा तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा ।

जनपद में इस प्रकार की स्वयं सेवी संस्थायें निम्नांकित हैं -

1. जीवन धारा बरेली
2. जागृति (मन्द वृद्धि बच्चों के लिए) बरेली
3. श्रवण बाधित बरेली

परिवार सर्वेक्षण आधार पर विकलांग बच्चों की संख्या

क्र०	विकास खण्ड	6-11		11-14		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	मझगवां	242	136	123	73	574
2	दमखोदा	154	86	87	53	380
3	आवलां	23	14	17	8	62
4	फरीदपुर नगर	11	14	14	21	60
5	विथरी	201	123	118	61	503
6	मीरगंज	190	89	96	50	425
7	मदपुरा	152	104	85	47	388
8	नबावगंज	274	132	123	93	622
9	फरीदपुर ग्रामीण	196	81	77	57	411
10	आलमपुर	187	106	122	46	461
11	शेरगढ	154	126	120	73	473
12	फतेहगंज	210	129	109	39	487
13	भोजीपुरा	142	86	55	38	321
14	क्यारा	154	92	67	51	364
15	बहेडी	161	134	121	69	485
16	रामनगर	197	113	116	71	497
17	बहेडी नगर	25	12	14	9	60
18	भुता	208	98	116	59	481
	योग	2861	1675	1580	918	7054

80, 81, 82.

अध्याय -9

गुणवत्ता-संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य-

बरेली जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं में वृद्धि, नवीन संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग एवं शैक्षिक समर्थन हेतु योजनावद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 15 बी0आर0सी0केन्द्रों एवं 144 एन0पी0आर0सी0केन्द्रों की हत्वपूर्ण भूमिका रही। बी0आर0सी0समन्वयक, बी0आर0सी0 सहसमन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय एवं अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। बी0आर0सी0 समन्वयक एवं सहसमन्वयक द्वारा एक माह में अपने विकास खण्डों की (3-4) न्याय पंचायतों एवं न्याय पंचायत प्रभारियों द्वारा अपने न्याय पंचायत के विद्यालयों का भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, भौतिक एवं अकादमिक पक्षों के आधार पर न्याय पंचायतों एवं विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाता है। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की तत्काल उत्पन्न समस्याओं के समाधान एवं पूर्व निर्धारित एग्जेन्डा पर नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

डायट के प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को जनपद के 15 विकास खण्डों में मेन्टर के रूप में शैक्षिक सपोर्ट के लिए लगाया गया है। प्रत्येक विकास खण्ड का सन्वन्धित मेन्टर हर माह 3 न्याय पंचायतों एवं 5 प्रा0वि0 का अनुश्रवण कर वांछित शैक्षिक सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार बी0आर0 सी0 के समन्वयक एवं सह समन्वयक भी पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। न्याय पंचायत प्रभारी भी अपने क्षेत्र में विद्यालयों का अनुश्रवण कर उन्हें शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। एन0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों तथा इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई

परन्तु कुछ क्षेत्र इस डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत अनाच्छादित होने के कारण उन्हें समुचित सहयोग सहयोग प्रदान नहीं किया जा सका। अनाच्छादित क्षेत्र जैसे:-

- (1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चों
- (2) मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चों
- (3) अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित (1 से 8) अथवा (6 से 8 तक) के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ।
- (4) मकतब-मदरसों में अध्ययनरत बच्चों तथा शिक्षक ।
- (5) सभी प्रकार के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक व्यवस्थाएं एवं संसाधनों की आपूर्ति ।

स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :-

डी०पी०ई०पी० से पहले छोटे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी। डी०पी०ई०पी० ने प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि लाने के लिए पूर्व प्राथमिक की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया । महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र० द्वारा संचालित आंगन बाड़ी केन्द्रों से कार्यकर्त्रियों को लेकर डायट में 7 दिन का प्रशिक्षण देकर ई०सी०सी०ई० (अरली चाइल्ड केयर एजुकेशन) हेतु तैयार किया गया ।

पहले विभाग द्वारा डायट के प्रवक्ताओं को इसमें प्रशिक्षित किया गया । फिर डायट के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं उनकी सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया गया । ई०सी०सी०ई० में माडयूल का नाम "किलकारी" था । इस प्रशिक्षण में शिशु शिक्षा के लिए जहाँ स्वास्थ्य, पालन पोषण और दैनिक जीवन के कुछ व्यावहारिक विषय रखे गये थे वही व्यावहारिक रूप से हाथ के कार्य, सजावट के कार्य एवं 'कबाड़ से जुगाड़' के विविध कार्य भी सिखाये गये । ई०सी०सी०ई० के केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई, ताकि बाद के कार्यक्रमों के लिए भी उन केन्द्रों एवं उनकी संचालिका के लिए पश्चपोषण प्राप्त होता रहे।

ई०सी०सी०ई० की इस महत्वाकांक्षी योजना से

1. प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा
2. व्यावहारिक जीवन के पक्ष से विद्यालयों को जोड़ा गया ।
3. बालिकाओं के नामांकन से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा ।
4. बच्चों में प्रारम्भ से ही शिक्षा के प्रति रुचि विकसित हुई ।
5. बच्चों में जिम्मेदारियों का अहसास भी बढ़ा । साथ ही स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास भी हुआ ।

ई0सी0सी0ई0 के प्रमुख उद्देश्यों के अन्तर्गत (अ) बालिकाओं को छोटे भाई-बहनों की देख-रेख से मुक्त करके उन्हें नियमित रूप से विद्यालय जाने की सुविधा प्रदान करना तथा (ब) विद्यालय से पूर्व आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने में सहायता करना है ।

ई0सी0सी0ई0 की रणनीतियों में प्रमुख है :-

- (अ) समेकित बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करना, प्रशिक्षण सामग्री को सुदृढ़ करना, तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में समन्वय स्थापित करना ।
- (ब) स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से उन विकास खण्डों में शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना जहाँ पर समेकित बाल विकास परियोजना संचालित नहीं है ।
- (स) न्याय पंचायत स्तर पर कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
- (द) हर केन्द्र को खेल-खिलौने, शिक्षा सामग्री उपकरण क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान की व्यवस्था करना ।

शिक्षकों ने जहाँ समुदाय से अपेक्षित सहयोग लिया वहाँ समुदाय के सदस्यों ने भी अपने को सम्मिलित समझते हुए विविध शैक्षिक विषयों की समझ प्राप्त की और प्राथमिक विद्यालयों को अपना समझ कर पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

ये सब प्राथमिक विद्यालय तक तो सीमित रहा, लेकिन हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय इस सकारात्मक सहयोग से वंचित रहे । आज आवश्यकता उनको भी जोड़ने की है । तभी गुणवत्ता विकास में और ज्यादा उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं ।

बरेली जनपद में कुल 1008 ग्रा0शि0स0 हैं । उनके सदस्यों को डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया है । ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में सहभागिता आधारित प्रशिक्षण, समूह कार्य, अभ्यास कार्य, रोल प्ले, केस स्टडी और कौशलात्मक अभ्यासों द्वारा पूर्ण अभ्यास कराया गया ।

वास्तव में, यदि ग्राम शिक्षा समितियों के कार्यों का विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्षेत्र तक विस्तारित कर दिया जाए, तो शिक्षा की गुणवत्ता में और ज्यादा उपलब्धि होने की आशा रहेगी ।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 11 के द्वारा स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसका वर्तमान में स्वरूप निम्न है -

अध्यक्ष - ग्राम प्रधान

सचिव - प्रधानाध्यापक और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा ।

सदस्य-- वैशेषिक स्कूलों के तीन संरक्षक जिनमें कम से कम एक महिला / माता (जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिनियम द्वारा एक वर्ष के लिए नामित होगी)

शैक्षिक सपोर्ट :-

शिक्षा में गुणवत्ता लाने का कार्यक्रम तब सफल हो सकता है, जब शिक्षकों, विद्यालयों व समुदाय में शैक्षिक रुचि जगाने के लिए अन्य लोग भी अपना योगदान करें । इसी हेतु शैक्षिक सपोर्ट का प्रेरणादायी कार्यक्रम डायट स्तर से संचालित किया गया । डायट के प्रवक्ताओं को पहले राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया

ग्राम शिक्षा समिति :-

डी०पी०ई०पी० से पहले विद्यालयों में सहयोग देने के लिए शिक्षा समितियाँ बनी हुईं तो थी लेकिन उनके सदस्य प्राथमिक विद्यालयों में कभी भी सहयोग प्रदान नहीं करते थे । उनका काम केवल यही था कि वे अपने बच्चों के नामांकन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न और परीक्षा परिणाम पर ही बात करते थे । डी०पी०ई०पी० ने समुदाय के सहयोग के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया और ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना का लक्ष्य प्रत्येक विद्यालय के सामने रखा । उनका मानना था कि शिक्षक अकेले विद्यालय नहीं चला सकते हैं । समुदाय का रचानात्मक सहयोग ही विद्यालय की गुणवत्ता प्राप्ति में सही भूमिका निभा सकता है ।

जनपद बरौली में ग्रा०शि०स० के प्रशिक्षण हेतु डायट सदस्य प्राथमिक शिक्षक एवं नेहरू युवा केंद्र के प्रशिक्षक राज्य स्तर पर तैयार किए गये । इन्होंने डायट स्तर पर प्रशिक्षक तैयार किये । इन प्रशिक्षकों ने न्याय पंचायत स्तर पर जाकर ग्रा०शि०स० के लगभग 25 सदस्यों को प्रशिक्षित किया । ये 25 सदस्य वो थे जिनकी शैक्षिक सेवायें प्राथमिक विद्यालय को मिल सकती थीं । ग्राम शिक्षा समिति के माड्यूल 'प्रयास एवं संकल्प' के माध्यम से तीन दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया । प्रशिक्षण के विषयों में प्रमुख थे:- प्रशिक्षण से आशायें एवं अपेक्षायें, गांव की शिक्षा से सम्बन्धित उनकी इच्छाएं, समस्यायें व समाधान, शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी सोच व नवीनतम विचार, ग्राम का सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय व ग्राम शिक्षा योजना का तालमेल, विद्यालय का सौन्दर्यीकरण विद्यालय के लिए समाज द्वारा संसाधन जुटाना, अन्य विभागों से तालमेल व समन्वय बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता, शैक्षिक मानचित्रण, सर्वेक्षण कार्य, ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना, प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण, विद्यालय भ्रमण पाठ्य पुस्तकों से पहचान तथा ग्राम शिक्षा समितियों की वास्तविकता से पहचान आदि विषयों पर प्रतिभागियों की सोच विकसित की गई । गतिविधि पूर्ण शिक्षण टी०एल०एम० का प्रयोग एवं रोचक शिक्षण विधियों से प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण से जोड़ा गया ।

इस प्रशिक्षण से लोगों की संवेदना जोड़ने के लिए डी०आर०जी० (ब्लॉक संसाधन समूह) का नाम इसको दिया गया । इस समूह के सम्मानित सदस्य बनकर इन लोगों का सहयोग प्राथमिक विद्यालयों के लिए और ज्यादा प्राप्त हुआ । इसके अच्छे परिणाम मिले । स्कूल व समुदाय के मध्य सीधी नागरीदारी हुई ।

गया । फिर उन्होंने डायट मेन्टर्स, ए0बी0एस0ए0, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, डी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक /एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों व कुछ शिक्षकों को लेकर किस प्रकार शैक्षिक सपोर्ट विद्यालयों व शिक्षकों को, दी जाय, इस पर तीन-तीन दिन की कार्यशालायें, आयोजित की गयीं । इसका नाम "शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण कार्यशालायें" दिया गया ।

शैक्षिक सपोर्ट में डायट की कार्यप्रणाली, स्कूलों में प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ अकादमिक कार्यों की उपयोगिता, कार्यों की प्राथमिकता, स्कूलों के श्रेणीकरण व उससे प्राप्त परिणामों की समीक्षा, विभिन्न इन्डीकेटर्स का शिक्षा में प्रयोग, डायट और उनके कार्यों के मध्य उत्तरदायित्वों व अधिकार का आदान-प्रदान आदि अनेकों विषयों पर विचार विमर्श होता था । इसमें भी सहभागिता, गतिविधियों का प्रयोग, रूचिपूर्ण प्रशिक्षण एवं टी0एल0एम0 के समुचित प्रयोग के माध्यम प्रशिक्षण में अपनाये गये ।

बरेली जनपद में कुल 05 (पाँच) चक्र प्रशिक्षण चले । इसमें 168 प्रतिभागियों ने अपना योगदान कर शैक्षिक सपोर्ट विषयक अपने विचार प्रकट किये ।

स्कूलों के श्रेणीकरण के विन्दु, आवश्यकतानुसार बदलते रहे हैं । पहले यह 30 अंकों का, फिर 50 अंकों का, तत्पश्चात् 100 अंकों से विद्यालयों का श्रेणीकरण किया गया ।

जनपद बरेली के विकास खण्डों के अनुसार विद्यालयों की ट्रेडिंग

माह: अक्टूबर 2001

क्र०सं०	विकास खण्ड	योग	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी
1.	आलमपुर	119	36	50	22	11
2.	भुता	116	24	44	26	22
3.	भोजीपुरा	104	08	04	40	52
4.	बहेडी	125	28	72	19	06
5.	भदपुरा	105	14	60	22	09
6.	क्यारा	61	18	26	16	02
7.	फतेहगंज (प०)	79	27	44	07	01
8.	मीरगंज	99	08	67	24	--
9.	नबाबगंज	123	26	96	01	--
10.	दमखोदा (रिष्ठा)	105	06	68	30	01
11.	फरीदपुर	101	10	41	50	--
12.	मझगवा	107	11	47	36	13
13.	बिधरी	107	13	15	42	37
14.	रामनगर	80	04	11	50	15
15.	शेरगढ़	108	13	14	67	14
योग		1542	246	659	454	183

चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का अभाव है एन०पी०आर०सी० समन्वयक द्वारा किया जाता है नगर क्षेत्र में एन०पी०आर०सी० समन्वयक की नियुक्ति नहीं है अतः नगर क्षेत्र के 158 विद्यालयों का श्रेणी कारण नहीं किया जा सका।

प्राथमिक विद्यालयों को तो शैक्षिक सपोर्ट मिली परन्तु हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय इस अच्छी तकनीक से वंचित रहे । जिन्हें अब इससे जोड़ने की आवश्यकता है ।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण -

डी०पी०ई०पी० से पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एस०ओ० पी० टी० (विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम) की व्यवस्था प्राइमरी विद्यालयों के लिए थी । एस०ओ०पी०टी० के प्रशिक्षण शिक्षकों की मूलभूत आवश्यकताओं उनकी रुचियों और विद्यालय की दैनिक चर्चाओं पर आधारित नहीं थे । उनमें विविधता, रोचकता, और सामंजस्यता का अभाव था । साथ ही ये प्रशिक्षण मात्र प्राथमिक शिक्षकों के लिए थे और प्रशिक्षक केन्द्रित प्रशिक्षण थे ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, न्यूनतम अधिगम स्तर, प्राथमिक स्तर पर सतत व व्यापक मूल्यांकन बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास मार्गदर्शन सिद्धान्त और क्रिया-कलाप, प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण निर्माण, विशेष समूहों की शिक्षा, बालिका शिक्षा, मूल्य शिक्षा, बहुश्रेणी शिक्षण मातृभाषा शिक्षण, गणित शिक्षण संकल्पनाएं और युक्तियां, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान संकल्पना और कार्यकलाप, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आदि एस०ओ०पी०टी० के प्रशिक्षण के विषय हैं ।

स्कूलों की समस्याएं मात्र सैद्धान्तिक ही नहीं होती, वरन व्यावहारिक भी होती हैं । इस सारे प्रशिक्षण पैकेज में शिक्षकों की सहभागिता के लिए कोई प्राविधान नहीं था और शिक्षकों के लिए मात्र सुनना ही था ।

इस प्रशिक्षण में यूनीवर्सल कवरेज नहीं था ।

हर वर्ष हर शिक्षक को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था ।

विषय आधारित नहीं था ।

शिक्षकों को अपनी शैक्षिक समस्याएं रखने के अवसर कम थे ।

डी०पी०ई०पी० ने इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया । डी०पी०ई०पी० ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण कराने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई । बेस लाइन सर्वे में भी कुछ समस्याओं

की ओर ध्यान दिया गया कि वास्तव में शिक्षकों को किन चीजों की आवश्यकता है । जिससे विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बन सके एवं शिक्षा में गुणवत्ता भी लाई जा सके ।

इसी को ध्यान में रखकर शिक्षकों के प्रशिक्षण में तीन चक्र चलाये जा चुके हैं । शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चक्र अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण था, जिसे 'शिक्षकोदय' प्रशिक्षण माड्यूल से प्रदान किया गया । पटना (विहार) की संस्था द्वारा "डेवनेट" द्वारा सार्वप्रथम परीक्षण के तौर पर दरहली को चुना गया । इस प्रशिक्षण में ऐसे बिन्दु रखे गये, जिससे शिक्षकों में आशा, उत्साह और प्रेरणा व्याप्त हो और उनमें निराशा, अनुत्साह का संचार समाप्त हो ।

इस अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण में शिक्षा के प्रांत व्यवहारिक सोच समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा के प्रति अवधारणा, आपसी सहभागिता, संकुचित विचारों से बाहर आना, विकास के आयाम, आदर्श शिक्षक के गुण, शिक्षण में सम्प्रेषण की कला परम्परागत और नवीन विधि से शिक्षण में अन्तर, विद्यालय संसाधन मान चित्रण, बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति गतिविधिपूर्ण शिक्षण, मेरे सपनों की कक्षा आदि पर शिक्षकों की चेतना जागृत की गई । इस प्रशिक्षण समूह में अभियान गीत, रोचक गतिविधियां, सहभागिता पूर्ण प्रशिक्षण, समूह में कार्य, खुले सत्र में कार्य, विभिन्न अभ्यास कार्य योजना बनाना व दैनिक जीवन के मूडोमीटर आदि नवीन तकनीकें अपनाई गई । द्वितीय चक्र का शिक्षक प्रशिक्षण "सदल" नाम के प्रशिक्षण माड्यूल से तैयार किया गया । इसमें पुस्तकों के 5 सैट थे । इसमें सत्र योजनायें विचार पत्रक, प्रशिक्षक सन्दर्शिका, गतिविधि बैंक (शिक्षकों के लिए) एवं गतिविधि बैंक (प्रशिक्षकों के लिए) शामिल थे । ये पूरा प्रशिक्षण शिक्षकों के आस पास चल रहे विषयों पर अवधारणात्मक सोच को स्पष्ट करना था । ताकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यालयों, बच्चों, समाज व खुद को शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग मान सकें ।

द्वितीय चक्र शिक्षक प्रशिक्षण में बच्चों, शिक्षकों, सीखने की प्रक्रिया गतिविधि पूर्ण शिक्षण, सहायक अधिगम सामग्री, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, अनचाहे लक्ष्य, विद्यालय विकास, मूल्यांकन मेरी अपनी सन्दर्शिका और शिक्षण के लक्ष्य लक्ष्य पर अवधारणा एवं सन्दर्शिका विकसित की गई ।

इस प्रशिक्षण में शिक्षक को हृदय से अनुभव हुआ कि अभी तक उनके आस पास इतने महत्वपूर्ण विषय बिखरे पड़े हैं और वो उनकी व्यावहारिक बातों से अभी तक अनजान हैं। इस प्रशिक्षण में उन्होंने शिक्षा की मूल्यवान बातों पर अपनी सहभागिता व प्रतिबद्धता दर्शायी।

शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र में "साधन" नामक माड्यूल से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण की मुख्य बातें विभिन्न विषयों पर अवधारणात्मक समझ व कक्षा शिक्षण की थी। इस माड्यूल में विचार पत्रक व सत्र योजनायें नामक दो पुस्तकें थी। शिक्षण प्रशिक्षण के प्रथम हिस्से में नवीन पाठ्यक्रम नवीन पाठ्य पुस्तकों से परिचय शिक्षक सन्दर्शिकाओं, समेकित शिक्षा बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री, गतिविधियों बहु कक्षा शिक्षण एवं बहुश्रेणी शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम व द्वितीय चक्र के अंशों की पुनरावृत्ति, समय प्रबन्धन व मूल्यांकन प्रमुख थे। ये सभी प्रशिक्षण के अवधारणात्मक अंग थे, जिन्हें प्रशिक्षण हाल में प्रतिभागियों के मध्य सहभागिता, रोचकता व उत्साह से सम्पादित किया गया।

शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र की सबसे प्रमुख बात ये थी कि शिक्षकों को कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में व्यावहारिक शिक्षण पद्धति के गुणदोषों से परिचित कराना था। प्रशिक्षकों ने जहाँ स्वयं पढाकर बताया वहीं प्रतिभागियों ने भी पढाकर व्यावहारिक अनुभव लिए। तत्पश्चात् प्रशिक्षण हाल में आकर कुछ "चेक बिन्दुओं" पर समीक्षा की जाती थी कि कहीं कमी रह गयी, उन्हें कैसे दूर किया जाये और कहीं पर सकारात्मक पक्ष थे जिनका प्रयोग सब कर सकते हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर -

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी०पी०ई०पी० योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

जनपद बरेली में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की स्थिति का विवरण (वर्ष

2001-02)

सारणी 9-1 अ

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा० स्तर
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	4324	818
2.	हाईस्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	653	---
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	793	11
4.	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	72	01
5.	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (प्रशिक्षित)	1522	501
6.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	25	00
7.	स्नातक (प्रशिक्षित)	697	166
8.	परास्नातक(अप्रशिक्षित)	08	01
9.	परास्नातक(प्रशिक्षित)	554	138
स्रोत :- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरेली ।			

सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में 653 शिक्षक हाईस्कूल से कम शैक्षिक योग्यता वाले हैं। इन्हें विभिन्न विषयों में विषयवस्तु की जानकारी देने में विशेष पारिश्रम करना होगा। शिक्षकों में 105 अप्रशिक्षित हैं। इन्हें प्रशिक्षण संबंधी बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधिय तथा अन्य शिक्षण विधाओं की जानकारी गहन रूप से दिये जाने की आवश्यकता रहेगी।

सारणी 9-2 ब

क्रमांक	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा० स्तर
1.	5 वर्ष से कम	896	18
2.	5 से 10 वर्ष तक	849	56
3.	10 से 15 वर्ष तक	460	74
4.	15 से 20 वर्ष तक	622	123
5.	20 से 25 वर्ष तक	569	127
6.	25 से 30 वर्ष तक	461	221
7.	30 वर्ष से अधिक	476	199

स्रोत :- देशिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरली ।

अतः सारणी से स्पष्ट है कि 896 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव प्राप्त हैं । इनको छोटे बच्चों को विभिन्न शिक्षण विधियों, बहुकक्षा शिक्षण, विद्यालय समय सारिणी, कक्षा प्रबन्धन आदि पर विशेष जानकारी सफलता कराने की आवश्यकता रहेगी । सारिणी के अनुसार 937 अध्यापक 25 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले हैं । अतः ऐसे अध्यापकों को नवीन विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियों को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी ।

उच्च प्राथमिक की सारिणी देखने से स्पष्ट होता है कि 11 शिक्षक सरकारी स्कूल की योग्यता वाले हैं । इन्हें भी प्राथमिक से संबंधित विषयों की नवीन जानकारी देने की आवश्यकता है । सारिणी देखने पर यह भी स्पष्ट है कि 13 शिक्षक 05 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं, इन्हें भी नवीन कक्षा शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों के व्यवहार, बहुकक्षा शिक्षण संबंधी विद्यालयों से परिचित कराने की आवश्यकता रहेगी । सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि 420 अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले हैं । इन्हें भी नवीन शिक्षण पद्धतियों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता रहेगी ।

शिक्षक प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :-

शिक्षक प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव के अन्तर्गत यह देखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में अब अधिकांश शिक्षक गतिविधियों का उपयोग शिक्षा को रुचिकर बनाने में करते हैं ।

अब शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक करते हैं । शिक्षक बच्चे का केन्द्र मान कर ही शिक्षण का कार्य सम्पन्न करते हैं ।

शिक्षक अब कम लागत वाली सहायक सामग्री का निर्माण भी बच्चों की सहायता करते हुये प्रायः देखे जाते हैं । शिक्षक संदर्शिकाये शिक्षण को प्रभावी व रुचिकर बनाने में विशेष भूमिकाये निर्वाह कर रही हैं ।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण

प्रशिक्षणों के संचालन और अनुश्रवण की व्यवस्था में दो जगह से दो जगह से प्रशिक्षण के क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं। एक स्थान तो डायट स्वयं है और दूसरा ब्लकों में स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्र हैं। शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चक्र की व्यवस्था डायट में की गई थी । द्वितीय, तृतीय तथा अन्य प्रशिक्षणों की व्यवस्था वी०आर०सी० पर की गई थी । इसी प्रकार प्रशिक्षणों के अनुश्रवण की व्यवस्था भी डायट तथा डी०पी०ओ० अर्थात् जिला परियोजना कार्यालय में विशेषज्ञ वैसिक शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक(प्रशिक्षण) द्वारा की गयी है ।

जहां डायट में विभिन्न प्रवक्ताओं को "मेन्टर" बनाकर ब्लॉकों का आँवटन किया गया कि वे स्कूलों में प्रशिक्षणों का प्रभाव व अन्य सभी कार्यों में शिक्षकों की अकादमिक मदद देकर गुणवत्ता बढ़ायें । वही डी०पी०ओ० में ए०वी०एस०ए० तथा डी०आर०सी०, जिला समन्वयक(प्रशिक्षण), वी०आर०सी० समन्वयक व सहसमन्वयक, न्याय प्रवायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षणों का संचालन व उनका अनुश्रवण करने की विस्तृत व्यवस्थाये की गई । यह सभी प्रशिक्षणों का ही मात्र अनुश्रवण नहीं करते बल्कि बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, विकासक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था, टी०एल०एम० मेलों का आयोजन, विद्यालयों के श्रेणीकरण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण, मासिक बैठकों की व्यवस्था आदि विभिन्न विषयों पर एक साथ कार्य किये जाने की योजनाएँ पूर्ण करते हैं ।

जिला समन्वयकों की भूमिका :-

बरेली जनपद में 5 जिला समन्वयकों के पद हैं ; ये 5 क्षेत्रों शिक्षक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, वैकल्पिक शिक्षा और समेकित शिक्षा में पूरे जिले में कार्य करके अपने उत्तरदायित्व को निभाने में लगाये गये हैं लेकिन इन सभी का कार्यक्षेत्र प्राथमिक विद्यालय तक ही सीमित है । उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाकर कार्य करना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है जिसकी आज आवश्यकता है।

बी०आर०सी० समन्वयको, सह समन्वयको एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयको की भूमिका :-

बी०आर०सी० के समन्वयक एवं सहसमन्वयकों की भूमिका निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है :-

1. सभी प्रकार के प्रशिक्षणों कार्यशालाओं प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन एवं अनुश्रवण करना ।
2. विद्यालयों का समय समय पर भ्रमण करना, शिक्षकों की बैठकों का आयोजन कक्षा में आदर्श पाठ की प्रस्तुति करना एवं अकादमिक मार्गदर्शन करना ।
3. वार्षिक कार्ययोजना बनाना तथा धन का आवंटन कराके योजना का क्रियान्वयन करना ।
4. ऑकड़ों का संग्रह, डायट व डी०पी०ओ० के मध्य कार्य की कड़ी बनना, लर्निंग कर्नर की स्थापना, वाचनालय पुस्तकालय की स्थापना तथा भित्ति समाचार पत्र निकालवाना आदि ।
5. विभिन्न कार्यक्रमों का नियोजन, आयोजन एवं प्रबन्धन करना, अभिज्ञेयों की रिपोर्टिंग एवं दस्तावेजीकरण करना विभिन्न रिसोर्स ग्रुप का गठन, समुदाय से सहयोग एक्शन रिसर्च में सहयोग, बाल मेला एवं गणित मेला का आयोजन सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान अनौपचारिक सत्रों का आयोजन, मूल्यांकन व विश्लेषण करना आदि अनेक कार्य इन समन्वयकों के डिम्बे सौंपे गये हैं ।

इसके साथ ही वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों, ग्राम शिक्षा समितियों से सहयोग, विद्यालयों का सूक्ष्म नियोजन, आदर्श पाठ की प्रस्तुति आदि करने के कार्य भी समन्वयकों को करने होते हैं । संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि बी०आर०सी० व एन०पी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक ही गुणवत्ता लाने में प्रथम संवाहक है ।

लेकिन एक कमी यहाँ भी हम सबके सामने है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय इन सब विशेषताओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि उन्हें भी यह लाभ मिलना चाहिए । उच्च प्राथमिक विद्यालय जब शिक्षा की गुणवत्ता में अपना योगदान दे पायेंगे तभी वास्तविक रूप से शिक्षा का स्तर ऊँचा उठ पाएगा ।

प्रोत्साहन एवं प्राविधान :-

प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित, पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएँ हैं :-

(अ) छात्रवृत्ति (ब) खाद्यान्न योजना जो अब बन्द है ।

(स) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना

प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों तथा अन्य सभी वर्ग बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने की व्यवस्था की गई है । बच्चों के लिए पोषाहार योजना के अन्तर्गत 3 किलोग्राम गेहूँ छात्र को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के 10 सेट उपलब्ध कराये जाते हैं । जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं द्वारा किया जाता है ।

बेसलाइन स्टडी और मिड्टर्म स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि :-

जीपी0ई0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया । प्रथम बेस लाइन सर्वेक्षण 1996-97 में किया गया ।

अगला वर्ष मूल्यांकन जुलाई 2000 में किया गया । इसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

कक्षा 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि :-

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बस लाइन सर्वे	33.80	30.60	26.85	32.40	38.25
मध्यावधि सर्वे	58.00	55.10	53.10	57.00	62.10
उपलब्धि वृद्धि	24.20	14.50	26.25	23.85	24.60

स्रोत :- विभागीय आंकड़े

कक्षा 1 गणित के छात्रों की उपलब्धि :-

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बस लाइन सर्वे	29.5	22.79	23.00	26.00	33.5
मध्यावधि सर्वे	61.4	55.80	52.90	59.8	66.6
उपलब्धि वृद्धि	31.90	33.01	29.90	33.80	33.1

स्रोत :- विभागीय आंकड़े

कक्षा 5 भाषा में छात्रों की उपलब्धि :-

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बस लाइन सर्वे	41.51	38.60	28.28	40.64	40.53
मध्यावधि सर्वे	51.00	49.80	49.60	51.10	50.40
उपलब्धि वृद्धि	9.46	11.20	20.32	10.46	9.87

स्रोत :- विभागीय आंकड़े

कक्षा 5 गणित में छात्रों की उपलब्धि :-

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	30.05	29.6	25.42	32.12	28.9
मध्यावधि सर्वे	34.00	732.5	31.12	35.40	31.8
उपलब्धि वृद्धि	3.95	2.9	5.70	3.28	2.9

स्रोत :- विभागीय आंकड़े

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि कक्षा-1 व कक्षा-5 में गणित एवं भाषा दोनों में बच्चों का उपलब्धि स्तर बढ़ा है किन्तु कक्षा-5 में उपलब्धि में वृद्धि बहुत कम हो पाई है अतः गणित एवं भाषा हेतु विशेष शिक्षण की आवश्यकता है ।

विशेष बच्चों के बारे में :-

समाज में हर बच्चे का अपना मूल्य होता है । वे परिवार, समाज व देश की धरोहर होते हैं जो बच्चों प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, वे तो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का एक तबका ऐसा है जो साधनों के अभाव, प्रोत्साहन या पारिवारिक उलझनों की वजह से स्कूली शिक्षा वंचित रह जाता है । इन बच्चों में खेतिहार श्रमिक, बाल श्रमिक, मलिन बास्तियों के बच्चों, शारीरिक रूप से चुनौती वाले विकलांग व मानसिक रूप से कमजोर बच्चों होते हैं लिंग भेद की असमानता भी बालक-बालिकाओं को शिक्षा के लाभ से यदा-कदा वंचित रखती है ।

इन बच्चों को भी मुख्य धारा में लाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए । इस हेतु उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर उनकी मानसिकता में सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी । ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र व अन्य साक्षरता केन्द्र संचालित हैं साथ ही कम मानसिकता वाले या हाथ पैर से अपंग बच्चों के लिए हमें उन्हीं के अनुरूप व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि जीवन कौशल, व्यवसाय कौशल और कार्य कौशल से उनका विकास सम्भव हो सके ।

ऐसे विशेष बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के अनेक प्रयास होत रहते हैं लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर इनके लिए अभी विशेष व्यवस्था नहीं है । उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा की वर्तमान धारा से जोड़ने और आगे भी वो शिक्षा की धारा से जुड़े रहें, इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे ताकि शिक्षा में गुणवत्ता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकें ।

स्कूलों में कक्षाओं की स्थिति :-

हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा की वर्तमान स्थिति निम्नवत है :-

विद्यालय	बि0की संख्या	बिना शिक्षक वाले विद्यालय	एक शिक्षक वाले विद्यालय	दो शिक्षक वाले विद्यालय	तीन शिक्षक वाले विद्यालय	चार शिक्षक वाले विद्यालय	पांच या पांच से अधिक वाले विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय	1700	—	283	646	384	211	176
उच्च प्रा0विद्यालय	266	08	54	62	69	32	41

उपरोक्त की समाक्षा करे तो हम पाते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 10.65 % विद्यालय एक शिक्षक वाले, 38.00% विद्यालय दो शिक्षक वाले, 22.59 % विद्यालय तीन शिक्षक वाले, 12.41 % विद्यालय चार शिक्षक वाले तथा 10.35 % विद्यालय पांच या पांच से अधिक शिक्षक वाले हैं । ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में एक साथ कई कक्षाओं में पढ़ाना होता है । इसके लिए शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की विधियों की विशेष जानकारी देनी होगी ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा, गणित, विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए, तभी वह इन विषयों का भला भावत शिक्षण कर सकते हैं । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है । इससे वांछित स्तर के योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं । इस कारण कई विद्यालयों में एक सामान्य अध्यापक को विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना

आवश्यक है । ताकि शिक्षक अपने ज्ञान का संवर्द्धन करके कठिन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार से कर सकें ।

शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सहायक सामग्री का उपयोग बहुत कम हो रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग देखने में नहीं आ रहा है क्योंकि डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्तर में टी०एल०एम० प्रयोग की व्यवस्था नहीं थी ।

अब सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के शैक्षिक उन्नयन एवं गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु विभिन्न प्रशिक्षणों के आयोजन करने होंगे। इनमें विषय आधारित टी०एल०एम० बनाकर शिक्षण में उनका उपयोग करने हेतु प्रभावी व्यवस्था करनी होगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) के अन्तर्गत गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना एवं शिक्षा को संवेदनात्मक स्तर प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है । दरेली जनपद में 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी प्रासांगिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है । इस अभियान के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं-

1. 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूल ई०सी०सी०के० केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पंजीकृत कर उन्हें शिक्षा की सतत धारा से जोड़ना यह लक्ष्य सन् 2007 तक पूरा कर लेना है ।
2. उच्च प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चे पूरी करें, यह लक्ष्य सन् 2010 तक प्राप्त करना है,।
3. सन् 2007 तक बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर प्राथमिक स्तर तक समाप्त करना तथा सभी बच्चों के मध्य अन्तर समाप्त करने का लक्ष्य सन् 2010 तक पूरा करना है ।
4. सभी बच्चों का स्कूल में उहराव सन् 2010 तक अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना है ।

ज्ञातव्य है कि विविध कार्यों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों /प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जैसे प्राथमिक स्तर पर एक विजन बच्चों, शिक्षकों व समुदाय में विकसित किया गया था उसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में उद्देश्यों, लक्ष्यों व सम्प्राप्ति के स्तरों में रचनात्मक बदलाव लाना सुनिश्चित किए जाने के प्रस्ताव हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान में प्रयास किया जायेगा कि जो कुछ कमियाँ प्राथमिक स्तर पर रह गयी थी, वो एस0एस0ए0 के अन्तर्गत न रहने पाय । शिक्षण प्रविधि, वास्तविक कक्षा शिक्षण, नवीन पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्य पुस्तकों आदि के प्रभावी उपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को व्यावहारिक रूप से चलाये जाने के प्रस्ताव हैं ।

सर्वशिक्षा अभियान में प्रशिक्षण --

बीच-बीच में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की मीटिंग को भी आगे दिन किसी एक विषय पर प्रशिक्षण की योजना से उसे जोड़ा जायेगा। ताकि शिक्षक अपने वौद्धिक स्तर की कुशलता को निरन्तर अच्छा बनाते रहे। ये सभी प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार डायट, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 केंद्रों पर आयोजित किये जायेंगे ।

सेमिनार-कार्यशालायें प्रतियोगितायें-मेलों का आयोजन --

जैसे प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की सेमिनार, कार्यशालायें, प्रतियोगिताओं और गणित व टी0एल0एम0 मेलों के लिए प्राविधान था, उसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी प्राविधान रखना होगा प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों का सौन्दर्यीकरण, समुदाय की भागीदारों व पढाई का स्तर सभी को प्रभावित करते ही हैं, अतः उच्च प्राथमिक स्तर को भी इसी तरह से समर्थ बनाना होगा ।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रथम वर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार से प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे :

प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिवागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण के विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	प्रशिक्षण में गैर आवासीय
विजनिंग वर्कशाप	03	डायट	डायट+डीपीओ ओ+एओआरओजी	एसओआरओजी	एसओएसओएओ की दृष्टिकोणात्मक विविधाजनकता	डायट	आवासीय
अवधारणात्मक प्रशिक्षण	05	डायट	टीओओटीओ+ बीओआरओसीओ+ एओबीओआरओसीओ + एनओपीओआरओसीओ + जिलासामन्वयक	एसओआरओजी	पाठ्यपुस्तक शिक्षकसन्दर्भिका बहुकक्षा शिक्षण मूल्यांकन, एसओ एसओएओ+टीओएओ एनओ व अन्य विषय आधारित	डायट	आवासीय
अवधारणात्मक प्रशिक्षण	05	बीओआरओसीओ	प्राथमिक शिक्षक	टीओओटीओ	" "	डायट+बीओआरओसीओ +जिलासामन्वयक +एओबीओआरओसीओ+ एनओपीओआरओसीओ, सामान्यत	गैर आवासीय
टीओएलओ एमओ प्रशिक्षण	02	एनओपीओ आरओसी	संवर्धित न्याय प्रशासन को समीक्षक	टीओओटीओ	पाठ्यपुस्तक पर आधारित पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण	"	गैर आवासीय
"	02	बीओआरओसीओपर	एनओपीओआरओसीओ से जुड़े गये शिक्षक	टीओओटीओ	"	"	"
समीक्षात्मक पुनर्बोधार्थक प्रशिक्षण	03	एनओपीओ आरओसीओरक्ष	संवर्धित एनओपीओ आरओसीओ समन्वयक	टीओओटीओ	पाठ्य पुस्तक बहुकक्षा शिक्षण सततव्यापक मूल्यांकन एसओएसओएओ टीओएलओ एनओ व अन्य विषय पर आधारित समीक्षात्मक प्रशिक्षण	"	गैर आवासीय

एसओएसओएओ के अन्तर्गत इस उन्नोवत प्रस्तावित प्रशिक्षण में डीपीओईओ पीओ के पूर्णज्ञान से जुड़े हुए

विषयों को रखने का प्रयास किया गया है । प्रशिक्षण और भी ज्यादा क्रमबद्ध रूप से चलेगा ।

द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण -

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिवागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण के विषय वस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय
पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सदर्शिका प्रशिक्षण	06	डायट	टीओओटीओ	एसओआरओजी	पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सदर्शिका पर आधारित प्रशिक्षण	डायट	आवासीय
"	06	एनओपीओ आरओसीओ	संवर्धित न्याय को समीक्षक	टीओओटीओ	"	डायट, डीपीओओ, बीओआरओसीओ समन्वयक	गैर आवासीय

3	सतत व्यापक मूल्यांकन	एव	04	डायट	टी०ओ०टी०	एस०आर० जी०	मूल्यांकन की नवीन विधा, पत्रिकायें भरना, अंक, प्रेडिंग व्यवस्था	डायट	आवासीय
4.	"	"	04	एन०पी० आर०सी०	एनपीआरसी०के समस्त शिक्षक	टी०ओ०टी०	"	डायट, डी०पी०ओ० एव बी०आर०सी० समन्वयक	गैर आवासीय

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में प्राथमिक शिक्षकों के चूके एवं वर्ष पहले भी इन्हीं विषयों पर प्रशिक्षित किया गया अतः इस प्रशिक्षण की गहनता, सुगमता व रोचक शिक्षण विधियों से प्रशिक्षण देना होगा। पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पहले नहीं हुआ था अतः इसके प्रति संवेदना ज्यादा जगानी होगी। शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रशिक्षण में ज्यादा व्यापकता की आवश्यकता होगी।

सतत व व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षकों पहले नहीं दिया गया था अतः इसको सकारात्मक रूप से देना आवश्यक होगा। मूल्यांकन के प्रति अपनापन पैदा करने के लिए नवीन रोचक गतिविधियों का यहाँ सहयोग लेना होगा।

तृतीय वर्ष प्रशिक्षण —

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागि	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयवस्तु	यदिक्षक	आवासीय गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हिन्दी, गणित सा०अ० एव विज्ञान का प्रशिक्षण	08	डायट	टी०ओ०टी०	ए०आर०जी०	हि०, गणित, विज्ञान सा०अ० एव विज्ञान का व्या० प्रशि०	डायट	आवासीय
2	वि०वि० का व्या० प्रशि०	03	बी०आर० सी०	स्वाकस्वत समस्त शिक्षक	टी०ओ०टी०	वि०वि०के रोचक बनाने के व्या० प्रयोग पर प्रशि०	डायट डी०पी० ओ०	गैर आवासीय
3	गणित वि० का व्या० प्रशि०	03	"	"	"	गणित वि० के रोचक बनाने के व्या० प्रयोग पर प्रशि०	"	"
4	सामा०वि० विषय व्या० प्रशि०	03	"	"	"	सामा०वि० के रोचक बनाने के व्या० प्रयोग पर प्रशि०	"	"
5	हिन्दी विषय व्या० प्रशि०	03	"	"	"	हिन्दी वि० के रोचक बनाने के व्या० प्रयोग पर प्रशि०	"	"

द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रशिक्षण में टी०ओ०टी० का आठ दिनों का इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जायेगा कि डायट में जब प्रशिक्षण होगा तो उसके आधार टी०ओ०टी० जब बी०आर०सी० स्तर पर प्रशिक्षण चलायें तो

उनके तीन दिनों की विषय वस्तु का संकलन उनके पास उपलब्ध रहे, इसी आधार पर टी०ओ०टी० को 8 दिनों का हिन्दी, गणित, विज्ञान एवं समाजिक विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रशिक्षणों का आधार डी०पी०ई०पी० का ही रहेगा। पिछले वर्षों के तात्कालिक अनुभवों को जोड़ते हुए नवीन संदर्भ और जोड़े जायेंगे, ताकि व्यवहारिक धरातल पर ये प्रशिक्षण और भी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकें।

इन प्रशिक्षणों की एक खास बात यह होगी कि विज्ञान व गणित के किट की तरह हिन्दी और सामाजिक अध्ययन के किट भी तैयार किये जायेंगे ताकि शिक्षण के सरल व नवीनतम उपकरण बच्चों व शिक्षकों को और उपलब्ध हो सकें।

चतुर्थ वर्ष प्रशिक्षण -

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय
1.	पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षक संदर्शिकाओं के कठिन स्थलों का प्रशिक्षण	04	डायट	टी०ओ०टी०	एस०आर०जी०	पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षक संदर्शिकाओं में कठिन स्थलों को पहचान एवं उनके निराकरण, टी०एल०एम, गतिविधि एवं विषयगत अवधारणा	डायट	आवासीय
2.	" "	04	एन०पी० आर०सी०	एन०पी०आर०सी० के प्राथमिक स्कूल के समस्त शिक्षक	टी०ओ०टी०	" "	डायट + डी०पी०ओ० +बी०आर० सी० समन्वयक	गैर आवासीय
3.	विषयगत रोचक माड्यूल निर्माण प्रशिक्षण	04	डायट	टी०ओ०टी०	एस०आर०जी०	हिन्दी गणित विज्ञान सामा० अ० नैसर्गिक शिक्षा पर रोचक व व्या० माड्यूल किट का निर्माण	डायट	आवासीय
4.	" "	04	एन०पी० आर०सी०	सन्दर्भित न्याय पदायत के सभी शिक्षक	टी०ओ०टी०	" "	डायट + डी०पी०ओ० +बी०आर० सी० समन्वयक	गैर आवासीय
5.	प्रशिक्षण प्रभाव का फालोअप प्रशिक्षण	04	एन०पी० आर०सी०	न्याय पदायत क्षेत्र के समस्त शिक्षक	टी०ओ०टी०	साहित्य के आधार पर व्यापक कार्य जैसे श्रेणीकरण व कक्षा में प्रभाव	डायट + डी०पी०ओ० +बी०आर० सी० समन्वयक	गैर आवासीय

चतुर्थ वर्ष के प्रशिक्षकों में पूर्व अनुभवों का सहारा लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलेगा ताकि कक्षा व स्कूलों में दिये गये प्रशिक्षण का प्रभाव दृष्टिगोचर हो एवं गुणवत्ता प्राप्ति में मदद मिले।

एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षणों में इस हेतु करने को कुछ नहीं था, अतः एस10एस10ए0 में पूर्ण के अनुभवों को इस बार लागू किया जायेगा ।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान व गणित के किट विभाग की ओर से भेजे जाते थे अब यह किट डायट व एन0पी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षक स्वयं तैयार स्कूलों में प्रयोग करेंगे ताकि अपने बनाये कार्य के प्रति उनमें संवेदना रहे ।

पंचम वर्ष का प्रशिक्षण

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण का विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय नगर आवासीय
1.	विषयगत पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	06	एन0पी0 आर0सी0	संबंधित क्षेत्र के सभी शिक्षक	टी0आ0टी0	हिन्दी, गणित, सं० अक्षर्यन विज्ञान, नैतिक शिक्षा कला आदि का पुनर्बोध	डायट+ डी0 पी0 आ0+बी0आर0सी0 समन्वयक	नगर आवासीय
2	अवधारणात्मक पुनर्बोधप्रशिक्षण	06	"	"	"	नेतृत्व प्रयत्न, नैतृत्व, कौशल, विद्यालयी अनिलेख, स्कूल भ्रमण, कौशलतात्मक प्रशासनिक कुशलता पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	"	"
3.	शिक्षण विधियों अधिगम सामग्री निर्माण पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	05	"	"	"	शिक्षण विधियों के लिए गए तारक प्रयोग आदिगम सामग्री के प्रयोग कौशल आदि पर प्रशिक्षण ताकि इनको सना स्तर लागू कर सके	"	"
4	कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	03	डायट	दो गये प्रमुख टी0आ0टी0	एस0आर0जी0	नेतृत्व प्रशिक्षण को समीक्षा, जनशिक्षा, शिक्षा विकास से सम्बन्धित शिक्षा को सार्कनीमोकर जगति पर पुनर्बोध प्रशिक्षण	डायट + डी0पी0ओ0	आवासीय

पांचवें वर्ष में सभी प्रशिक्षणों के पुनर्बोध प्रशिक्षणों की व्यवस्था रहेगी ताकि किए / सीखे गये प्रशिक्षण के तथ्यों, सन्दर्भों एवं विषयों को भूल न जायें । पिछले प्रशिक्षणों को फौड बैंक भी इस प्रशिक्षणों को ठीक

प्रकार से संचालित करने में मदद करेगा। क्योंकि सभी प्रशिक्षण सहभागिता आधारित होंगे, अतः तत्काल उपलब्ध या उठे हुये बिन्दुओं को भी प्रशिक्षण में शामिल किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

डी०पी०ई०पी० में उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था। अतः प्रशिक्षणों का लाभ उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक नहीं उठा सके। एस०एस०ए० में व्यवस्था की जायेगी कि पांच वर्ष तक चलने वाले प्रशिक्षणों में उच्च प्राथमिक शिक्षकों को शामिल किया जाये ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त की जा सके।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एस०ओ०पी०टी० का प्रशिक्षण गत वर्षों में चलता रहा है लेकिन इसके प्रशिक्षणों में गतिशीलता, सबकी सहभागिता, तथ्यपरकता आदि का अभाव रहा है अतः इन प्रशिक्षणों को तत्परता समयबद्धता एवं सहभागिता से चलाना होगा। प्राथमिक के लिए जो अच्छी बातें ठीक थी उन्हें उच्च प्राथमिक शिक्षकों पर भी लागू किया जायेगा ताकि व्यवहारिकता बनी रहे।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों लिए निम्नलिखित प्रकार का प्रशिक्षण पैकेज तैयार किए जायेंगे :-

प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयदस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय
1	विजनिंग वर्कशाप	04	डायट	डायट, डी०पी०ओ०, ए०आर०जी० चुने हुए सदस्य	एस०आर०जी०	एस०एस०ए० की अवधारणा, शिक्षा में बदलाव, नये बदलाव की आवश्यकता व समाज का सहयोग	डायट	आवासीय
2	" "	04	बी०आर० सी०	क्षेत्र के चुने हुए शिक्षाविद एवं बी०आर०सी० समन्वयक	एस०आर०जी० एवं टी०ओ०टी०	एस०एस०ए० की अवधारणा, शिक्षा में बदलाव, नये बदलाव की आवश्यकता व समाज का सहयोग	डायट + डी०पी०ओ०	गैर आवासीय
3.	अभिप्रेरण एवं अवधारणात्मक प्रशिक्षण	06	डायट	टी०ओ०टी०	एस०आर०जी०	शिक्षा, शिक्षक, बच्चे, अनचाहे संदेश, लिंग संवेदीकरण, विद्यालय, समाज बनाम शिक्षा, भाषा, गणित, समय प्रबन्धन, गुल्याकन, शिक्षा के संवेदनात्मक पहलू तथा गतिविधियां आदि	डायट	आवासीय
4	" "	06	बी०आर० सी०	उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक	टी०ओ०टी०	" "	डायट, डी०पी०ओ०	गैर आवासीय

विजनिंग वर्कशाप(दृष्टिकोणात्मक कार्यशाला) से किसी भी बिन्दु पर एम सकारात्मक दृष्टिकोण व राह निर्धारित होती है इसी नवीन विधा के प्रति रचनात्मक वातावरण बनता है विजनिंग वर्कशाप का डी०पी०ई०पी० में अच्छा उपयोग हुआ था और वह अब भी किया जायेगा।

शिक्षा में संवेदनात्मक पहलू की अब तक उपेक्षा हुई है इसी लिए बच्चों विद्यालया, पाठ्य पुस्तकों आदि को अपना नहीं समझते इसी बात को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिक शिक्षकों को अभिप्रेरण प्रशिक्षक की अति आवश्यकता है, डी०पी०ई०पी० में प्राथमिक शिक्षकों ने अभिप्रेरण प्रशिक्षण की सराहना की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख अंशों को नवीन गतिविधियों सहित कुछ विषय उपरोक्त सारिणी के अनुसार रखे जायेंगे ताकि उच्च प्राथमिक शिक्षक भी इसका लाभ पा सकें।

द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय	प्रस्तावित धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाएँ एवं कक्षा शिक्षण	07	डाइट	टी0ओ0टी0	एस0आर0जी0	पाठ्यक्रम से परिचय, नवीन पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण, कक्षा शिक्षण के चैक दिन्दु, शिक्षक संदर्शिकाओं का महत्व	डाइट	आवासीय	
2.		07	बी0आर0 सी0	ब्लाक के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के शिक्षक	टी0ओ0टी0		डाइट + डी0पी0आ0	गैर आवासीय	
3.	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	03	डाइट	टी0ओ0टी0	एस0आर0जी0	सतत व्यापक मूल्यांकन से परिचय, नवीन अवधारणा, विश्लेषण	डाइट	आवासीय	
4.		03	बी0आर0 सी0	ब्लाक समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक	टी0ओ0टी0	सतत व्यापक मूल्यांकन से परिचय, नवीन अवधारणा, विश्लेषण	डाइट एवं डी0पी0ओ0	आवासीय	

द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं कक्षा शिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि इससे जुड़ी प्रक्रिया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भी शिक्षक समय से क्षेत्र में उपयोग कर सकें। नवीन पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों स्कूलों में प्रयोग होने लगेंगे अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण के डी0पी0ई0पी0 के अनुभवों के आधार पर अच्छे व सार्थक विषयों को लिया जायेगा, अनावश्यक समझे जाने वाले विषयों को हटा दिया जायेगा ताकि उच्च प्राथमिक स्कूलों के अनुरूप प्रशिक्षण की समय-सारिणी बनायी जा सके।

तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागियों	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय	प्रस्तावित धनराशि
शिक्षण के कठिन स्थलों पर चिन्हिकरण प्रशिक्षण	05	डायट	टी0ओ0टी0	एस0आर0जी0	नवीन पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षक संदर्शिकाओं में कठिन स्थलों पर छाटकर समस्या समाधान	डायट	आवासीय	
	05	एन0पी0 आर0सी0	एन0पी0आर0सी0 के उच्च प्रा0वि0 के समस्त शिक्षक	टी0ओ0टी0		डायट, डी0पी0ओ0	गैर आवासीय	
विभिन्न विषयों के आदर्श पाठों पर प्रशिक्षण	05	डायट	टी0ओ0टी0	एस0आर0जी0	पाठ्यपुस्तकों के चयनित पाठों को लेकर प्रशिक्षण	डायट	आवासीय	
विभिन्न विषयों के आदर्श पाठों पर प्रशिक्षण	05	एन0पी0 आर0सी0	एन0पी0आर0सी0 के उच्च प्रा0वि0 के समस्त शिक्षक	टी0ओ0टी0	पाठ्यपुस्तकों के चयनित पाठों को लेकर प्रशिक्षण	डायट, डी0पी0ओ0	गैर आवासीय	

तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षक संदर्शिकाओं पर बराबर पुष्टीकरण होना एवं बार-बार शिक्षक प्रक्रिया से जुड़ना शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा इसी हेतु पाठ्य पुस्तकों कठिन स्थलों की पहचान तथा आदर्श पाठों का वाचन निरन्तर होते रहना, शिक्षा, शिक्षक तथा विद्यालय के लिए आवश्यक है अतः यह प्रशिक्षण आवश्यक है। एस0ओ0पी0टी0 में इस प्रकार की सुविधा शिक्षकों को नहीं थी, एस0एस0ए0 में यह प्रबन्ध करना आवश्यक होगा इस प्रकार के निरन्तर प्रशिक्षणों से शिक्षक भी बच्चों के साथ सक्रिय रहेंगे तथा गुणात्मकता को प्राप्त किया जा सकता है और इसी से कक्षा को व्यवहारिक बनाया जा सकता है।

चतुर्थ वर्ष प्रशिक्षण -

क्र	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागियों	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम सामग्री विषय	05	डायट	टी0ओ0टी	एस0आर0जी0	शिक्षण सूत्र सीखने के पक्ष में सामग्री की भूमिका नवीनतम संदर्भों में	डायट	आवासीय
2	सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम सामग्री विषय	05	एन0पी0 आर0सी0	एन0पी0आर0सी0 के उच्च प्रा0वि0 के समस्त शिक्षक	टी0ओ0टी0	शिक्षण सूत्र सीखने के पक्ष में सामग्री की भूमिका नवीनतम संदर्भों में	डायट, डी0पी0ओ0	गैर आवासीय
3.	विषय परिचय पत्रियों की निर्माण कार्यशाला	05	डायट	टी0ओ0टी0	एस0आर0जी0	विषयगत पाठ्य के आधार पर नवीन संकल्पनाओं सहित छोटे पत्र बनाना	डायट	आवासीय
4.	आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग प्रशिक्षण	05	एन0पी0 आर0सी0	एन0पी0आर0सी0 के उच्च प्रा0वि0 के समस्त शिक्षक	टी0ओ0टी0	कम्प्यूटर वी0सी0 आर0, टेपरिकार्डर आदि को हैण्डल करना	डायट, डी0पी0ओ0	गैर आवासीय

सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री, विभिन्न विषयों पर विषय पत्रियों का निर्माण एवं आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षण विद्यालयों को नवीनतम व्यवस्था से जोड़ेगा अतः यह प्रशिक्षण आवश्यक होगा इससे भौतिक सामग्री का सदुपयोग भी होगा।

उपरोक्त प्रशिक्षणों में नवाचारों और क्षेत्र से आई समस्याओं को जोड़कर प्रशिक्षणों की रूपरेखा बनाई जायेगी। ऐसा इसलिए किया जायेगा ताकि क्षेत्र की जो व्यावहारिक समस्याएँ हैं, उनका भी सामना करने के लिए विन्दुओं का समाधान होता चले। इन प्रशिक्षणों में आयोजन, नियोजन तथा प्रबन्धन की व्यवस्था सम्बन्धी आयाम साथ-साथ चलते हैं। अतः प्रतिभागियों के साथ में विचार-विमर्श भी साथ-साथ चलता रहेगा।

पंचम वर्ष प्रशिक्षण -

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण के प्रतिभागी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण की विषयवस्तु	पर्यवेक्षक	आवासीय गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनुगमन प्रशिक्षण	05	डायट	टी0ओ0टी0	एस0आर0जी0	प्रत्येक विषय व टॉपिक्स पर विविध प्रशिक्षण विषय शामिल होंगे ताकि इन प्रशिक्षणों का सतत व व्यापक अनुगमन शामिल हो सके ।	डायट	आवासीय
2	अनुगमन प्रशिक्षण	05	बी0आर0सी0	ब्लॉक के सभी शिक्षक	टी0ओ0टी0	प्रत्येक विषय व टॉपिक्स पर विविध प्रशिक्षण विषय शामिल होंगे ताकि इन प्रशिक्षणों का सतत व व्यापक अनुगमन शामिल हो सके ।	डायट डी0पी0ओ0	गैर आवासीय
3.	मासिक पश्च पोषण चलाने की रूप रेखा	10	एन0पी0आर0सी0 पर प्रत्येक माह में 2 दिन	ब्लॉक उच्च प्रा0वि0 के समस्त शिक्षक	टी0ओ0टी0	विभिन्न विषय में शिक्षक चिन्हित करेंगे उनके विषयगत व कक्षा शिक्षण के विषय शामिल होंगे ।	डायट डी0पी0ओ0	गैर आवासीय

पंचम वर्ष में अनुगमन कार्य ही उच्च प्रा0वि0 की गुणवत्ता का संवर्धन करेगा। मासिक पश्च पोषण करने की प्रक्रिया विद्यालयों से बच्चों व शिक्षकों को जोड़ने का माध्यम रहेगा।

इन प्रशिक्षणों का प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि शिक्षकों द्वारा बताये गये विषयों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाये ताकि कक्षा के अन्दर व बाहर के प्रयास आगामी वर्षों में भी जारी रहें । एन0पी0आर0सी0 के अनुभव जो उपयोगी हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जायेगा ।

अन्य सार्थक प्रयोग :-

उच्च प्राथमिक विद्यालय कुछ अर्थों में प्राथमिक विद्यालयों से अलग तरह की स्थिति भी रखते हैं ।

अतः इनके लिए विशेष अन्य सार्थक प्रयोग भी करने होंगे जैसे -

1. विषय वार प्रशिक्षण :-

चूँकि उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को विषय की गहन समझ होनी चाहिए अतः विषयवार नवीनतम अवधारणाओं सहित समझ विकसित होनी आवश्यक है । इसके लिए बी0आर0सी0 स्तर पर तीन-तीन दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

2. विज्ञान किट, गणित किट व अन्य किटों का प्रयोग :-
इसके लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को इसमें नवीनतम तरीके से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से उच्च शिक्षा के लिए मार्ग खुलते हैं। अतः इस स्तर के उच्च प्राथमिक शिक्षकों की ब्लाक स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
3. इसके लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि उनकी पुस्तकों में विस्तार से बहुत से विषय रहते हैं, अतः उन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
4. एक्सपोजर डिजिट की विशेष व्यवस्था :-
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अन्य ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण, अच्छे विद्यालयों व बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0केन्द्रों का भ्रमण करवाना आवश्यक रहेगा, ताकि उनका शैक्षिक दृष्टिकोण विस्तृत होता रहे तथा वे विभिन्न शैक्षिक नवाचारों से परिचित हो सकें।
5. दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग :-
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत आधुनिक संसाधनों से युक्त करना होगा, ताकि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग बच्चे व शिक्षक कर सकें। टेलीविजन, कम्प्यूटर, टेपरिकार्ड ट्रांजिस्टर आदि की सुविधाएं एवं उन्हें चलाने के लिए धनराशि व संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
6. पर्यवेक्षण व निरीक्षण करने वालों के लिए शुरुआती दौर में ही प्रशिक्षण की रचना :-
यह अति आवश्यक है क्योंकि पारम्परिक से ही बी0एस0ए0, ए0वी0एस0ए0, एस0डी0आइ, तिलना समन्वयकों एवं डायट के मेन्टर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि समय रहते उन लोगों में एवं शिक्षकों के मध्य तालमेल बना रहे।
7. ग्राम शिक्षा समितियों का पुनःप्रशिक्षण :-
बदलते सन्दर्भों में एस0एस0ए0 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देने होंगे, ताकि समुदाय की सहभागिता का व्यावहारिक पक्ष सार्थक रूप से उपयोगी हो सके।
8. सन्दर्भ समूहों का न्याय पत्रागत एवं बी0आर0सी0 स्तर पर गठन की प्रक्रिया और सार्थक रूप से करनी होगी, तभी उनका सार्वजनिक और अच्छे रूप में लिया जा सकता है।

9. कम्प्यूटर प्रशिक्षण :-

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा आवश्यक होगी, अतः शिक्षकों का प्रशिक्षण इस विषय में आवश्यक होगा । यह प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों के लिए हो ताकि विज्ञान के बदलते सन्दर्भों से शिक्षक एकाकार हो सकें । डायट स्तर पर डायट संकाय के सदस्यों को सीमेट इलाहाबाद में प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा, फिर डायट के प्रशिक्षित संकाय द्वारा चयनित ब्लाक स्तरीय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

10. नेतृत्व प्रशिक्षण :-

विद्यालयों के कुशल संचालन हेतु प्रधानाचार्य उस धुरी की तरह हैं जिसके इर्द गिर्द अध्यापक रूपी चक्र घूमते रहते हैं । प्रधानाचार्य में नेतृत्व प्रदान करने हेतु पूर्ण ज्ञान एवं क्षमता होनी चाहिए, ताकि वह अपने सहयोगियों को उचित दिशा निर्देश देकर विद्यालय का उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर करता रहे ।

एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में डी0पी0ओ0 कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आयोजित किया जायेगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । आगामी वर्षों के आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षणों का आयोजन सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । आगामी वर्षों के आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षणों को आयोजित किया जायेगा । सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों के विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक कार्य योजना के रूप में आदान प्रदान किया जायेगा तथा इनका अभिलेखीकरण किया जायेगा ।

पाठ्य सामग्री :-

डी0पी0ई0पी0में पाठ्यपुस्तकों को निःशुल्क देने का प्राविधान किया गया है । यद्यपि अभी इससे लड़कियाँ / अनुसूचित जाति / पिछड़ीजाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चे ही लाभान्वित होते हैं । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्य जुलाई 2000 में प्रारम्भ हुआ, जो आगे भी जारी रहेगा ।

इन पुस्तकों के वितरण से 207628 बालक बालिकायें लाभान्वित होंगे । इन पर लगभग 10.50 लाख रू० व्यय होगा । एस०एस०ए० के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक के बच्चों का भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों मिलेगी इन पर अनुमानित व्यय 14.58 लाख रू० होने का प्रतिवर्ष अनुमान है ।

इस परिप्रेक्ष्य में यह भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि शिक्षक सन्दर्शिकाओं पर भी इससे ज्यादा 5 लाख रूपया व्यय होने का अनुमान है । उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए नवीन पाठ्यपुस्तकों का लिखा जाना व सन्दर्शिकाओं का निर्माण अपने अन्तिम चरण में है । सम्भावना है कि वर्ष 2002 जुलाई से ये क्षेत्र में लागू हो जायेंगी । उच्च प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों से लाभान्वित होंगे । चूंकि कक्षा 6 से 8 तक के बालक-बालिकायें किशोर होने की आयु को प्राप्त करते हैं, अतः उनके लिए उसी प्रकार के साहित्य की रचना करना भी समीचीन होगा ।

समय सारणी (साप्ताहिक)

	<u>कक्षा 1 व 2 (वादन समय)</u>
भाषा हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट x 16
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट x 16
सामाजिक अध्ययन	प्रति घंटा 40 मिनट x 16

कक्षा 3,4 व 5 वादन/समय	उच्च	प्राथमिक	स्तर
वादन/समय			
भाषा हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट x 10	40 मिनट x 9	
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट x 10	40 मिनट x 9	
विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट x 5	40 मिनट x 6	
सामाजिक विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट x 5	40 मिनट x 6	
अंग्रेजी	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 5	
संस्कृत	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 5	
समाजपयोगी कार्य	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 2	
कला शिक्षण	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 2	
शारीरिक शिक्षा	प्रति घंटा 40 मिनट x 2	40 मिनट x 2	
कृषि कार्य आदि	प्रति घंटा 40 मिनट x 2	40 मिनट x 2	

स्रोत :- डायट फरीदपुर

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को अन्य कार्यों में न लगाया जाये, ताकि उन्हें 220 दिनों तक कार्य करने का मौका मिले । इस हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन का कला में पारंगत करना होगा। समुदाय की भागीदारी बढ़ानी होगी, ताकि मानव संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके । विद्यालयों में 8 घंटे तक कार्य हो ऐसी समय-सारिणी भी संचालित करनी होगी।

शिक्षण समय को बढ़ाना :-

प्रत्येक माह डायट मेन्टर द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारिणी का अध्ययन किया गया । प्राथमिक विद्यालयों में समय सारणी का उपयोग कुछ ही विद्यालयों में किया जाता है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी समय सारणी का प्रयोग कुछ ही विद्यालयों में किया जाता है ।

सारिणी -1

कार्यदिवस	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. प्रस्तावित कुल शिक्षण दिवस	220	220
2. कुल कार्य दिवस जिनमें कार्य हुआ ।	210	210
3. परीक्षा	08	12
4. अन्य कार्य	20	10
5. नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
6. समुदाय से सम्पर्क	10	10
7. कुल शिक्षण दिवसों की सं०	162	168

स्रोत :- डायट फरीदपुर, बरेली ।

डायट फरीदपुर द्वारा केन्द्रीय विद्यालय फरीदपुर, प्रा०वि० रामबक्शपुरम, नगर क्षेत्र कन्या प्रा०वि० एवं उ०प्रा० वि० उर्दू मीडियम के रिकार्ड को देखने पर ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा निर्धारित 220 दिन शिक्षण दिवसों के बाद भी वास्तविक रूप में विद्यालय 210 दिन ही खुल पाते हैं जिनमें शिक्षण का कार्य प्रा० वि० में 162 दिन एवं उ०प्रा० वि० में 168 दिन ही हो पाता है ।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका

अकादमिक नेतृत्व/ क्षमता सम्बर्द्धन

बरेली जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक प्रशिक्षण की एक सम्पूर्ण इकाई अपने में है। ये अपने सात विभागों के माध्यम से अकादमिक नेतृत्व का गुण रखते हुए दिशा निर्देशन देता है । गुणवत्ता विकास एवं शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में डायट ने हमेशा ही नवाचारों का प्रयोग करते हुए नवीन रास्ते लोगों को दिखाये हैं । प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में मार्ग दर्शन देना इसका प्रमुख कर्तव्य है ।

प्रशिक्षणों के अभिमुखीकरण, पुनर्बोधात्मक एवं स्वयं प्रशिक्षण की योजना बनाकर लोगों को प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख गुण है । ऑकड़ों का संग्रह, सामग्री विकास, पेपर संरचना, पाठ्युस्तक विश्लेषण, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, विद्यालय भ्रमण, प्रशिक्षणों को अनुश्रवण, सतत व व्यापक मूल्यांकन, अर्थात् कोई भी

क्षेत्र हो डायट ने अपनी भूमिका का निर्वाह हर क्षेत्र में किया है । डायट अपनी क्षमता सम्बर्द्धन (केपिसिटी बिल्डिंग) शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाता रहता है, ताकि वो स्वयं मजबूत होकर अन्यो को भी सहयोग व निर्देशन दे सके ।

विषयगत प्रशिक्षण, शिक्षण विद्याओं में नवाचार, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, बी0आर0सी0, ए0 बी0 आर0 सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण आदि से संस्थागत विकास करना डायट अपनी भूमिकाओं में मानता है । राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर की शैक्षिक संस्थाओं में डायट संकाय के सदस्य जाकर स्वयं भी विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा अन्यो को भी नियोजन आयोजन व प्रबन्धन में प्रेरित कर हैं ।

डायट द्वारा बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 का सुदढीकरण :-

- प्रशिक्षण/कार्यशालायें/गोष्ठीयां/प्रतियोगितायें
- स्कूल अनुश्रवण/अनुसमर्थन/पश्च पोषण(फीड बैक)
- क्रियात्मक शोध
- शैक्षिक प्रयोगशालायें/पुस्तकालय विकसित करना
- विभिन्न कार्यक्रमों का
 - नियोजन
 - आयोजन
 - प्रबन्धन
 - रिपोर्टिंग/दस्तावेजीकरण
- आदर्श न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करना
- रिसोर्स ग्रुप का गठन
- दूरस्थ शिक्षान्तर्गत टेलीकांफेरेंसिंग की सुविधा प्रदान करना
- नवीन पाठ्य पुस्तको/सदरशिकाओं का प्रयोग एवं सामग्री निर्माण

- सूचना प्रबंधन
- सूक्ष्म नियोजन एवं शैक्षिक मानचित्रण

अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढीकरण -

डायट स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए ए0आर0जी0 का गठन किया गया है इसमें डायट संकाय के सदस्य, वैशिक शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा शास्त्री, समाजसेवी एवं शिक्षा प्रेमी पुरुषों व महिलाओं को शामिल किया गया है । हर माह इसकी बैठक डाइट में होती है । डायट पर सम्पन्न होने वाले शैक्षिक क्रियाकलापों एवं अन्य नवाचारों से सदस्यों को अवगत कराया जाता है, उनकी राय ली जाती है तथा उनके निर्देश पर आगामी माह के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है ।

स्वयं सेवा संगठनों की सहभागिता :-

गुणवत्ता सुधार एवं शिक्षा के सार्वजनीकरण में सर्वशिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । अतः जनपद में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेना महत्वपूर्ण होगा । जनपद में जिन एन0जी0ओ0 की अच्छी प्रतिष्ठा है, उन्हीं में से कुछ सदस्यों को ए0आर0जी0 का सदस्य बनाया गया है । कुछ सदस्यों को कभी-कभी ट्रेनिंग भी दी जाती है । एन0जी0ओ0 के समाज तथा सरकारी विभागों से अच्छे सम्पर्क होते हैं, अतः एस0एस0ए0 में इनकी मदद कारगर होगी ।

सहायक शिक्षण सामग्री का विकास करना -

सहायक शिक्षण सामग्री की भूमिका प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हु. । यही भूमिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी सार्थक सिद्ध होगी । डी0पी0ई0पी0 में इस हेतु रू0 500.00 का अनुदान प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक के लिए दिया गया, ताकि कक्षा शिक्षण में बेहतर मदद मिल सकें । शिक्षा इस 500.00 रू0 का उपयोग पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विविध शिक्षण उपक्रम सामग्री बच्चों के सहयोग से बनाते हैं । एस0एस0ए0 में इस अनुदान को जारी रखा जायेगा ताकि उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इस महत्वपूर्ण योजना से लाभ उठा सकें ।

इस योजना में एक सुधार करना होगा कि जो भी सहायक शिक्षण सामग्री पर व्यय होगा, उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाये ताकि इस योजना का व्यावहारिक लाभ बच्चों को हो सके । इसी रू0 500.00 के उपयोग से मेटेरियल मेले का आयोजन भी समय-समय पर किया जायेगा ।

कार्यशाला और गोष्ठियों का आयोजन :-

डी०पी०ई०पी० में कार्यशालाओं और गोष्ठियों का महत्व समझाया हुआ है । ए०एस०ए० में कार्यशाला और गोष्ठियों का आयोजन और बढ़ाना होगा । ये कार्यशालायें और गोष्ठियाँ डायट डी०पी०ओ० बी०आर०सी० केन्द्रों और ए०पी०आर०सी० केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी । ये आयोजन आने वाले प्रतिभागियों की समस्या समाधान के स्थल बनते हैं नवाचार पर विचार विमर्श होता है और सार्थक तथ्यों की उत्पत्ति होती है अतः कार्यशाला और गोष्ठियों की अपनी उपयोगिता है ।

कार्यशाला और गोष्ठियों के जो विषय पूर्व में उठ चुके हैं उनपर ए०एस०ए० में पत्रक तैयार कर प्रतिभागियों को वितरित किये जा सकते हैं । लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए नवीनतम सन्दर्भों से युक्त विषयों पर कार्यशाला और गोष्ठियाँ आयोजित की जा जायेगी जैसे—

1. एक ही टी०एल०एम० से विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई के लिए सामग्री का निर्माण ।
2. समुदाय के लोगों की कक्षा शिक्षण में भागीदारी ।
3. विभिन्न पाठों को सरल रूप में गतिविधि आधारित शिक्षण
4. नेतृत्व कला शिक्षकों में बढ़ाना ।

क्रियात्मक शोध एवं मूल्यांकन परीक्षण -

क्रियात्मक शोध डी०पी०ई०पी० की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी । लगभग ऐसे विषय जो हमारे आस-पास बिखरे पड़े थे, उन पर हम लोग बातें तो करते हैं पर शिक्षण प्रक्रिया में तो अपना कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस पर कभी सोच समझ कर कार्य नहीं किया गया था । डी०पी०ई०पी० ने यह सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान कर शिक्षकों का काम बेहद आसान कर दिया ।

क्रियात्मक शोध में सीमेट, इलाहाबाद अपना कार्य बखूबी निभा रहा है । सीमेट ने जहाँ अपने यहाँ बुलाकर क्रियात्मक शोध करने में प्राथमिक शिक्षकों और डायट संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया, वहीं आवश्यकतानुसार उनके प्रतिनिधि डायट या ग्रामीण इलाकों में जाकर भी लोगों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि आस-पास घूमने वाले विषयों का महान अध्ययन हो सके और कठिन काम भी सरल हो सकें ।

डायट फरीदपुर ने डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत 14 विषयों का अध्ययन कर सीमेट के सदस्यों के निर्देशन में क्रियात्मक शोध सम्पन्न कराये गये हैं । ए०एस०ए० में इस प्रक्रिया को और रोज करना होगा ।

डायट फरीदपुर बरेली में लैब एरिया के अध्यापकों ने, सीमेट इलाहाबाद के निर्देश में निम्न

क्रियात्मक विषय ।

1. कक्षा-2 के कुछ छात्रों में शब्द निमाण की समस्या (बोलने एवं लिखने में)
2. ब्लाक स्तर की होने वाली गोष्ठियों में अध्यापकों के अनुपस्थित रहने की समस्या ।
3. विद्यालयी शिक्षा में सुधार का सहयोग प्राप्त न होने की समस्या एवं निराकरण ।
4. बालिकाओं का नामांकन बालकों के नामांकन की अपेक्षा कम होने की समस्या ।
5. विकास खंड संसाधन केन्द्र की सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण में ग्रामवासियों के सहयोग के अभाव की समस्या ।
6. अन्य कार्यों को करने के साथ शिक्षण कार्य करने की समस्या ।
7. पिछड़े वर्गों की बालिकाओं का विद्यालय में कम नामांकन की समस्या ।
8. विद्यालय में नामांकित छात्रों की अनियमित उपस्थित की समस्या ।
9. कक्षा -4 के 25 छात्र / छात्राओं द्वारा पुस्तक न पढ़ पाने की समस्या ।
10. कक्षा 3, 4 एवं 5 के बालकों का मध्यान्तर अवकाश के बाद विद्यालय न लौटने की समस्या ।
11. कक्षा 4 में दच्चों के पास शिक्षण सामग्री के अभाव की समस्या ।
12. छात्रों के विद्यालय में गणवेश में न आने के कारणों का अध्ययन एवं निराकरण ।
13. नाषा ने "र" वर्ण के प्रयोग की समस्या ।
14. विद्यालयी शिक्षा सुचारु रूप से चलाने में ग्राम शिक्षा समितियों का सक्रिय न होना तथा उसका समाधान ।

ऑकड़ों का विश्लेषण, कम्प्यूटर प्रयोग तथा प्रशिक्षण में उपयोग :-

डी०पी०ई०पी० में ऑकड़ों के विश्लेषण की सुविधा मूलतः वर्तमान की पाठशालों तथा कम्प्यूटर की फलापी तक ही सीमित थी । बदलते सन्दर्भों में इसका कोई सार्थक उपयोग डायट या डी०पी०ओ० नहीं कर पाता है । ए०ए०एस०ए० में इस हेतु अलग से व्यवस्थायें हर हालत में करनी होंगी, क्योंकि डी०पी०ई०पी० का काफी विस्तृत अनुभव हम लोग के पास है । पुराने संसाधन भी मौजूद हैं । नवीन संसाधन भी और बढ़ाये जा सकते हैं ।

समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर का सार्थक उपयोग इन ऑकड़ों, के विश्लेषण में किया जा सकता है। ई0एम0आई0एस0 के द्वारा ऑकड़ों के विश्लेषण से कमियों पर तुरन्त ध्यान दिया जा सकता है और नवीन तथ्य जोड़े जा सकते हैं घटाये जा सकते हैं सही अर्थों में कम्प्यूटर की उपयोगिता एस0एस0ए0 में की जा सकती है।

अनेक विषयों की जानकारी विद्यालय, बच्चों व शिक्षकों से सीधी जुड़ी होती है। अतः विभिन्न प्रशिक्षणों में इनका उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं का उपयोग एक्शन रिसर्च और मूल्यांकन अध्ययन में किया जा सकता है।

मूल्यांकन व्यवस्था (परीक्षा)

अभी तक छात्रों के मासिक, छःमाही व वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था के निर्देश हैं हम सब जानते हैं कि मासिक परीक्षा या टेस्ट का प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कोई महत्व नहीं है। न तो बच्चा इससे जुड़ा है और न शिक्षक को पता है कि इसमें होना क्या है। साथ ही अभिभावक तो कई कारणों के होते हुए इससे उदासीन व अन्जान ही हैं।

एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ की पहल पर मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद ने सतत व्यापक मूल्यांकन पर कार्य किया था। उसके प्रशिक्षण भी आयोजित हुए, पर अभी उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

एस0एस0ए0 में चूंकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें, सन्दर्शिकायें आदि बदली जानी हैं, अतः साथ-साथ मूल्यांकन (परीक्षा) प्रणाली भी बदलनी होगी। नवीन मूल्यांकन प्रणाली में अंक और ग्रेड दोनों देना ठीक रहेगा। अंक देने की स्थिति में जहां विषयगत मूल्यांकन होगा, वहीं ग्रेड देने से बच्चे के व्यावहारिक पक्ष की भी जांच होगी। मासिक मूल्यांकन व मासिक परीक्षण में कक्षा के अन्दर व कक्षा के बाहर के अध्ययन की भी जांच होगी। साथ- साथ अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक परीक्षा तो होगी ही।

इस प्रक्रिया से पूरे वर्ष तक सभी बच्चे व शिक्षक शिक्षण कार्य से जुड़े रहेंगे। इससे स्कूलों में ठहराव बढ़ेगा। साथ ही किसी बच्चे को फेल करने से बचाव का अस्त्र कि इसे परीक्षा में बैठने ही न दिया जाय, से भी बचा जा सकेगा। इसके लिए रिकार्ड रखने की प्रक्रिया को मजबूत करना होगा, तभी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।

सर्वशिक्षा अभियान में सतत् व व्यापक मूल्यांकन ही गुणवत्तापरक शिक्षा का मानदण्ड होगा। डायट की इसमें अहम भूमिका होगी। कक्षा 5 के स्तर पर बी0आर0सी0 स्वयं एवं 8 के स्तर तक डायट अपने प्रश्नपत्र बनाकर सभी जगह लागू करवा सकता है। उसके मेन्टर्स सतत् व व्यापक मूल्यांकन की समीक्षा व विश्लेषण समय समय पर करेंगे। डी0पी0ओ0 का विशेष सहयोग इसमें रहेगा, क्योंकि फीड बैक देने का कार्य दोनों मिलकर करेंगे।

मूल्यांकन प्रणाली-

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इससे सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का अन्तिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की डायट संकाय के द्वारा बी0आ0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा। इसके बाद इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर कराया जायेगा।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उसके प्रतिभागी निम्नवत् सारणी द्वारा प्रदर्शित हैं:-

क्रमांक	कार्यशाला	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग वर्कशाप	डायट सदस्य, डी0पी0ओ0 स्टाफ, कुछ शिक्षक, एन0 पी0 ओ0 सदस्य	04 दिन
2.	शिक्षण प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चुने हुए प्रशिक्षण प्रशिक्षण		08 दिन
3. अ.	चुने हुए शिक्षामित्र/आचार्य जी का आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन

ब.	पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण		15 दिन
4.	चुने हुए वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण		10 दिन
	(अ) आधारभूत		
	(व) पुर्नबोधात्मक		08 दिन
5.	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशक कार्यकर्त्रियों एवं सहायकाओं का प्रशिक्षण		07 दिन
6.	बी०आर०सी०, ए०बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० प्रशिक्षण	समन्वयक व सह समन्वयक	06 दिन
7.	डी०पी०ओ के अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण	जिला बेसिकशिक्षाधिकारी / ए०बी०एस०ए० एस०डा० आई० / जिला समन्वयक	05 दिन
8.	पी०ई०सी० का प्रशिक्षण	बी०आर०जी० के रादरश	03 दिन
9.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, चयनित शिक्षक	30 दिन
10.	अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, गणित वृत्तिये प्राशिक्षक प्रशिक्षण		05 दिन
11.	शिक्षक प्रशिक्षण (मान संशु)	सभी शिक्षक	06 दिन
12.	नवतृत्व प्रशिक्षण	सभी प्रधानाध्यापक व चुने हुए कुछ शिक्षक	04 दिन

13.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट, स्टाफ, चुने हुए कुछ बी० आर०सी०, ए०बी०आर०सी०ए एन०पी०आर०सी० समन्वयक व कुछ चुने हुये शिक्षक	04 दिन
14.	टी०एल०एम० निर्माण प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक	04 दिन
15. अ.	सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	शिक्षक व अन्य	03 दिन
ब.	शिक्षक प्रशिक्षण	समस्त शिक्षक	03 दिन
16.	अकादमिक संसाधन समूह क्षमता क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण	ए०आर०जी० के सदस्यों का	04 दिन
17.	अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, जिला समन्वयक, बी०आर०सी० समन्वयक, ए०बी०आर०सी० व समस्त एन०पी०आर०सी० समन्वयक	03 दिन
18.	दूरस्थ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक, व कुछ समन्वयकों व डायट स्टाफ सदस्य	05 दिन
19.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट संकाय सदस्य	03 दिन

नवाचार कार्यक्रम

कक्षा शिक्षण में समुदाय' की भागीदारी:-

यह अनुभव किया जाता है कि

(1) ग्रामवासी विद्यालयों को सहयोग नहीं देते।

- (2) शिक्षक अभिभावकों से सम्पर्क नहीं करते।
- (3) विद्यालयों के बच्चों एवं प्रायणों को मना करते हैं।
- (4) शिक्षक पुरानी पद्धति से शिक्षण कार्य करते हैं।
- (5) बालिकाओं को पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता है।
- (6) इन समस्याओं के निराकरण हेतु समुदाय के लोगों की भागीदारी शिक्षण विद्याओं में सुनिश्चित की जायेगी।

बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों का सहयोग लेना, लड़के- लड़कियों में अन्तर न करने पर नवाचार अनेक ऐसे तथ्य हैं, जिन पर नवाचारों की श्रंखलायें बनायी जा सकती है। डायट और डीपीओ नवाचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य में कभी- कभी बच्चों का सहयोग भी लिया जायेगा अतः उनका सहयोग भी अपेक्षित है।

अकादमिक पर्यवेक्षण:-

अकादमिक पर्यवेक्षण में डीपीओ द्वारा अच्छी व्यवस्थाएँ व निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन निरन्तर प्रेरणा के अभाव में ये कार्य ज्यादा सफल नहीं हो पाया। एसएएसए में अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु एओआरसी, डायट संकाय सदस्य, डीपीओ सदस्य, डीओआरसी/ एओआरसी व एनपीओआरसी समन्वयकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अकादमिक पर्यवेक्षण के विविध पहलुओं पर उनका आधारभूत प्रशिक्षण होना अनिवार्य होगा। स्कूल भ्रमण, स्कूलों का सौन्दर्यीकरण, पाठ्यपुस्तकों, सन्दर्शिकाओं, स्कूलों का श्रेणीकरण, अनुश्रवण आदि अनेक स्तरों पर है, जिन पर सामूहिक व एकतरह का काम करना आवश्यक है।

अकादमिक पर्यवेक्षण में डायट केंद्र में रहता है अतः इसकी भूमिका सार्वभौम प्रमुख की विशेषकर रहेगी। डायट की प्रशिक्षण का एजेंडा बनायेगा, प्रशिक्षण पैकेज तैयार करेगा तथा प्रशिक्षण के नियोजन, आयोजन व निष्पत्ति में उस समय मदद करेगा। यह अकादमिक पर्यवेक्षण निश्चित करेगा कि जो कमियाँ आज

मौजूद हैं, उनका सुधार करते हुए स्कूलों को "अ" श्रेणी में लाकर गुणवत्ता विकास का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाये।

बी०आर०सी० / ए०बी०आर०सी० एवं एन० पी०आर०सी० समन्वयक व सह समन्वयक की भूमिका—

डी०पी०ई०पी में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ए०ए०ए० में भी इन तीनों पदों की अहम भूमिका रहेगी। अतः इनके कार्यों का और विस्तार देना आवश्यक रहेगा। डायट स्तर से इन लोगों के अभिमुखीकरण एवं नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। इन्हीं के माध्यम 'समर्थन' में विशेष सन्दर्भ दिये गये हैं, जिनमें इनके कार्यों का महत्व एवं विस्तार उल्लेखित होता है।

ए०ए०ए० में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनार, बैठकों का नियोजन, आयोजन, प्रबन्धन, विद्यालयों, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण, समुदाय की सहभागिता, अन्य विभागों से समन्वय, आंकड़ों का संकलन, डायट तथा केन्द्रों के मध्य कड़ी, सन्दर्भ समूहों का गठन, एक्शन रिसर्च, सतत् व व्यापक मूल्यांकन, टी०एल०एम० निर्माण कार्यशाला, संवार, माध्यमों का प्रयोग, ए०टी०ए० पी०टी०ए० की मीटिंग, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, लानैंग कार्नेर की व्यवस्था आदि से इस कार्यक्रम में गुणवत्ता वृद्धि व सार्वजनीकरण की दिशा में और ज्यादा उपलब्धि हासिल होगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण:

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), फरीदपुरमें सुदृढीकरण के लिए अनेक गुंजाइश है। चूँकि यह बरेली मण्डल के केन्द्र की डायट है, अतः इस पर मानवीय व मौलिक संसाधन होना अति आवश्यक है। डायट के सुदृढीकरण हेतु एक पारदर्श्य मोचे दिया जा रहा है—

क्रमांक	डायट की वर्तमान स्थिति	सुदृढीकरण हेतु मांग
1-	कक्षा-भवन	(1) आडटोरियम कक्ष एक है, पर पुराना है।
2-	बडा सभागार	(2) बना है लेकिन इसके सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है।

3-	छात्रावास	(3.) पुरुष छात्रावास के सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है।
4-	शिक्षक आवास	(4.) कम से कम 15 शिक्षक आवास की और आवश्यकता है।
5-	मॉडल स्कूल	(5.)(अ) होस्टल के कमरों में मॉडल स्कूल चल रहा है। इसकी अपनी बिल्डिंग की आवश्यकता है। वर्तमान बिल्डिंग टूटी-फूटी है जिसमें किसी तरह कार्यचलाया जा रहा है। (ब) ओबीबीबी के लिए अभी भौतिक सामग्री की आवश्यकता है। (स) विभिन्न प्रशिक्षणों में यहाँ के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाये।
6-	शौचालय	(6) 4(चार) स्थान पर नवीन शौचालय बनें।
7-	पेयजल	(7) कम से कम 5 स्थानों पर इंडिया मार्क नल लगे।
8-	फर्नीचर आदि	(8) 20 बड़ी मेज, 200 कुर्सियों, 150 तख्त, 150 गद्दे, 150 चादरे, 150 लाकड़ा, 150 लिहाफ व कन्दल की आवश्यकता है। 20 अल्मारी चाहिए गोदरेज की।
9-	जीप	(9) जीप है और सही स्थिति में है।
10-	कम्प्यूटर	(10) 3 कम्प्यूटर नये चाहिए प्रिन्टर सहित। कम्प्यूटर लैब चाहिए। इस समय 3 कम्प्यूटर हैं जो बहुत पुराने व खराब हैं।
11-	जनरेटर	(11) एक जनरेटर की और आवश्यकता है। इस समय 2 जनरेटर हैं।

- 12- टाइपराइटर मशीन (12) 5 टाइपराइटर मशीन और चाहिए
- 13- इलेक्ट्रॉनिक टाइप मशीन (13) इसके संचालन के लिए स्टाफ प्रशिक्षित किया जाए। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
- 14- फोटोस्टेट मशीन (14) नयी फोटोस्टेट मशीन की आवश्यकता है। एक मशीन है जो बहुत पुरानी होने के कारण ठीक नहीं हो सकती।
- 15- विज्ञान लैब (15) विज्ञान लैब की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। लैब है पर बहुत पुरानी है, सामग्री व उपकरण नहीं है।
- 16- टेलीविजन (16) टी0वी0 सेट दो हैं जो ठीक हैं।
- 17- पुस्तकालय (17) धनराशि और चाहिए ताकि इसे और सुसज्जित किया जा सके। इस समय पुस्तकालय ठीक है।

सारिणी 9.26

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर की क्षमता का सम्बर्द्धन

क्रम	पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त	टिप्पणी
1-	प्राचार्य	01	01	—	—
2-	उप प्राचार्य	01	01	—	—
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	00	06	आवश्यकता है।
4-	प्रवक्ता	17	05	12	12 प्रवक्ता की झोर आवश्यकता है
5-	कायोनुभव शिक्षक	01	01	—	—
6-	तकनीकी सहायक	01	01	—	—
7-	सांख्यिकी कार	01	01	—	—
8-	प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रा० शिक्षक	04	00	04	आवश्यकता है।
9-	कार्यालय अधीक्षक	01	01	—	—
10-	लेखाकार	01	00	01	आवश्यकता है।
11-	पुरतकालय अध्यक्ष	01	01	00	अनौपचारिक शिक्षा समाप्ति से समायोजित
12-	शिविर सहायक	01	01	—	अनौपचारिक शिक्षा समाप्ति से समायोजित

13-	कनि० लिपिक	09	09	—	—
14-	प्रयोगशाला सहायक	02	02	—	अनौपचारिक शिक्षा समाप्ति से समायोजित
15-	परिचारक	05	05	—	—

विशेष:- डायट में क्षमता सम्बद्धता के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैं:-

1. डायट के सात विभागों के अनुसार बजट का आवंटन हो एवं उच्चाधिकारियों के पत्र विभाग वार भेजे जायें, जिन पर प्राचार्य का नियन्त्रण हो।
2. विभागवार संकाय अध्यक्षों व सहयोगियों का प्रशिक्षण यथा समय होता रहे।
3. शैक्षिक तकनीकी हेतु स्टाफ प्रशिक्षित किया जाए।
4. क्रियात्मक शोध के लिए डायट को स्वतन्त्र रूप से विकसित किया जाय।
5. कम्प्यूटर कार्यों के लिए स्टाफ प्रशिक्षित किया जाय।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार व प्रोत्साहन योजना व्यवस्था:-

डी०पी०ई०पी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जो भी पुरस्कार व प्रोत्साहन योजना रही थी, इसकी कोई जानकारी नहीं रही और न ही इनकी प्रचार प्रसार किया गया। ए०ए०ए० में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व कार्य भावना पैदा करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करना होगा।

इसके लिए अच्छा कार्य करने वालों को निम्न प्रकार पुरस्कृत किया जाये:-

(1) बी०आर०सी० स्तर पर	रु०	10,000=00	प्रोत्साहन योजना
(2) एन०पी०आर०सी० स्तर पर	रु०	7,000=00	की प्रोत्साहन योजना
(3) विद्यालय स्तर पर	रु०	3,000=00	" " "
(4) डायट स्तर पर	रु०	20,000=00	" " "
(5) बी०ई०सी० स्तर पर	रु०	3,000=00	" " "

ये पुरस्कार योजना शिक्षा के विविध क्षेत्रों में मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। साथ ही वेतन वृद्धि, सी०आर० में अच्छी इण्ट्री, अन्तराष्ट्रीय भ्रमण, एक्सपोजर विजिट की सुविधा दी जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहयोग:-

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहयोग डी०पी०ई०पी० में जहां आवश्यक था वहीं एस०एन०ए० में इसे जारी रखा जायेगा। समुदाय के सहयोग से डी०पी०ई०पी० में विद्यालय सौन्दर्यीकरण, भौतिक संसाधन वृद्धि एवं कक्षा के अन्दर के सुधार काफी हुए थे, एस०एस०ए० में भी सामुदायिक सहयोग में वृद्धि की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सूटूढीकरण
भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (लाखों में)
1-	कार्यालय भवन की एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2-	एक सभाकक्षा का निर्माण	8.00
3-	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	50.00

उपकरण/साज सज्जा

1-	कम्प्यूटर (4) प्रिंटर, यू0पी0एस0	6.00
2-	फोटोकॉपीयर	1.50
3-	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, रेक, कुर्सी— मेज	1.00
4-	जेनरेटर, वाटर कूलर, ड्रिपिंग मशीन, फैंस मशीन	1.50
	योग	10.00

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1-	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2-	कार्यशालाएं/ सेमिनार	2.00
3-	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4-	कॉन्फ्रेंस	1.00
5-	वाहन रख-रखाव/ पी0ओ0एल0	0.50
	योग	10.00

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सामग्री विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक-प्रशिक्षण सामग्री के विकास में ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय 10

परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :-

इस योजना की अवधि वर्ष 2001 से 2010 तक की होगी। इस अवधि में छः से चौदह आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी योजना का कार्यक्रम एवं प्रबन्ध उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध लोकतांत्रिक होगा जिससे अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित होगी। परियोजना का प्रबन्ध टीम भावना पर निर्भर होगा। समय समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध तंत्र संवेदनशील लचीली प्रणाली :-

योजना की समस्त प्रतिक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाया है। इस व्यापक कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जबावदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों हेतु तीव्र गति प्रदान करने और सकारात्मक विधियों के साथ एक प्रबन्ध तंत्र तैयार किया है जो निम्नवत है:-

निर्णायक समितियां	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्ध पवित	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0वी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0एस0आई0 एस0आई0ई0टी0, एन0पी0जी0 आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक / अध्यापक	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

बेसिक शिक्षा को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित समितियां/केन्द्रों का गठन किया गया है।

01	ग्राम स्तर	ग्राम शिक्षा समिति	
02.	न्याय पंचायत स्तर	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	
03.	ब्लाक स्तर	(अ)	क्षेत्र पंचायत समिति
		(ब)	ब्लाक स्तर का प्रशासनिक संगठन
04.	जिला स्तर	(अ)	जिला स्तरीय समिति
		(ब)	जिला बेसिक शिक्षा समिति

ग्राम शिक्षा समिति

बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अधीन गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

01	अध्यक्ष	ग्राम पंचायत का प्रधान
02.	सचिव	ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक (ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल होने की दशा में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत ज्येष्ठतम) प्रधानाध्यापक
03	सदस्य	राहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित बेसिक स्कूल छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला)

अधिकार एवं कर्तव्य

उपरोक्त गठित समितियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :-

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा समन्धी निम्नलिखित कार्यो सम्पादन उपरोक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

- पंचायत क्षेत्र में स्थित बेसिक स्कूल के निष्पादन हेतु प्रबन्ध प्रशासन और नियंत्रण।
- सम्बन्धित स्कूलों के विकास कार्यो, प्रसार और सुधार हेतु योजनाएं तैयार करना।
- बेसिक स्कूलों के भवनों और उपकरणों के सुधार हेतु जिला पंचायत को सुझाव प्रस्तुत करना।
- अध्यापकों/कर्मचारियों के समय पालन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यवाही करना।
- पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित किसी बेसिक स्कूल के अध्यापक/कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघुदण्ड देने की सिफारिश करना।

(च) राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये ऐसे दायित्व कार्य जो बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित हों।

ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है। जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। बेसिक शिक्षा के मामले में ग्राम शिक्षा समिति जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। बेसिक शिक्षा के बुनियादी स्तर से प्राइमरी शिक्षा के लक्षित विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा बस्ती/ग्राम स्तर पर इसे अधिक प्रभावी बनाने, सक्रिय सामुदायिक, भागीदारी शैक्षिक योजना तैयार कर समयवृद्धि क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को सूक्ष्म नियोजन आदि विद्यालयों में सक्षम बनाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, पोषाहार का वितरण, छात्रवृत्ति का वितरण, शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मॉग व उनके परिवेश का निर्माण, संसाधनों का संकेन्द्रण, शिक्षा मित्रों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ तथा अनुदेशकों का वेतन मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

डी०पी०ई०पी० द्वारा स्थापित एन०पी०आर०सी० (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र) :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जनपद में सभी 144 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। इन्हें सुसज्जित किये जाने के साथ साथ न्याय पंचायत समन्वयकों को नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

न्याय पंचायत समन्वयकों के कार्य एवं दायित्व

01. विद्यालयों का शैक्षिक निरीक्षण करना।
02. अध्यापकों की कठिनाइयों, शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु बैठक आयोजित करना।
03. अपने क्षेत्र की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित करना।
04. वी०ई०सी० के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
05. विद्यालय में गुणवत्ता, सुधार, परिवेश, निर्माण हेतु शिक्षा समितियों का सहयोग प्राप्त करना।

ब्लाक स्तर पर गठित क्षेत्र पंचायत समिति

पदाधिकारी

01.	अध्यक्ष	ब्लाक प्रमुख
02.	सदस्य/सचिव	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उप विद्यालय निरीक्षक
03.	सदस्य	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान
04.	सदस्य	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक

क्षेत्र पंचायत समिति के अधिकार और कर्तव्य :-

जिला परियोजना समितियों के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रिया-व्ययन करना, ब्लाक संशोधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संशोधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, इस समिति का मुख्य दायित्व है। क्षेत्र पंचायत समिति, ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जे0आर0वाई0 के लिए आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह समिति विशेष सहायक होगी, जिसके लिये प्रत्येक माह एक बैठक अनिवार्य होगी।

ब्लाक स्तर का प्रशासनिक संगठन :-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक नियुक्त है। विकास क्षेत्र की ग्राम शिक्षा समितियों ब्लाक संसाधन केन्द्र न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा। विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की शुद्धता से भरवाना समय से एकत्रित कर जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराना इनका उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे उनके कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं :-

01. अध्यापकों की स्थिति सुनिश्चित कर बेतन बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना।
02. विद्यालयों का निरीक्षण कर गुणवत्ता में सुधार लाना।

03. शैक्षिक आकड़ें एकत्रित कर उनका संकलन करना।
04. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना एवं सूचना एकत्र करना।
05. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
06. विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य का पर्यवेक्षक करना।
07. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
08. पोषाहार वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र करना।
09. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालिक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करना।
10. ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
11. विद्यालय में मानक के अनुसार छात्र/अध्यापक अनुपात बनाए रखना एवं आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां करना।
12. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
13. ई0जी0एस0. ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण तथा केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगत नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित ब्लाक संशोधन केन्द्र :-

जनपद में डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों को स्थापित कराया जा चुका है जोकि विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। उक्त सभी केन्द्रों पर एक ब्लाक समन्वयक एवं एक सह समन्वयक की नियुक्ति की जा चुकी है कार्य की व्यापकता तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ब्लाक संसाधन केन्द्र पर एक अतिरिक्त सह समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त सह समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों में सहायता के अन्तर्गत पर्यवेक्षण सूचना के एकत्रीकरण, संकलन, विद्यालय की सारिखकी प्रपत्रों का एकत्रीकरण संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण आदि कार्य सम्पादित करेंगे।

सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में समय की बचत हेतु प्रत्येक ब्लॉक सशोधन केन्द्र को एक कम्प्यूटर दिए जाने की योजना है जिसमें एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जाए।

वी०आर०सी० समन्वयकों के कर्तव्य और दायित्व :-

01. ब्लॉक स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हितों में उसका नियोजन करना।
02. विद्यालयों का शैक्षिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण कार्य नवीन विधियों के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं।
03. विकास खण्डों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आंकलन, संकलन तथा सूक्ष्म नियोजन करना।
04. विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग एवं अन्य अनुश्रवण करना।
05. विकास खण्ड के विद्यालयों के बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्ती बार बच्चों के नाम बार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।
06. एन०पी०आर०सी० तथा डायड के बीच समन्वय सूत्र के रूप में कार्य करना।
07. ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक संसाधन समूह गठित करना।
08. अध्यापकों को शिक्षक अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

जिला स्तरीय समिति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर निम्नवत एक समिति गठित की गई है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए भी कार्य करेंगी।

- | | | |
|-----|------------|---------------------------|
| 01. | अध्यक्ष | जिलाधिकारी |
| 02. | उपाध्यक्ष | मुख्य विकास अधिकारी |
| 03. | सदस्य/सचिव | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |

04.	सदस्य	प्राचार्य डायट
05.	सदस्य	जिला श्रम अधिकारी
06.	सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी
07.	सदस्य	वित्त एवं लेखाधिकारी, बे०शि०
08.	सदस्य	अधिकाारी अभियन्ता (आर०ई०एस०)
09.	सदस्य	अधिकाारी अभियन्ता (पी०डब्लू०डी०)
10.	सदस्य	जिला विद्यालय निरीक्षक
11.	सदस्य	दो शिक्षा बिद (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से)
12.	सदस्य	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (वर्णमाला क्रम से) एक वर्ष के लिए
13.	सदस्य	दो शिक्षण राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त
14.	सदस्य	स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के कार्य, अधिकार एवं दायित्व :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के लिये गठित उपरोक्त जिला शिक्षा परियोजना समिति सर्व शिक्षा अनियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीतिविषयक समिति है। निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। जनपद में ई०जी०एस०/ए०आई०ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य गुणवत्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने, प्रवेश, धारण, गुणवत्ता, सम्बर्द्धन, निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण संस्था का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इस समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, अनुमोदन एवं कार्यक्रम का संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति

जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति का निम्नवत् गठन किया गया है :-

01.	अध्यक्ष	जिला पंचायत अध्यक्ष
02.	सदस्य / सचिव	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
03.	पदेन सदस्य	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)
04.	पदेन सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी
05.	पदेन सदस्य	जिला विद्यालय निरीक्षक
06.	पदेन सदस्य	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो अनुपस्थित में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी।
07.	सदस्य	तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।
08.	सदस्य	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।

उपरोक्त समिति निम्नवत् कार्यो का सम्पादन करेगी :-

01. ग्रामीण क्षेत्र के बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार, सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।
02. नवीन बेसिक स्कूल स्थापित करना।
03. जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।
04. नये विद्यालयों तथा असेावेत क्षेत्रों में विद्यालयों शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिए स्थल चयन में उपरोक्त समिति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी।

जिला परियोजना कार्यालय को प्रशासनिक तंत्र :-

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें, राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना

समिति के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें आवश्यक स्टाफ के बाद 30प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परपद के नियमानुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नांकित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

01.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
02.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	प्रतिनियुक्ति पर
03.	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति एवं नियत वेतन पर
04.	सलाहकार	2 रू0 10,000/- नियत वेतन प्रति पर
05.	ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1 रू0 10,000/- नियत वेतन प्रति पर
06.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	3 रू0 7,000/- नियत वेतन प्रति पर
07.	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रति नियुक्ति पर
08.	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
09.	परिचालक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त पदों में जिला परियोजना के सस्टेनिकलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपरोक्त सभी अधिकारी / कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। समस्त उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सहायक स्टाफ सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे।

परियोजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाले निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) की भॉति रक्खी गई है निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा इसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा इस हेतु पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है इनके मानदेय की दरें निम्नवत हैं :-

01.	प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु	रू० 1,000/-
02.	प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु	रू० 500/-
03.	शौचालयों हेतु	रू० 200/-
04.	प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालयों निर्माण के लिए	कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।

तीन वर्ष बाद मानदेय की दरों में संशोधन का प्राविधान रक्खा जायेगा।

शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (ई०एम०आई०एस०) :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ एवं क्रियाशील एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत जनपद में पूर्व से ही कम्प्यूटर शाफ्ट वेयर स्थापित है। जिसमें वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-01 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए शाफ्ट वेयर डाटा वेब तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्ड वेयर को उच्चिकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत उपलब्ध कम्प्यूटर से शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़ों का संकलन एवं विषलेषण किया जायेगा।

औपचारिक शिक्षा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रति वर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के कार्यों को सम्पादित करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० के संचालन हेतु एक ई०एम०आई०एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर एवं सांख्यिकी सहायक रखे जायेगे।

ई0एम0एस0आई0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

सूचना प्रबन्धन प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :-

01. विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण।
02. फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0), एन0पी0आर0सी0, समन्वयक तथा प्रधान अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
03. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना।
04. भरे हुए सांख्यिकी प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग, परिवर्तन यदि कोई हो अभिलिखित कराना।
05. दिसम्बर 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराकर आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
06. न्याय पंचायतवार एवं विकास खण्ड वार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कर बेसिक शिक्षा अधिकारी डायट प्राचार्य, जिला समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
07. जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों / कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
08. माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण, तैयार करे सम्बन्धित को प्रेषित करना।
09. शैक्षिक योग्यता - कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण, तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक है।

प्रशिक्षण :-

विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों को भरने सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर,, प्रधान, अध्यापक, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0, समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिससे सही व शुद्ध आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण :-

01. दो दिवसीय होगा, इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी जिला समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, एवं लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

02. ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण – दो दिवसीय होगा इसमें राक्षक बेरिग शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी0आर0सी0 समन्वयक, सह समन्वयक प्रतिभाग करेंगे।
03. न्याय पंचायत स्तर पर – प्रशिक्षण – दो दिवसीय होगा, इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधान अध्यापक प्रतिभाग करेंगे।
04. प्रोजेक्ट प्रबन्धन स्तर पर प्रशिक्षण – एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर प्रतिभाग करेंगे जिसमें तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धक एवं दूसरे तीन दिनों में प्रोजेक्टर मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता की जाँच :-

यह विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है जो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक दोनों स्तर के विद्यालयों के लिए उपयुक्त है। इस प्रपत्र पर 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्र किया जायेगा और कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। विद्यालय से प्राप्त भरे प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधान अध्यापक को भेजा जायेगा। ताकि प्रधान अध्यापक को यह जानकारी हो सके कि भेजे गये प्रपत्रों पर सूचना शुद्ध रूप से अंकित की गई है अथवा नहीं शुद्ध करने का अवसर भी दिया जायेगा।

आंकड़ों का उपयोग

जी0ई0आर0 एण्ड एन0ई0आर0 ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। उनका उपयोग डिजीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा ताकि कार्य योजना में कार्यक्रमों का सम्प्रेक्षण/संशोधन किया जा सके आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा:-

01. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
02. शिक्षा गारन्टी हेतु बस्तियों की पहचान एवं जन संख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण करना।

03. विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों का रोरटर
04. विकलांगता बार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
05. शिक्षकों का विवरण।
06. अवस्थापना सम्बन्धी मॉग का आंकलन एवं निर्धारण।
07. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
08. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
09. शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
10. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
11. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

शाला त्यागी बच्चों का अध्ययन :-

झाप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार अध्ययन कराया जायेगा यह अध्ययन बाहरी एजेन्सियों द्वारा किया जायेगा और इसका अनुश्रवण सीनेट द्वारा किया जायेगा। एक अध्ययन की अनुमानित लागत रू० दै लाख रक्खी गई है।

परियोजना सूचना प्रबन्धन प्रणाली (पी०एम०आई०एस०)

परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय भेजी जायेगी जिन कार्यक्रमों की प्रगति धीमी है उनकी और सम्बन्धित कार्यक्रमाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

जनपद का प्रशिक्षण संस्थान (डापट) गुणवत्ताओं में सुधार लाने हेतु डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सुदृढ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसे और अधिक सुदृढ किया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-


01. सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर टेनर संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
02. राज्य एवं राष्ट्र स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों अनुसंधानों , शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की क्षमता विकसित करना।
03. ब्लाक स्तर के संदर्भ में व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर परियोजना के निर्धारित कार्यक्रमों शिक्षण विधियों एवं लक्ष्यों से अवगत कराना।
04. जिला स्तर की समस्याओं के निराकरण हेतु शोध कार्य करना परिणामों को जानना तथा निष्कर्षों की जानकारी सम्बन्धित को देना।
05. शैक्षिक आकड़ों का विश्लेषण करना तथा नियोजन हेतु उनके उपभोग करने हेतु जिला स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
06. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
07. न्यूनतम अधिमान स्तर सुनिश्चित करना बेरा लाइन राई करना।
08. जिला संसाधन समूह का गठन करना।
09. जिला स्तर के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
10. बी0आर0सी0 केंद्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवं निगरान करना।
11. विद्यालयों में गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना अध्यापकों को मार्गदर्शन करना।

अनुदानों का स्थानान्तरण :-

यह कार्य वार्षिक कार्य योजना एवं बजट बनाकर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर सीमेट के अप्रेजल के पश्चात उ0प्र0 सभा के लिए शिक्षा परियोजना के अनुमोदन उपरान्त कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं डायट को अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण शैक्षिक प्रशिक्षण आदि का कार्यक्रम हेतु-धनराशि बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माण बैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि ग्राम शिक्षा निधि स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के खातों में सीधे हस्तांतरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से बैंक खाता संचालित किया जायेगा। जिसके लिए वित्तीय संदर्शिता पूर्व से ही प्रस्तावित है। जिला अधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्राविधानित है रूपया 5,000/- के मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिला अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। यह प्रक्रिया डायट बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर खुले संयुक्त खातों के सम्बन्ध में सभी के लिए शिक्षा परियोजना उ0प्र0 के नियमों के अनुसार लागू की जायेगी राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रय मासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

धनराशि का हस्तांतरण



01. बी0आर0सी/एन0पी0आर0सी0
02. ग्राम शिक्षा समिति
03. शिक्षक-शिक्षिकाएं
04. स्नग सेती संस्थाएं

सम्यरीक्षा :-

प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र समप्रेक्षण चाटर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।

शैक्षिक सत्र में बैठक का आयोजन :-

योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों वी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी तथा कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा राज्य स्तर की समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा। प्रत्येक माह

जनपद में कम्प्यूटराइज्ड पीएमआईएरा० रिपोर्ट तैयार की जायेगी। आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभवों अनुभूत कठिनाइयों प्राप्त विभिन्न इन्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमीकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ट विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताएँ हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	<p>भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु।</p> <p>➤ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है।</p> <p>अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।</p>
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालयों की बाउंड्री, वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल-कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी.एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैच्छिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Bareilly

1	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04		Total Proposals		14	
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical		Financial
2		7	8	9	10	11	12	13	
(I)	BRC								
1	Asstt. Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
3	Travelling Allowance & Meeting	0	0	6.00	15	90.00	15	90.00	
4	Maintenance of equipments	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	Maintenance of building	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
6	TLM	0	0	5.00	15	75.00	15	75.00	
7	Contingency	0	0	12.50	15	187.50	15	187.50	
	TOTAL BRC	0	0.00	0.00	45	352.50	45	352.50	
(II)	CRC								
8	Furniture/fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
9	Salary Coordinator @12 for 12 Months	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM	0	0	1.00	144	144.00	144	144.00	
11	Contingency	0	0	2.50	144	360.00	144	360.00	
12	Meeting & TA	0	0	2.40	144	345.60	144	345.60	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00	0.00	432	849.60	432	849.60	
(III)	CIVIL WPKS								
13	New Primary School	0	0.00	259.00	0	0.00	0	0.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	0	1292.00	280.00	19	5320.00	19	6612.00	Spill.Handpump
15	Additional Classrooms PS	0	0.00	70.00	80	5600.00	80	5600.00	
16	Additional Classrooms UPS	0	0.00	70.00	75	5250.00	75	5250.00	
17	Toilets PS	0	0	10.00	110	1100.00	110	1100.00	
18	Toilets UPS	0	0	10.00	78	780.00	78	780.00	
19	Reconstruction PS	0	0	191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS	0	0	383.00	6	2298.00	6	2298.00	
21	Drinking Waters PS	0	0.00	15.00	18	270.00	18	270.00	
22	Drinking Waters UPS	0	0	15.00	56	840.00	56	840.00	
23	Repair PS	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS	0	0	70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplanning	0	0	250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	0	1292.00	0.00	442	21458.00	442	22750.00	
(IV)	EGS								
	TOTAL EGS	0	0	0.85	113	2387.13	113	2387.13	
(V)	AIE								
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)	0	0	0.845	87	1837.88	87	1837.88	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)	0	0	1.20	0	0.00	0	0.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (.845x40x144)	0	0	0.85	144	4867.20	144	4867.20	
33	Bridge Course (P.S.) (3x60x7)	0	0	3.00	7	1260.00	7	1260.00	
	TOTAL AIE	0	0.00	0.00	238	7965.08	238	7965.08	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00	0.00	351	10352.20	351	10352.20	
(VI)	FREE TEXT BOOKS								
34	Free Text Books PS	0	0	0.05	212211	10610.55	212211	10610.55	
35	Free Text Books UPS	0	0	0.15	40766	6114.90	40766	6114.90	
	TOTAL Text Book	0	0.00	0.00	252977	16725.45	252977	16725.45	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	1371	1645.20	1371	1645.20	
	INNOVATIVE ACTIVITIES								
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE								
57	P.S.	0	0.00	5.00	1701	8505.90	1701	8505.00	
58	U.P.S.	0	0.00	5.00	313	1565.90	313	1565.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00	0.00	2014	10070.00	2014	10070.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0	0.00	0.00		3480.00	0	3480.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION								
71	P.S.	0	0.00	1.40	1701	2381.40	1701	2381.40	
72	U.P.S.	0	0.00	1.40	313	438.20	313	438.20	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00	0.00	2014	2819.60	2014	2819.60	
(XV)	SCHOOL GRANT								
73	School Improvement Grants PS @ 2	0	0	2.00	1726	3452.00	1726	3452.00	
74	School Improvement Grants UPS @ 2	0	0	2.00	438	876.00	438	876.00	
	Total School Grant	0	0	0	2164	4328.00	2164	4328.00	
(XVI)	SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)								
75	Salary of Asstt Teacher PS	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	12 Months
76	Salary of Asstt Teacher UPS	0	0	10.00	57	6840.00	57	6840.00	12 Months
77	Salary of Additional Teachers PS	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
78	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25	0	0	2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)	0	0.00	0.00	57	6840.00	57	6840.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Bareilly

(Rs. In Thousand)

No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04		Total Proposals		Remark	
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical		Financial
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVII)	SALARY GRANT (2003-04)								
79	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
80	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (U.P.S.)	0	0	10.00	57	3420.00 ✓	57	3420.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)	0	0	2.25	0	0.00	0	0.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR	0	0	2.25	947	12784.50 ✓	947	12784.50	6 Months
	TOTAL Salary Grant (2003-04)	0	0.00	0.00	1004	16204.50	1004	16204.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT	0	0.00	0.00	1061	23044.50	1061	23044.50	
(XVIII)	TEACHER GRANT (TLM)								
84	Teacher Grants PS @ 0.5	0	0	0.50	488	2244.00 ✓	488	2244.00	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5	0	0	0.50	1928	964.00 ✓	1928	964.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00	0.00	648	3208.00	6416	3208.00	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS								
87	TLE PS @10	0	0.00	10.00	0	0.00	0	0.00	
88	TLE UPS @50	19	950.00	50.00	19	950.00 ✓	38	1900.00	
88 (a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	12	600.00	50.00	0	0.00	12	600.00	
	TOTAL Teaching Learning Equipments	31	1550.00	0.00	19	950.00	50	2500.00	
(XX)	TEACHER TRAINING								
89	Induction Training of SM	0	0	0.07	297	623.70 ✓	297	623.70	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC)	0	0	0.07	4808	6731.20 ✓	4808	6731.20	
91	Teachers (UPS)	0	0	0.07	803	843.15 ✓	803	843.15	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00	0.00	5908	8198.05	5908	8198.05	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC								
92	VEC Training (30x8x2)	0	0.00	0.48	1048	503.04	1048	503.04	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00	0.00	1048	503.04 ✓	1048	503.04	
(XXII)	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00	312.00		554.00 ✓	0	554.00	
(XXIII)	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL	31	2842.00		276262	113538.14	276293	116380.14	

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	144	144	144	144	144	144	144	144	576	575
C3.4	Contingency	2.5	0	0	144	360	144	360	144	360	144	360	576	1440
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	144	345.6	144	345.6	144	345.6	144	345.6	576	1382.4
C4	District Project Office/Management		0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AEO/DC	15	0	0	6	1080	7	1260	7	1260	7	1260	27	4860
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	2	36	2	36	2	36	6	108
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	7	70	28	280	28	280	28	280	91	910
C4.9	Consumables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	15	1800	10	1200	10	1200	10	1200	45	5400
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	1701	2381.4	1701	2381.4	1701	2381.4	1701	2381.4	6804	9525.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	295	413	313	438.2	322	450.8	322	450.8	322	450.8	1574	2203.6
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	1183	0	7501.7	0	8348.7	0	8348.7	0	8348.7		33740.6
C5	MIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	554	0	0	0	0	0	0	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Printing & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip. & Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	1193	0	8055.7	0	8872.7	0	8872.7	0	8772.7	0	36766.8
	GRAND TOTAL		0	29164.6	0	113538.14	0	328515.34	0	340906.84	0	309711.89	0	1121836.81

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention										Bareilly	
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07				Total	
Civil		9619.0	21458.0	55916.0	50496.0	1216.0				136705.0	
Management		413.0	6299.6	6672.2	6672.2	6572.2				27183.2	
Programme		19132.6	85780.5	265927.1	283738.6	301923.7				955948.6	
Total		29164.6	113538.1	328515.3	340906.8	309711.9				1121836.8	
Percentage - Civil		33.0	18.9	17.0	14.8	0.4				12.4	
Percentage - Management		1.4	5.5	2.0	2.0	2.1				2.4	
Percentage - Programme		65.6	75.6	80.9	83.2	97.5				85.2	
Percentage - Total		100	100	100	100	100				100	